अप्रैल-जून
April-June

अंक : 107

2021

ISSN : 0976-0024

महिला Mahila विधि भारती Vidhi Bharati

विधि चेतना की द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेजी) शोध पत्रिका
Research (Hindi-English) Quarterly Law Journal

(केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंशिक अनुदान से प्रकाशित)

ISSN 0976-0024
9 770976 002001

प्रधान संपादक
सन्तोष खन्ना
संपादक
डॉ. उषा देव

पत्रिका में व्यक्त विचारों से सम्पादक/परिषद् की सहमति आवश्यक नहीं है।

Indexed at Indian Documentation Service, Gurugram, India
Citation No. MVB-27/2021

विधि भारती परिषद्
बी.एच./48 (पूर्वी) शालीमार बाग, दिल्ली-110088 (भारत)
मोबाइल : 09899651872, 09899651272
फ़ोन : 011-45579335
E-mail : vidhibharatiparishad@hotmail.com, santoshkhanna25@gmail.com
Website : www.vidhibharatiparishad.in

'महिला विधि भारती' पत्रिका (पूर्व यू.जी.सी. की सूची में भी शामिल, क्र. 156, पत्रिका संख्या 48462)
विधि चेतना की द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेज़ी) विधि-शोध त्रैमासिक पत्रिका
E-mail : vidhibharatiparishad@hotmail. com
Website : www. vidhibharatiparishad. in
अंक : 107 (अप्रैल-जून, 2021)
प्रधान संपादक : सन्तोष खन्ना, **संपादक :** डॉ. उषा देव

बोर्ड ऑफ रेफरीज एवं परामर्श मंडल

1. डॉ. के.पी.एस. महलवार : चेयर प्रो., प्रोफेशनल एथिक्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, न.दि.
2. डॉ. चंदन बाला : डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, जयनारायण व्यास वि.वि., जोधपुर
3. डॉ. राकेश कुमार सिंह : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, लखनऊ विश्वविद्यालय
4. डॉ. किरण गुप्ता : पूर्व विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय
5. न्यायमूर्ति श्री एस.एन. कपूर : पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली।
6. प्रो. (डॉ.) सिद्धनाथ सिंह : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
7. प्रो. (डॉ.) गुरजीत सिंह : संस्थापक वाइस चांसलर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एवं न्यायिक अकादमी, असम

परिषद् की कार्यकारिणी, संरक्षक : डॉ. राजीव खन्ना

1. डॉ. सुभाष कश्यप (अध्यक्ष)
2. न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद (उपाध्यक्ष)
3. श्रीमती सन्तोष खन्ना (महासचिव)
4. रेनू नूर (कोषाध्यक्ष)
5. श्री अनिल गोयल (सचिव, प्रचार)
6. डॉ. प्रेमलता (सदस्य)
7. डॉ. आशु खन्ना (सदस्य)
8. डॉ. पूरनचंद टंडन (सदस्य)
9. श्री जी.आर. गुप्ता (सदस्य)
10. डॉ. उषा टंडन (सदस्य)
11. डॉ. सूरत सिंह (सदस्य)
12. डॉ. के.एस. भाटी (सदस्य)
13. डॉ. शकुंतला कालरा (सदस्य)
14. डॉ. उमाकांत खुबालकर (सदस्य)
15. अनुरागेंद्र निगम (सदस्य)

शुल्क दर

वार्षिक शुल्क 500/-- रुपए	संस्थागत वार्षिक शुल्क 500/-- रुपए
आजीवन शुल्क 5,000/-- रुपए	संस्थागत आजीवन शुल्क 20,000/-- रुपए

डाक शुल्क अलग

अंक 107 में

1. आपके विचार / **डॉ. साधना गुप्ता** -- 119
2. (संपादकीय) / **सन्तोष खन्ना** -- 7
3. मानव-तस्करी की चपेट में दक्षिणी राजस्थान / **श्याम सिंह राज पुरोहित** -- 111
4. कोरोना की विपदा, अनाथ बच्चे, दत्तक ग्रहण और इसका विकल्प : एक विश्लेषण / **प्रो. बिभा त्रिपाठी** -- 118
5. कोविड-19 के आपदाकाल में कारपोरेट सामाजिक दायित्व की भूमिका / **डॉ. विपिन कुमार सिंह** -- 126
6. बौद्धिक संपदा अधिकार एवं विश्व व्यापार संगठन : वर्तमान प्रासंगिकता / **डॉ. मंजू चंद्रा** -- 133
7. राष्ट्रवाद के प्रखर सांसद : डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी / **सन्तोष खन्ना** -- 139
8. भारत में महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर एवं वर्तमान योजनाओं का दृष्टिकोण / **डॉ. ज्योति दिवाकर एवं श्री महेंद्र कुमार** -- 142
9. संगमरमर की सड़क पर (कहानी) / **डॉ. मुक्ता** -- 149
10. हिंदू मंदिरों पर उच्च न्यायालय का फैसला : एक रिपोर्ट (रिपोर्ट) / -- 158
11. वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रासंगिकता (रिपोर्ट) / **अरविंद भारत** -- 159
12. राष्ट्रीय परिदृश्य से अदृश्य क्रांतिकारी / **डॉ. भगवानदास अहिरवार** -- 162
13. लिव-इन-रिलेशनशिप पर राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला (रिपोर्ट) -- 166
14. गुरू तेग बहादुर : 'हिंद की चादर' / **डॉ. अमर सिंह वधान** -- 167
15. महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक क़दम : ट्रिपल तलाक़ अधिनियम, 2019 / **विनय जैन** -- 175
16. वृंदावन में विधवा महिलाओं संबंधी दिशा-निर्देशों का समीक्षात्मक क्रियान्वयन / **हरीश कुमार शर्मा** -- 178
17. स्वाधीनता सेनानी, विद्वान् लेखक एवं पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव / **के.आर. पांडे** -- 181
18. Why the Judiciary Must Step Back **/ Dr. Subhash Kashyap** -- 184
19. Death Penalty for Rape Crime in India : Study **/ Smt. Niti Nipuna Saxena** -- 186
20. Effects of Covid-19 on Environment and Ecological Balance **/ Santosh Khanna** -- 191

सामाजिक समरसता की दिशा में सोद्देश्य पहल है -- महिला विधि भारती पत्रिका

महिला सशक्तिकरण का स्वप्न सँजो, उसे साकार करने के प्रयास हेतु संतोष खन्ना जी द्वारा सन् 1994 की अंतिम तिमाही से सफ़र प्रारंभ कर प्रकाशन के 27 वर्ष की अवधि पूर्ण करते हुए 107 अंकों की लंबी शृंखला के माध्यम से 'महिला विधि भारती' पत्रिका सतत अपने लक्ष्य की ओर क़दम बढ़ा रही है। चेतना व जागरूकता के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित, शोषण का शिकार लोगों का पथ-प्रदर्शन करने हेतु पत्रिका सशक्त लेखन द्वारा उनकी समस्याओं को उजागर कर वैधानिक एवं व्यावहारिक धरातल पर हल प्रस्तुत करने का प्रयास करती रही है, जिन्हें प्रतिदिन देख कर भी अनदेखा कर दिया जाता है तथाकथित सभ्य समाज द्वारा। इस हेतु लगभग प्रत्येक वर्ष एक अंक विशेषांक रूप में भी प्रकाशित होता रहा है। 'महिला विधि भारती' पत्रिका की दृष्टि महिलाओं के संग-साथ समाज के अन्य निर्बल वर्गों को उनके अधिकारों व कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक करने की ओर भी रही है। यह पत्रिका समय-समय पर सामयिक-सामाजिक विषयों पर आवाज़ उठाते हुए उन समस्याओं को भी वाणी देती रही है जिनका जनक होते हुए भी तथाकथित सभ्य समाज उनके विषय में बात भी नहीं करना चाहता। नरकतुल्य जीवन जीने को विवश किन्नर वर्ग, वेश्यावृत्ति को मज़बूर नारी समाज की विसंगतियों, समलैंगिक संबंधों का मनोवैज्ञानिक तथ्य, स्लम एरिया की पशुवत् नारकीय जिंदगी इत्यादि सड़ांध मारते सामाजिक अंगों की विवशता पर पत्रिका सुधी पाठकों का ध्यान आकर्षित कर विचार मंथन को विवश करती आई है। पत्रिका की यह पहल एक दिन इन समस्याओं का हल निश्चित ही खोज पाएगी -- ऐसा हमारा विश्वास है।

हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में अपनी बात कहने वाली इस शोध पत्रिका के सभी अंकों के आलेख विषय-विशेषज्ञों के चिंतन-मनन से निःसृत नवनीत सम-साहित्यिक सरसता एवं विधिक जानकारी से संयुक्त होते हैं। निश्चय ही यह पत्रिका सामाजिक समरसता की दिशा में एक सशक्त पहल है।

-- डॉ. साधना गुप्ता
सहा. आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़, राजस्थान
द्वारा : के.एल. गुप्ता 'एडवोकेट', मंगलपुरा टेक, झालावाड़ 326001 राजस्थान
e-mail : sadhanagupta0306.sg@gmail.com
मोबाइल : 9530350325

संपादकीय

30 जून, 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया में फ़िल्म जगत की प्रतिष्ठित विभूति विशाल भारद्वाज ने चलचित्र अधिनियम, 1952 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में एक प्रश्नोतरी लिखते हुए कहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा किसी फ़िल्म पर दिए गए प्रमाण-पत्र की पुनः जाँच का अधिकार अपने पास रख कर एक लोकतांत्रिक देश में संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतांत्रिक असहमति के अधिकार का हनन करना चाहती है।

वास्तव में केंद्र सरकार ने चलचित्र अधिनियम, 1952 में प्रस्तावित संशोधनों पर जनता से राय माँगी है। इन प्रस्तावित संशोधनों में एक प्रावधान में कहा गया है कि यदि केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है, ने किसी फ़िल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है और यदि कोई व्यक्ति उस फ़िल्म के बारे में शिकायत करता है तो केंद्र सरकार उस फ़िल्म की पुनः जाँच कर सकेगी और अगर शिकायत सही पाई जाती है तो उस फ़िल्म को प्रमाण-पत्र के लिए सेंसर बोर्ड के समक्ष पुनः प्रस्तुत करना होगा। विशाल भारद्वाज कहते हैं कि ''लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को किसी भी विषय पर सहमत, असहमत अथवा विरोध करने का अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति को किसी फ़िल्म के संबंध में कोई शिकायत है तो उसे मामले को न्यायालय में ले जाना चाहिए। फिर सेंसर बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों का चयन और नामांकन तो केंद्र सरकार ही करती है। यह चेयरमेन और सदस्य समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों से लिए जाते हैं जो प्रोफेसर से लेकर गृहणी तक हो सकते हैं। फिर फ़िल्म पर प्रमाण-पत्र मिलने के बाद किसी व्यक्ति की शिकायत पर उस पर पुनः जाँच क्यों की जानी चाहिए? केंद्र सरकार को सेंसर बोर्ड की स्वायत्तता पर कुठाराघात क्यों करना चाहिए, उसे सेंसर बोर्ड के फ़ैसलों का सम्मान करना चाहिए।''

कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण को भी समाप्त कर दिया है जिसमें फ़िल्म निर्माता सेंसर बोर्ड के फ़ैसलों के विरुद्ध अपील कर सकते थे। इस पर भी आपत्ति करते हुए फरहान अख्तर, अनुराग कश्यप, हंसल मेहता, शबाना आजमी, जोया अख्तर, दीपांकर बनर्जी सहित फ़िल्म जगत के कई अभिनेताओं और फ़िल्म निर्माताओं ने केंद्र सरकार को एक ख़ुला पत्र लिख कर अपना विरोध जताया है। इस पत्र पर लगभग 1400 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस पत्र में कहा गया है कि सेंसर बोर्ड द्वारा पास की गई फ़िल्मों की पुनः जाँच करने का केंद्र सरकार द्वारा अधिकार अपने हाथ में लेने से सेंसर बोर्ड और उच्चतम न्यायालय की प्रभुता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और इससे सरकार को इस संबंध में

अनन्य अधिकार मिल जाएगा जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन करने वाला होगा।

वास्तव में चलचित्र अधिनियम, 1952 में संशोधनों की लंबे अरसे से माँग चली आ रही थी क्योंकि यह क़ानून बहुत पुराना हो गया था और इस बीच लोगों की मानसिकता में कई तरह के परिवर्तन आ चुके हैं और अन्य कई परिवर्तन हुए हैं । भारत में बने चलचित्र अधिनियम का इतिहास भी बड़ा पुराना है। यू.के. की संसद में 1909 में पहली बार फ़िल्म अधिनियम बना था जिसके माध्यम से पहली बार फ़िल्म उद्योग को विनियमित किए जाने का प्रावधान किया गया था। इसी के माध्यम से फ़िल्मों को सेंसर किया जाने लगा था। भारत में अंग्रेज़ी शासन ने सिनेमोटोग्राफ एक्ट, 1918 पास कर उसे पहली अगस्त, 1920 से लागू कर दिया था। इससे पहले भारत में फ़िल्म निर्माताओं पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन इस क़ानून के लागू होने के बाद उन्हें इस क़ानून के अंतर्गत स्थापित सेंसर बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती थी। उस समय सेंसर बोर्ड फ़िल्म में आए उन दृश्यों को सेंसर कर देता था जिसमें यूरोप की छवि पर विपरीत पड़ता था।

स्वतंत्र भारत में पहले 1951 में एक सेंसर बोर्ड का गठन किया गया और 1952 में भारतीय संसद ने चलचित्र अधिनियम पारित कर दिया और सेंसर बोर्ड तब इस क़ानून के अंतर्गत आ गया। चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 में फ़िल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड के गठन का प्रावधान है। इस बोर्ड का एक चेयरमैन और सदस्य होते हैं। सदस्यों को ग़ैर-सरकारी सदस्य कहा जाता है जिनकी संख्या कम-से-कम बारह हो और पच्चीस से अधिक न हो। चेयरमैन को तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और तीन वर्ष हो जाने पर वह तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर दिया जाता। ग़ैर-सरकारी सदस्यों का कोई कार्यकाल तय नहीं है और वह केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और समुचित कारण के आधार पर उनका कार्यकाल कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इस बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इस बोर्ड को सलाह देने के लिए सलाहकार पैनल बनाए जाते हैं। इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो फ़िल्म जाँच में सहायता देते हैं। इन पैनलों के सदस्य जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से लिए जाते हैं। इस संबंध में नौ क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कलकत्ता, बैंगलौर जैसे प्रमुख नगरों में स्थापित हैं।

जब कोई फ़िल्म निर्माता किसी फ़िल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति के लिए सेंसर बोर्ड को आवेदन प्रस्तुत करता है तो सेंसर बोर्ड सलाहकार पैनल से परामर्श कर सकता है। उस स्थिति में सलाहकार पैनल उस फ़िल्म का परीक्षण कर उस फ़िल्म के बारे में समुचित सिफ़ारिशें कर सकता है। यद्यपि सलाहकार पैनल के सदस्यों को कोई वेतन नहीं मिलता परंतु उन्हें नियमानुसार फ़ीस अथवा भत्तों का भुगतान किया जाता है।

सेंसर बोर्ड चलचित्र अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सेंसर बोर्ड वर्ष 1983 से फ़िल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति के लिए चार श्रेणियों में प्रमाण-पत्र दे सकता है :--

1.अ (अनिर्बंधित) या यू : इस श्रेणी की फ़िल्म को सभी आयु वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं।

2. (अनिर्बंधित) / व्यस्क : इस श्रेणी की फ़िल्मों में कुछ दृश्य सभी के देखने के लिए नहीं होते विशेष रूप से 12 वर्ष की कम आयु के बच्चों को नहीं दिखाए जा सकते। इसमें 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे अपने माता पिता या अभिभावक की उपस्थिति में ऐसी फ़िल्मों को देख सकते हैं।

3. व्यस्क : इस श्रेणी की फ़िल्मों को 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति देख सकते हैं।

4. विशेष श्रेणी की फ़िल्में विशेष दर्शकों के लिए ही यथा डॉक्टर या इंजीनियर के लिए बनाई जाती है।

चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 बी(1) के अंतर्गत सेंसर बोर्ड फ़िल्मों को प्रमाण-पत्र देने से पहले उसकी इस दृष्टि से जाँच करता है कि फ़िल्म देश की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्री संबंध, शिष्टता और नैतिकता के हित के विरुद्ध तो नहीं है या उससे न्यायालय की मान-हानि या अवमान तो नहीं होता अथवा किसी अपराध के लिए उद्दीपन की संभावना तो नहीं है। यदि किसी फ़िल्म में उपरोक्त में से किसी मानक का पालन नहीं हुआ होता तो उस फ़िल्म को प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता।

चलचित्र संशोधन विधेयक, 2021 के माध्यम से मुख्यता एक नई धारा 6AA जोड़ी जाएगी जिससे फ़िल्म के निर्माता या कंपनी की अनुमति के बिना फ़िल्म को रिकॉर्ड करना अपराध की श्रेणी में आएगा और इस प्रकार फ़िल्म पाइरेसी पर रोक लगेगी। ऐसा समझा जाता है कि संशोधन के बाद फ़िल्मोद्योग के राजस्व में वृद्धि होगी ही, रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। फ़िल्मों के कौमकार्डिंग और डुप्लीकेशन करने पर अभियुक्त को 3 वर्ष तक के कारावास अथवा दस लाख तक का जुर्माना अथवा दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा।

चलचित्र अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई फ़िल्म निर्माता किसी फ़िल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए आवेदन करता है और यदि सेंसर बोर्ड उसे प्रमाण-पत्र देने से इनकार करता है अथवा उसे आवेदित श्रेणी के अलावा किसी और श्रेणी का प्रमाण-पत्र देता है या आवेदित फ़िल्म में काट-छाँट करने का निर्देश दिया जाता है तो ऐसा व्यक्ति सेंसर बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील अधिकरण में याचिका दायर कर सकता है। इस क़ानून के अंतर्गत अपील अधिकरण का एक अध्यक्ष होता है और उसके साथ 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद पर उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। फ़िलहाल सरकार ने इस अपीलीय अधिकरण को ही समाप्त कर दिया है जिस को पुनः स्थापित करने का सुझाव दिया गया है क्योंकि फ़िल्म अपीलीय अधिकरण में सेंसर बोर्ड के निर्णयों से व्यथित व्यक्ति यहाँ अपील कर सकते थे जो कि एक सस्ता और सुलभ उपचार था।

चलचित्र अधिनियम में केंद्र सरकार को पुनः जाँच करने के लिए अभिलेख मँगाने की शक्ति तो पहले से ही प्राप्त है। अब प्रस्तावित संशोधनों में भी केंद्र सरकार ने फ़िल्मों की पुनः जाँच की शक्ति अपने पास रखी है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को फ़िल्मों की पुनः जाँच की

शक्ति किसी न किसी रूप में अपने पास अवश्य रखनी चाहिए। वैसे यह कहा जाता है कि सेंसर बोर्ड में फ़िल्मों की जाँच करके ही प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं और जाँच करने वाले सदस्यों को समाज के विभिन्न वर्गों से सरकार ही नियुक्त करती है और सरकार को ऐसे प्रतिष्ठित एवं अनुभवी मनीषी सदस्यों के फ़ैसलों का सम्मान करना चाहिए। यद्यपि सदस्यों का चयन केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता रहा है परंतु ऐसे सदस्यों की मनीषा और वैचारिकी पर हमेशा विश्वास करना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि पिछले कुछ वर्षों की फ़िल्मों पर अगर दृष्टिपात करें तो यह पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता हूँ कि सेंसर बोर्ड ऐसी फ़िल्मों को कैसी स्वीकृति प्रदान कर देता था जिनमें ज़बरदस्त मारधाड़ , हिंसा और अश्लीलता कूट-कूट कर भरी होती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि फ़िल्म निर्माताओं में यह होड़ लगी होती है कि कौन सबसे अधिक हिंसा और अश्लीलता दिखाता है। अगर एक फ़िल्म आती है उसमें अगर 70 प्रतिशत हिंसा है तो यकीन मानिए अगली फ़िल्म में हिंसा का यह अनुपात 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत हो जाएगा। लगता है सेंसर बोर्ड के ऐसे सदस्य आंख कान बंद कर ऐसी फ़िल्मों को स्वीकार करते रहे हैं या अभी भी देते आ रहे हैं जिसमें हिंसा और अश्लीलता का महिमा-मंडन किया जा रहा है या धर्म विशेष के विरुद्ध अधिकाधिक दुर्भावनापूर्ण फ़िल्मों को स्वीकृति कैसे मिलती रही है? कहते हैं फ़िल्में समाज का दर्पण होती हैं। सेंसर बोर्ड जिन फ़िल्मों को स्वीकृति देता आ रहा है उन फ़िल्मों के अनुरूप समाज ने अपने को ढालने का ज़बरदस्त प्रयास किया है। आज आप समाज में जिस तरह की हिंसा और अश्लीलता देख रहे हैं वह फ़िल्मों में प्रदर्शित हिंसा और अश्लीलता से ही आई है। आज का समाज फ़िल्मों में दिखाई जा रही हिंसा और अश्लीलता की नक़ल करने की कोशिश में है जिसके कारण वर्तमान समाज पतन के कगार पर पहुँच गया है।

संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी अवश्य देता है परंतु आज़ादी का यह अधिकार अनन्य नहीं है, यह कुछ निर्बंधनों के अधीन है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्षधर इन निर्बंधनों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते जिसके कारण समाज में न नैतिकता बची है और न मानवीय मूल्य जबकि फ़िल्मों का उद्देश्य समाज का उन्नयन होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि सेंसर बोर्ड के सदस्य ऐसी फ़िल्मों को किसी एजेंडे विशेष के अधीन स्वीकृति देते रहे हैं ताकि फ़िल्में देखने वाला युवा वर्ग अधिकाधिक पतन की राह पर चल निक़ले। बेशक चलचित्र अधिनियम, 1952 में बना था और जब बना था तब वह ब्रिटिश साम्राज्य के अनुरूप अधिक बना था और तब से अब तक नदियों में बहुत जल बह चुका है, सोच बदल गई है और परिवेश और परिस्थितियाँ बदल गई हैं समाज बदल गया है एवं नई टेक्नोलॉजी का व्यापक आधार पर विकास हो चुका है। समाज में आए इस बदलाव को देखते हुए यह और भी ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी प्राचीन समृद्ध और उन्नत संस्कृति के अनुरूप अपना जीवन ढालने का प्रयास करें। नैतिकता और मानव मूल्यों को फ़िल्मों के माध्यम से प्रसारित करना होगा ताकि समाज का सही अर्थों में उन्नयन हो सके।

❑

श्याम सिंह राज पुरोहित

मानव-तस्करी की चपेट में दक्षिणी राजस्थान

आज के परिवेश में मानव-दुर्व्यापार या यूँ कहें कि मानव-तस्करी का जो मुद्दा पूरे वैश्विक पटल पर गरमाया हुआ हैं। मानव-दुर्व्यापार विश्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध हथियारों की तस्करी के बाद आज तीसरे सबसे बड़े अपराध के रूप में उभर रहा है और अगर यही हालात रहे तो बहुत जल्द आने वाले कुछ दिनों में यह भी हो सकता है कि यह मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध हथियारों की तस्करी इन दोनों अपराधों को पछाड़ते हए पहले नंबर पर भी क़ाबिज़ हो जाए। मानवों को भरे बाज़ारों में नीलाम किया जा रहा है और बोलियाँ लगायी जा रही हैं, वस्तुओं की भाँति उन्हें बेचा और ख़रीदा जा रहा है। अगर सरसरी दृष्टि से देखें तो विकसित देश एवं विकासशील देश भी आज इस गंभीर एवं विकराल महामारी रूपी समस्या के सामने घुटने टेके हुए हैं। बात अगर ग़रीब देशों की करें तो उनके तो हालात और भी चिंताजनक हैं। भारत के संदर्भ में अगर मानव-दुर्व्यापार के आज के ताज़ा आँकड़ों और स्थिति पर चर्चा करें तो मोटे तौर पर हमे यह अहसास हो जाएगा कि भारत के भी हालत चिंताजनक हैं। भारत में आज के हालातों पर अगर दृष्टि डालें तो भारत इस अपराध का एशिया में बहुत बड़ा केंद्र हैं। भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड तथा नेपाल जैसे पड़ौसी देशों से लड़कियों-महिलाओं और बच्चों की तस्करी करने का पारगमन केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गया हैं। इसके साथ ही साथ भारत दक्षिणी पूर्वी एशियाई मानव-तस्करी अपराध जगत् का एक स्त्रोत एवं पारगमन केंद्र के साथ साथ एक उपभोक्ता देश भी हैं। भारत में मानव-तस्करी बहुत ही बड़ी व्यापक एवं विकराल समस्या के रूप में अपने पाँव पसार रही हैं।

भारत के लगभग सभी राज्य इस महामारी से जूझ रहे हैं। भारत के कई राज्यों में भारी मात्रा में विभिन्न प्रयोजनों के लिए मानव-तस्करी होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, गोआ, आंध्र प्रदेश एवं इन सभी राज्यों के साथ राजस्थान राज्य भी अग्रणी है। राजस्थान राज्य का भी मानव-दुर्व्यापार के क्षेत्र में प्रमुखता से नाम आता है। अब इन सब के अतिरिक्त राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मानव-दुर्व्यापार के संदर्भ में स्थिति का आकलन करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि राजस्थान में दास प्रथा, गुलामों को उपहार में देना और लेना रियासत काल में रियासतों एवं राजा रजवाड़ों के समय से दृष्टिगोचर होती है, जो आज के समय में रजवाड़ों से निक़लकर एक मोटी कमाई का जरिया एवं गोरख-धंधा बन गया

है दक्षिणी राजस्थान, जिनमें सिरोही, उदयपुर, बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर ज़िले वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव-दुर्व्यापार के हॉटस्पॉट के रूप में उभर कर सामने आए हैं।

सिरोही, उदयपुर, बाँसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में मानव-तस्करी मुख्य रूप से अवैध श्रम के लिए होती है। श्रम मुख्यतः अफीम के खेतों में, ईंटों के भट्टों में, अवैध हथकढ़ी शराब के कारख़ानों में, कोयले के व्यापार इत्यादि कार्यों में कराया जाता हैं, रोज सुबह महिलाओं, बच्चों एवं पुरुषों की बोलियाँ लगाकर इनकी क़ीमत तय की जाती हैं और बाद में पड़ौसी राज्यों मध्य प्रदेश एवं गुजरात में इनको छोटे-छोटे वाहनों में भर कर इन राज्यों में ले जाया जाता है। इनसे ज़बरन मज़दूरी कराई जाती है। वर्ष 2019 के दिसंबर माह में डूंगरपुर, उदयपुर एवं सिरोही जिलों में भारी तादाद में रेस्क्यू करके मानव तस्करों से बच्चों महिलाओं को गुजरात बॉर्डर से एवं गुजरात के सूरत अहमदाबाद जिलों से मुक्त कराया गया और उसके पश्चात् भी लगातार मानव-तस्करी विरोधी इकाइयाँ एवं पुलिस जगह-जगह रेस्क्यू एवं रेड के माध्यम से मानव तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही करती रहती हैं। इन सब के बावजूद NCRB के आँकड़ों के मुताबिक़ राजस्थान का मानव-तस्करी में देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान में भी मुख्य रूप से दक्षिणी भाग जिनमें सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर बाँसवाडा, चितौड़गढ़, तथा प्रतापगढ़ जिलों में बहुतायत रूप से या यूँ कहे लगभग 80 प्रतिशत मानव-तस्करी इन्हीं जगहों से होती हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्र एवं जनजातीय तथा आदिवासीय क्षेत्रों से बच्चों, महिलाओं, को पड़ौसी राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश एवं देश के अन्य हिस्सों में बंधुआ मज़दूरी, यौन शोषण के रूप में भेजा जाता है। ग़रीबी, भुखमरी, अशिक्षा, रोज़गारों की कमी, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रीय असंतुलन, जागरूकता का अभाव आदि अनेक कारण मौजूद हैं, जो मानव-दुर्व्यापार के इस घिनौने कार्यों को आग के जैसे हवा दे रहे हैं दुनिया में आज ये सबसे बड़ी विडंबना है कि ग़रीब देशों में परिजन कुछ धन के लालच में अपने ही बच्चों को बेच देते हैं।

क्या हैं मानव-तस्करी अर्थात् मानव-दुर्व्यापार?

सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति की उसकी इच्छा के बग़ैर उसकी सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियों एवं मज़बूरियों का ग़लत फ़ायदा उठाकर किसी भी तरह के अवैध कार्यों में भागीदार बनाने के लिए किसी व्यक्ति, महिला या बच्चे को प्रलोभित करके अथवा अपने बाहुबल से भयभीत एवं आतंकित करके एक जगह से अन्यत्र कहीं दूसरी जगह ले जाना, मानव शरीर के अंगों की तस्करी के प्रयोजन के लिए एवं उन्हें वेश्यावृत्ति, बालश्रम, बंधुआ मज़दूर, ज़बरन श्रम जैसे गंदे कामों में धकेलना ही मानव-दुर्व्यापार की परिभाषा की कोटि में आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मानव-दुर्व्यापार को कुछ इस तरीक़े से परिभाषित किया कि ''मानव-तस्करी शोषण के उद्देश्य से व्यक्तियों का आवश्यकतानुरूप परिवहन अंतरण एवं ख़रीद-फ़रोख्त करना है या डर अथवा भय, बल के द्वारा व्यक्तियों को अपने क़ब्ज़े में करना है।" सही मायनों में मानव-दुर्व्यापार एक बहुत ही विस्तृत शब्दावली है, इसमें केवल मनुष्यों या स्त्रियों का वस्तुओं की भाँति ख़रीद-फ़रोख्त

ही शामिल नहीं है वरन् इसमें स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार करना और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग करना भी शामिल है। यधपि दास प्रथा का इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है; किंतु मानव-दुर्व्यापार शब्दावली में यहाँ निःसंदेह शामिल है।

राजस्थान सरकार द्वारा मानव-तस्करी को रोकने की दिशा में उठाए गए क़दम प्रदेश में एक IPS पुलिस अधीक्षक को मानव-तस्करी के नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत :

राजस्थान प्रदेश में बढ़ती मानव-तस्करी रूपी महामारी के निवारण एवं इसके निराकरण की दिशा में सख़्त क़दम उठाते हुए एवं एक पहल करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पुलिस अधीक्षक (IPS) रैंक के अधिकारी को राज्य स्तर पर प्रभारी नियुक्त किया गया है। जो पूरे प्रदेश में पहले से गठित ज़िलेवार एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग सेल (A HTU) के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रदेश में मानव-तस्करी के बढ़ते अपराध पर शिकंजा कसने की दिशा में क्रियाशील है।

राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में मानव-तस्करी विरोधी यूनिट का गठन

पुलिस राज्य सूची का विषय है इसलिए मानव-तस्करी के मामलों को दर्ज करना, जाँच एवं अनुसंधान करना तथा इसकी रोकथाम प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में पुलिस निरीक्षक रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग सेल (A HTU) का गठन किया गया है जो पूरे ज़िले में मानव-तस्करी की घटनाओं को रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा एवं रेड डालकर मानव-तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में FIR एवं प्रकरण दर्ज करवाकर मानव-तस्करी के निवारण की दिशा में प्रयत्नशील है।

मानव-तस्करी पर न्यायपालिका द्वारा लिया गया संज्ञान

विशालजीत बनाम भारत संघ (1990) तथा गौरव जैन बनाम भारत संघ के मामले में केंद्र सरकार को उच्चतम न्यायालय ने बेहद प्रभावशाली दिशा निर्देश दिए गए और इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने बाल वेश्यावृत्ति पर एक सलाहकार समिति का सन् 1994 में गठन किया। बाद के वर्षों में सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों, नियमावलियों एवं क़ानूनों तथा घोषित कार्यक्रमों में इस समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को प्रमुखता के साथ प्राथमिकता देते हुए उन पर अमल करने की दिशा में काम किया गया और आगे इसी क्रम में देश में यौनकर्मियों के बच्चों के पुनर्वास और इससे संबंधित मुद्दों को लेकर वर्ष 1998 में कार्य योजना तैयार की गई। इन योजनाओं में बाल वेश्यावृत्ति पर रोकथाम लगाने, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, शिक्षा तथा किशोरों एवं बच्चों के उन्नति एवं बेहतरीन देखभाल आवास की सुविधाओं के साथ-साथ नागरिक सुविधाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन इत्यादि को दृष्टि में रखते हुए कार्य-प्रणाली संचालित की गई। इसी क्रम में राज्य सरकारों को भी इस क्षेत्र में विशेष योगदान देने हेतु पाबंद किया गया लेकिन यह बड़े ही दुःख एवं चिंता की बात हैं कि राज्यों

में इच्छाशक्ति की कमी के चलते एवं पुलिस विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण इस दिशा में आज तक बेहतर एवं ठोस रूप से कोई कार्यवाही प्रभाव में नहीं लाई गई। इसके अतिरिक्त, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने समिति के गठन के एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट में सिफ़ारिशें सरकार के समक्ष पेश कर दी। वर्मा समिति की इस रिपोर्ट में मानव व्यापार पर कई महत्त्वपूर्ण सुझाव एवं सिफ़ारिशें तथा अनुशंसाएँ सरकार को प्रस्तुत की थी।

मानव तस्करी पर देश में मौजूदा क़ानून

वैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देश में मानव-तस्करी से जुड़ा हुआ सीधा-सीधा एक भी क़ानून नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देश में आज इस गंभीर समस्या एवं बढ़ती मानव-तस्करी रूपी महामारी के बारे में कोई भी क़ानून बात नहीं करता। मौजूदा समय में देश में छोटे-मोटे कई क़ानून हैं। कुछ क़ानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं तो कुछेक क़ानून राज्यों ने भी बनाए हैं जो मानव-तस्करी से जुड़े हैं। भारत की आज़ादी के पूर्व तक देश में दास प्रथा, दासी प्रथा, बंधुआ मज़दूर एवं गुलाम प्रथा व्याप्त थी। देश की आज़ादी के बाद भारत के लिए संविधान का निर्माण होने लगा तब संविधान में मानव-तस्करी के निवारण से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 23 में एवं अनुच्छेद 24 में बाल मज़दूरी के निवारण से संबंधित कुछ प्रावधान संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत उल्लेखित किए गए। भारत के संविधान का अनुछेद 23 मानव-तस्करी का निषेध करता हैं एवं मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। मानव का दुर्व्यापार और बेग़ार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस प्रकार का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 23 व्यक्ति को न केवल राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है अपितु प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। इसका संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ-साथ अनागरिक व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं। इस अनुच्छेद द्वारा भारतीय समाज के दो बहुत बड़े कलंक नारी का क्रय-विक्रय और बेग़ार का अंत हो गया। इस अनुच्छेद द्वारा केवल बेग़ार ही नहीं अपितु अन्य इसी प्रकार के बलपूर्वक लिए जाने वाले श्रम का प्रतिषेध किया गया हैं। अनुच्छेद 24 इस संबंध में उपबंध करता है कि चौदह वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी कारख़ाने या ख़ान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह संविधान के भाग 4 में नीति-निर्देशक तत्त्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39(म) में राज्य पर यह नैतिक कर्त्तव्य अधिरोपित किया गया कि पुरुष एवं स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोज़गारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। अनुच्छेद 39(f) में बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाए और बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों

की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। इनके साथ ही भारत के संविधान का अनुच्छेद 35 संसद को इस अनुच्छेद द्वारा वर्जित कार्यों को करने के लिए क़ानून बनाकर दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। अपनी इसी शक्ति के प्रयोग में संसद ने स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) अधिनियम, 1986 पारित किया गया है। जो आज के दौर में मानव-तस्करी का मोटा से मोटा क़ानून यही हैं। इस अधिनियम के अधीन मानव-दुर्व्यापार एक दंडनीय अपराध हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता (IPC) में भी मानव-दुर्व्यापार से संबंधित कई धाराएँ जिनमें मुख्यतः धारा द363A, 366, 367, 369, 366A, 366B, 370, 370A , 371, 372, 373, एवं धारा 374 हैं जो कि अपहरण, व्यपहरण, नाबालिगों की ख़रीद-फ़रोख्त और बेचने से एवं मानव-तस्करी से संबंधित हैं। इन विधायी प्रयासों के बावजूद देश में मानव-तस्करी जैसा गंभीर एवं संगठित अपराध नियंत्रित नहीं हो पाया है। राज्य सरकारों द्वारा भी इस दिशा में पहल करते हुए क़ानूनों का निर्माण किया गया हैं जिनमें मुख्य रूप से गोवा बाल क़ानून अधिनियम, 2003, आंध्र प्रदेश देवदासी (समर्पण का निषेध) अधिनियम, 1988, कर्नाटक देवदासी (समर्पण का निषेध) अधिनियम, 1982, मुंबई देवदासी संरक्षण अधिनियम, 1934, एवं महाराष्ट्र देवदासी (उन्मूलन तथा पुनर्वास) अधिनियम, 2001 आते हैं।

मानव-तस्करी से संबंधित एवं इससे जुड़ी भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें

स्त्रियों और बालकों का विक्रय, भारतीय दंड संहिता में प्रस्तावित धारा 373क विषय पर भारत के विधि आयोग की 146वीं रिपोर्ट, 1993। यद्यपि भारतीय दंड संहिता में ऐसे कतिपय उपबंध हैं जो एक निश्चित आयु से कम उम्र के व्यक्तियों का विक्रय करके या अन्य प्रकार से अंतरण करके विस्तारण करने से संबंधित है; किंतु ये उपबंध ऐसे मामलों तक ही सीमित हैं जहाँ ऐसा संव्यवहार उन धाराओं में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है किंतु जहाँ ऐसा प्रयोजन विद्यमान न हो या विचारण के दौरान साबित न हो सके वहाँ ये उपबंध स्त्रियों और बालकों के संरक्षण के लिए कारगर नहीं है। इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत के विधि आयोग ने केंद्र सरकार से स्त्रियों और बालकों के विक्रय जैसी सामाजिक बुराई के निवारण के लिए एवं ऐसे गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों पर नकेल कसने के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 373 को जोड़ने की अनुशंसा की गई।

स्त्री-लड़की अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1956 पर भारत के विधि आयोग की 64वीं रिपोर्ट, 1975

भारत के विधि आयोग ने तत्कालीन केंद्र सरकार को स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1956 की कुछेक धाराओं में संशोधन एवं इस अधिनियम के उपबंधों के पुनरीक्षण के संबंध में सिफ़ारिश के रूप में प्रस्तुत की गई उक्त रिपोर्ट में कहा गया कि इस अधिनियम के उपबंधों का प्रभाव अत्यंत सीमित है। इस अधिनियम का उद्देश्य सभी प्रकार की वेश्यावृत्ति

को दंडित करना नहीं होकर इसका संबंध केवल मात्र व्यावसायिक वेश्यावृत्ति से है और इसी से संबंधित दंडात्मक प्रावधान अधिनियम में मौजूद हैं। इसी संबंध में कुछ प्रश्नों को मध्य नज़र रखते हुए आयोग द्वारा अनुशंसा की गई जिनमें मुख्यतः यह कि इस अधिनियम का पुनरीक्षण करके उसका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत किया जाए और उसे सभी प्रकार की वेश्यावृत्ति को लागू करने का प्रयत्न किया जाए। दूसरा प्रश्न यह कि क्या पुनरीक्षण करके उसकी परिधि में वेश्यावृत्ति में लगे पुरुषों की भागीदारी को भी सम्मिलित किया जाए? अधिनियम में वेश्याओं की संतानों से संबंधित समस्या पर कोई उपबंध नहीं किए गए थे। इस संबंध में पैदा होने वाली संतानों की देखभाल करना एक अति आवश्यक और महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। इस बाबत अधिनियम में उपबंध किए जाने के साथ मौजूदा धाराओं में संशोधन करने की अनुशंसा रिपोर्ट के माध्यम से की गई।

मूल्यांकन

आज के मौजूदा हालातों में मानव-दुर्व्यापार की समस्या समूचे वैश्विक पटल पर एक गंभीर महामारी एवं चुनौती के रूप में उभर रही हैं एवं धीरे-धीरे मानवता को काल का ग्रास बना रही हैं। कहने को तो हमने इस गंभीर एवं विकराल महामारी से संबंधित बहुत से क़ानून बना रखे हैं, लेकिन जब बात हकीकत एवं धरातल पर आती है तो स्थिति कुछ और ही दृष्टिगत होती है। अवैध मानव व्यापार आज के परिदृश्य में एक वैश्विक चुनौती के रूप में उभरते हुए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दिशा में 'यू.एन. कन्वेशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल आर्गेनाइजड क्राइम' नामक एक अभिसमय निर्देशित किया गया है, लेकिन आज तक हालत यह है कि विश्व के अधिकतर देशों ने इस अभिसमय को स्वीकार ही नहीं किया है और न ही मानव-दुर्व्यापार से संबंधित कोई ठोस क़ानून बनाया। भारत की ही बात करें तो यह देखने को मिलेगा कि आज़ादी के लगभग 75 वर्षों बाद भी वही घीसा-पीटा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 जिसका संबंध केवल वेश्यावृत्ति तक ही हैं। यह अधिनियम केवल मात्र वेश्यालय चलाने वाले दलालों और ग्राहकों तथा इससे कमाने वाले बिचौलियों पर कार्यवाही तक ही सिमटा हुआ है। भारत के बालश्रम से संबंधित क़ानून भी इस तरह के अपराध पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। भारत में तो हालत यह है कि मौजूदा क़ानूनों में कहीं भी मानव-दुर्व्यापार को सही ढंग से परिभाषित तक नहीं किया गया है। क़ानून की यही कमियाँ एवं ख़ामियाँ जिनसे इस अपराध में संलिप्त मुलज़िम कहीं-न-कहीं अपना बचाव कर ही लेते हैं और बच निक़लते हैं। इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कठोर एवं सख़्त अधिनियम बनाने के साथ ही समाज व सरकार को एक बेहतरीन कार्य योजना के साथ मिलकर इस दिशा में प्रभावी रूप से कार्य करना होगा।

❑

संदर्भ

- डॉ. जय नारायण पांडेय (2019) : भारत का संविधान, 52वाँ संस्करण, सेंट्रल लॉ एजेंसी।
- प्रो. त्रिदिवेश भट्टाचार्य (2010) : भारतीय दंड संहिता, षृष्ठ संस्करण, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन
- क्या मानव व्यापार रोकने में भारतीय क़ानून सक्षम हैं, कु. ताई चौरसिया, महिला विधि भारती, अंक-85
- Trafficking in Women and Children-Human Rights For The Humiliated, Dr. Priti Saxena, महिला विधि भारती, अंक-84
- भारत में मानव-तस्करी आयाम, चुनौतियाँ और प्रतिक्रियाएँ, द किरण बेदी, पी.एम. नायर योजना मासिक पत्रिका, अंक : फरवरी 2008, अनैतिक व्यापार, पेज 7-9
- दुनियाभर में जारी है बच्चों की घृणित तस्करी (सेक्स बाज़ार ने बच्चों को भी एक वस्तु बना दिया है), द अवधेश कुमार, योजना मासिक पत्रिका, अंक : फरवरी 2008, अनैतिक व्यापार, पेज 18-21
- मानव-तस्करी पर सामुदायिक पहरेदारी भारत में समन्वित देह-व्यापार विरोधी इकाई (ए. एच.टी.यू), पी.एम. नायर, योजना, मासिक पत्रिका, अंक : फरवरी 2008, अनैतिक व्यापार, पेज 31-35
- Gaurav Jain v. Union of India, AIR 1990 SC, 292
- Vishaljeet v, Union of India, AIR 1990 SC, 1412

प्रो. बिभा त्रिपाठी

कोरोना की विपदा, अनाथ बच्चे, दत्तक ग्रहण और इसका विकल्प : एक विश्लेषण

इसे कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहें

या विषैले ज़हर का क़हर कहें...पूरे विश्व का करुण क्रंदन और तबाही का भयावह मंज़र ...हर घर में उदासी और मायूसी... इस बीमारी ने किसी को नहीं छोड़ा।

जो बचे हैं वह भी भिन्न-भिन्न प्रकार के भय से आक्रांत हैं, जो बीमारी से ठीक हो चुके हैं उनको भी जाने कितने अज्ञात भय सता रहे हैं, ऐसे दर्द, दुःख और संताप के समय में जो सर्वाधिक पीड़ादायक अनुभव है वह उन बच्चों का है जो असमय अनाथ हो गए हैं ...जिनके पालनहार को काल के क्रूर हाथों ने दबोच लिया है... जिनकी आँसुओं में डूबी आँखों से कुछ भी साफ़ दिख नहीं रहा है... हैरान-परेशान ये वह बच्चे हैं जिनके भविष्य पर एक बड़ा संकट आ गया है... कौन करेगा इनकी देखभाल? कौन पौंछेगा इनके आँसू? कौन सुनेगा इनकी चीत्कार? क्या होगा इसका समाधान? कैसे संभलेंगे ये बच्चे? कैसे बदलेगी यह तस्वीर?

ऐसे तमाम प्रश्नों से न सिर्फ़ वे बच्चे जूझ रहे हैं बल्कि संवेदनशीलता जूझ रही है, भावुकता जूझ रही है, मानवता जूझ रही है... और जूझ रहे हैं बालकों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाएँ... बालकों के हितों को संपोषित करने वाली मीडिया... और उनके दुःखों को भाँपकर विकल्प तलाशने वाले लोग और सरकारी और ग़ैर-सरकारी संस्थाएँ।

समाचार-पत्रों में प्रकाशित ख़बरों के अनुसार 45 दिन के बच्चे से लेकर बड़ी उम्र तक के अनेकों ऐसे हैं जो इस भीषण आपदा में अनाथ हो रहे हैं परंतु उनमें से कुछ की जानकारी आँकड़ों में दिखाई दे रही है और बहुत से ऐसे भी हैं जो किसी आँकड़े में नहीं आ पाए हैं। लेकिन समस्या उनकी भी उतनी ही गंभीर है।

अब प्रश्न उठता है कि क्या हो समाधान? कौन-सा रास्ता चुना जाए जो सीधा हो सरल हो स्वाभाविक हो और कल्याणकारी हो।

जहाँ तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रश्न है उसके द्वारा इस प्रश्न को गंभीरता से लिया गया है और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग द्वारा भी तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे

हैं जो असमय अनाथ हुई इस आबादी के लिए एक कल्याणकारी विकल्प बन सकता है।

ऐसी बच्चों के लिए एक आम सलाह यह दी जाती है कि उनको ज़्यादा-से-ज़्यादा दत्तक ग्रहण में दिया जाए ताकि उन्हें एक पारिवारिक वातावरण में पलने बढ़ने का मौका मिले और उनका भविष्य सुनिश्चित हो सके लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष की चिंता यह है कि गोद लेने के नाम पर हो रही बाल तस्करी का मुद्दा भी कम गंभीर नहीं है, और यह एक संगठित अपराध है।

इसका संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता भी है। कहने का अर्थ यह है कि बच्चों पर असमय पड़ने वाले इस वज्रपाती कुठाराघात को सरकार द्वारा संज्ञान में लिया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विगत 14 मई को यह विज्ञप्ति भी जारी की गई है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे बच्चों को जानता है जिसने अपने दोनों माता-पिता को कोविड के कारण खो दिया है और उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है तो वह इसकी सूचना चाइल्ड लाइन पर दें। मंत्रालय द्वारा परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय से यह भी आग्रह किया गया है कि जब कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होने जाए तो उनसे यह पूछा जाए कि यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो उनके बच्चों की देखरेख कौन करेगा और यह विकल्प उनके द्वारा उसी समय चुन लिया जाए ताकि आगे निर्णय लेने में आसानी हो।

संवेदनशीलता का परिचय देते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग द्वारा मुख्य रूप से जिन तीन बातों पर ज़ोर दिया गया है उनमें पहली महत्त्वपूर्ण बात यह है कि --

कोविड की आपदा से ग्रसित और परित्यक्त बच्चों की पहचान सुरक्षित रखी जाए। दूसरे, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें शेयर न की जाएँ और तीसरे उन्हें बाल कल्याण समिति को दिया जाए, जो बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय करेंगी।

यहाँ सरकार का ध्यान इस बात पर भी गया है यदि कोई अनाथ बच्चों के सीधे दत्तक ग्रहण की बात करता है तो उसे रोका जाए क्योंकि यह ग़लत है।

अब महत्त्वपूर्ण यह है कि हम दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को भी समझें।

दत्तक ग्रहण या गोद लेने की प्रक्रिया

दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक माता-पिता किसी दूसरे माता-पिता संस्था या राज्य के माध्यम से किसी पुत्र या पुत्री को गोद लेते हैं जिसके बाद वह पुत्र या पुत्री अपने नए माता-पिता के विधिक पुत्र या पुत्री समझे जाते हैं।

ज्ञात हो कि 9 नवंबर को विश्व दत्तक ग्रहण दिवस और पूरे नवंबर माह को दत्तक ग्रहण माह के रूप में मनाया जाता है जिसमें दत्तक ग्रहण के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है।

किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण में लेने के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। एक व्यक्ति या

दंपत्ति के द्वारा किसी धार्मिक उद्देश्य के निहितार्थ या प्रगतिशील विचारों को संपोषित करते हुए परमार्थ के उद्देश्य से भी किसी बच्चे को गोद में लिया जा सकता है।

किसी बच्चे को गोद लेने के पहले और पश्चात् अनेक ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनका संभावित उत्तर पाने का प्रयास हर वह व्यक्ति अथवा दंपत्ति करता है जिसने यह सोचा हो कि वह किसी बच्चे को गोद ले सकता है।

दत्तक ग्रहण का प्रश्न जितना क़ानूनी प्रावधानों के अधीन है उतना ही सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, परमार्थवादी, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सोच के भी अधीन है।

वैयक्तिक विधि से लेकर धर्मनिरपेक्ष विधि तक इसके बाबत प्रावधान हैं। भारत की बहुसंख्यक हिंदू आबादी जहाँ हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत दत्तक ग्रहण कर सकती है, वहीं ग़ैर-हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत किसी बच्चे का संरक्षकत्व हासिल कर सकता है।

इसके अतिरिक्त किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत किसी भी धर्म या जाति का पुरुष स्त्री अथवा दंपत्ति किसी भी अनाथ परित्यक्त अथवा सौंपे हुए बच्चे को दत्तक ग्रहण में ले सकते हैं। **शबनम हाशमी बनाम भारत संघ के मामले में** माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब कोई भी गैर हिंदू, किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी बच्चे को दत्तक में ग्रहण कर सकता है।

इस अधिनियम की धारा 56 से लेकर 73 तक में दत्तक ग्रहण से संबंधित समस्त प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जिसमें दत्तक ग्रहण का उद्देश्य, भावी दत्तक ग्रहण अभिभावकों की योग्यता, भारतीय भावी अभिभावकों के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, दत्तक ग्रहण हेतु किसी प्रतिफल की मनाही एवं प्रतिफल दिए जाने पर दंड दिए जाने की प्रक्रिया, दत्तक ग्रहण का प्रभाव, राज्य एवं केंद्र स्तरीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण हेतु प्रावधान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

परंतु समस्या यह है कि इन तीन प्रकार की विधियों में एकरूपता नहीं है। जहाँ हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत दत्तक ग्रहण अंतिम और अविखंडनीय हो जाता है यानी किसी भी स्थिति में बच्चे को छोड़ा नहीं जा सकता है वहीं किशोर न्याय एवं देखभाल अधिनियम के तहत लिए गए बच्चे को आपवादिक परिस्थितियों में वापस भी किया जा सकता है।

उम्र को लेकर भी एकरूपता नहीं है जहाँ हिंदू दत्तक ग्रहण में बच्चे की उम्र 15 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए वही किशोर न्याय अधिनियम के तहत 18 वर्ष से नीचे के बच्चे को दत्तक में ग्रहण किया जा सकता है। दत्तक में ग्रहण किए जाने वाले बच्चे की उम्र और दत्तक ग्रहिता की उम्र के बीच में कम से कम 21 वर्ष का अंतर भी होना चाहिए।

अब प्रश्न उठता है प्राथमिकता का... यानी कोई भी व्यक्ति जब दत्तक ग्रहण के द्वारा

मातृत्व, पितृत्व, अभिभावकत्व अथवा संरक्षकत्व का दायित्व संभालने को तैयार होता है तो वह किसे चुनना चाहता है? पुत्र के रूप में बेटे को, पुत्री के रूप में बेटी को, नवजात शिशु को, या 18 वर्ष से नीचे के उम्र के किसी भी बालक या बालिका को, या फिर विशेष आवश्यकता वाले किसी दिव्यांग बच्चे को।

बच्चों के कल्याणार्थ जो अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विधियाँ एवं अभिसमय बनाए गए हैं उनमें बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करना सर्वप्रमुख है और वहाँ यह भी उल्लेखित किया गया है कि किसी भी बच्चे को, जो देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक है उसे सरकारी या ग़ैर-सरकारी संरक्षण गृहों में रखने के बजाय एक पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत रखा जाना चाहिए।

परिवार जैसी सामाजिक संस्था जो सहयोग, समर्पण, सामंजस्य और संवेदनशीलता के आधार स्तंभों पर टिकी होती है वहाँ एक बच्चे का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है ऐसा माना जाता है।

प्रकारांतर से इसमें वृद्धावस्था के समय की देखभाल, मृत्योपरांत होने वाले संस्कार, मोक्ष की प्राप्ति इत्यादि का भाव भी स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित होता है।

इन सबके बीच जब बात होती है भारत के अनाथ और परित्यक्त बच्चों की कुल संख्या पर, तो एक कठिन चुनौती सामने दिखती है, क्योंकि यूनीसेफ के आँकड़े बताते हैं कि भारत में यह आबादी लगभग तीन करोड़ तक पहुँच चुकी है। विडंबना यह है कि ऐसे ही तेज़ गति से बढ़ रही है तादाद उन दंपतियों की जो निसंतान है या एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं या समलैंगिक समुदाय के हैं।

अपने वंशानुक्रम को जैविक बच्चे के माध्यम से बनाए रखने की पुरातन सोच को चिकित्सकीय तकनीकी प्रगति से बल मिला है और लोग आई.वी.एफ. अथवा सरोगेसी के माध्यम से अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं।

इसके पीछे मुख्य भूमिका इन माध्यमों का ज़ोर-शोर से प्रचार-प्रसार भी हो सकता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि वर्तमान समय में जो क़ानूनी प्रावधान है एवं केंद्रीय दत्तक ग्रहण नियामक प्राधिकरण के जो दिशा-निर्देश है उनकी समीक्षा की जाए कि कहीं यह इतने कठोर तो नहीं कि लोग इन उलझनों में पड़ना ही नहीं चाहते। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है की **लक्ष्मी कांत पांडेय बनाम भारत संघ के मामले में** अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण के संबंध में आने वाली समस्याओं पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्यान केंद्रित किया गया और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि जब भी अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जाए उसमें किसी बच्चे के हितों का दुरुपयोग न हो, उसका शोषण न हो और वह अनैतिक व्यापार जैसे घिनौने कृत्यों में न फँस जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण नियामक प्राधिकरण (कारा) का गठन करने की बात कही गई थी।

वर्ष 1990 में स्थापित यह संस्था 1999 में एक स्वायत्तशासी निकाय बन गया। जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के दत्तक ग्रहण के मामले पर बनाए गए हेग अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया है कि कोई भी दत्तक ग्रहण हो तो आवश्यक रूप से उसका पंजीकरण कारा के माध्यम से ही कराया जाए।

दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न दत्तक ग्रहण के प्रभाव का है कि जब भी कोई बच्चा दत्तक ग्रहण में लिया जाएगा उसके अधिकार एवं कर्त्तव्य पूर्ण रूप से जैविक पुत्र की भाँति ही होंगे ऐसे में विवाद उत्पन्न होता है संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर। चाहे पुत्र हो या पुत्री यदि दत्तक में ली गई है तो वह चाहेगा या चाहेगी कि वह संपत्ति की भी उत्तराधिकारी मानी जाए। अब जहाँ तक हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 की बात है इसमें पुत्र के संबंध में तो कोई विवाद नहीं है किंतु गोद ली गई पुत्री को जन्म से सहदायिकी मानने का कोई उल्लेख नहीं है यानी वह पैतृक संपत्ति की अधिकारिणी नहीं मानी जाती है।

इसी वर्ष के मार्च माह में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एम. वनजा बनाम एम. सरला देवी के मामले में हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत एक वैध दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के लिए धारा 7 एवं 11 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया और यह सुनिश्चित किया गया की एक वैध दत्तक ग्रहण के लिए पत्नी की सहमति एवं दत्तक में बच्चे का देना एवं लेना भी आवश्यक है।

इस मामले में जब बेटी के द्वारा संपत्ति के विभाजन का दावा किया गया तो माता के द्वारा यह तर्क दिया गया कि इस बच्ची का उसके और उसके मृतक पति के द्वारा केवल पालन पोषण किया गया था उसे दत्तक में ग्रहण नहीं किया गया था। न्यायालय ने अपीलार्थी लड़की के पक्ष में निर्णय इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके पास दत्तक ग्रहण का कोई सबूत नहीं था।

समस्या का दूसरा पहलू दत्तक ग्रहण में लिए जाने वाले बच्चे की उम्र का है। आँकड़े बताते हैं कि नवजात शिशुओं को दत्तक में ग्रहण करने का प्रतिशत ज़्यादा है क्योंकि ऐसे बच्चों का पालन-पोषण करते समय उनके अभिभावक नैसर्गिक अभिभावकत्व का सुख प्राप्त करते हैं।

वर्ष 2019-20 के मार्च अंत तक कुल 3,531 बच्चों को जिसमें 2,061 लड़कियाँ हैं, उन्हें भारत में दत्तक ग्रहण में लिया गया। परंतु इसके पीछे का कारण यह नहीं है कि लैंगिक असमानता के मुद्दे पर सोच बदल गई है। बल्कि यह है कि गोद लिए जाने के लिए उपलब्ध बच्चों में उनकी संख्या ज़्यादा है। इनमें 3,120 बच्चे 0 से 5 वर्ष के भीतर के थे जबकि 5 से 18 वर्ष के भीतर के मात्र 411 बच्चे थे। राज्यों के स्तर पर महाराष्ट्र अग्रणी रहा क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग 60 एजेंसियाँ दत्तक ग्रहण से संबंधित है जबकि अन्य राज्यों में यह प्रतिशत

20 या उससे कम का है।

आगे आवश्यकता इस बात की महसूस की जा रही है कि दत्तक ग्रहण का पुनीत उद्देश्य तब और फलीभूत होगा जब हम विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी अपनाने के लिए पहल करेंगे। इस पहल को अमलीजामा पहनाने के लिए यदि क़ानूनी प्रक्रियाओं में भी कुछ ढील दी जाए ताकि लोग प्रेरित हो इस प्रकार के बच्चे को दत्तक में ग्रहण करने के लिए तो उचित होगा।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दत्तक ग्रहण का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। किंतु यह एक विधिक अधिकार अवश्य है और इस प्रक्रिया की सफलता निर्भर करती है उस अभिभावक की पुनीत भावना पर, संस्थाओं की निष्पक्षता पर, हितधारकों की निष्ठा पर और समाज की समृद्ध और उदारवादी सोच पर।

अन्य महत्वपूर्ण प्रयास

ज्ञात हो कि विगत सितंबर 2020 में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के द्वारा संवेदना नाम से एक टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसमें ऐसे बच्चों की टेली काउंसलिंग की जाएगी ताकि उन्हें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और मानसिक सहयोग प्रदान किया जा सके।

यह सुविधा सोमवार से शनिवार 10.00 बजे सुबह से 1.00 बजे तक और दोपहर बाद 3.00 बजे से 8.00 बजे तक दी जाती है। इसमें मुख्य रूप से बच्चों को तीन श्रेणियों में रखा गया है, पहला, ऐसे बच्चे, जो कोविड केयर सेंटर पर है या आइसोलेशन में हैं, दूसरा, ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक या माता-पिता कोविड-19 पॉजिटिव है और तीसरा, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को इस आपदा में खो दिया है।

अभी कुछ ही दिन पहले अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया और विभिन्न लेखों और आयोजनों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई कि परिवार ही सब कुछ है... हमारी हिम्मत, ताक़त, शक्ति, सामर्थ्य और ख़ुशी का केंद्र बिंदु।

ऐसे में जो सबसे महत्त्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न है वह यह कि क्या असमय अनाथ हुई इस आबादी के पास केवल एक मात्र विकल्प दत्तक ग्रहण का ही है या कुछ और विकल्प भी उनकी देखरेख, संरक्षण और पुनर्वासन के लिए सुझाए जा सकते हैं?

बालकों के हितों के लिए काम करने वाली कई संस्थाओं में यह भी सुझाव दिया है कि बच्चों को उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार से अलग न किया जाए। यानी उस परिवार के जो भी नाते रिश्तेदार अपनी स्वेच्छा से बच्चों को रखना चाहते हैं उन विकल्पों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा और किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम, 2015 में धात्रेय पालन के प्रावधान के साथ नातेदारों द्वारा देखभाल का प्रावधान भी जोड़ा जाना चाहिए।

जहाँ तक बाल अभिरक्षा का प्रश्न है यह मूल रूप से तब उत्पन्न होता था जब पति पत्नी के बीच में किसी विवाद के कारण अलगाव होता था तलाक़ होता था और उस समय बच्चा किसके पास रहेगा यह प्रश्न उठता था... और न्यायिक निर्णय एवं विधिक प्रावधानों का जो निष्कर्ष निक़लता था वह यह कि किसी भी बच्चे की अभिरक्षा निर्धारित करते समय उसके नैतिक विकास, उसकी सुरक्षा, उसकी शिक्षा और आर्थिक संरक्षा जैसे प्रश्नों को ध्यान में रखा जाए। यानी जो आर्थिक रूप से संपन्न हो उन्हें बच्चे की अभिरक्षा सौंपी जाए, जो उसे मनोवैज्ञानिक सहयोग, सकारात्मक वातावरण प्रदान कर सकें उन्हें उनकी अभिरक्षा सौंपी जाए और दूसरे पक्ष को मिलने मिलने-जुलने का अधिकार दिया जाए ताकि उस बच्चे को किसी की कोई कमी महसूस न हो।

यहाँ यद्यपि स्थिति थोड़ी अलग है लेकिन ऐसी स्थितियों की भी चर्चा बाल अभिरक्षा के मामले पर हुई है जिसमें न्यायालयों के द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि यदि माता-पिता दोनों नहीं है तो या तो दादा दादी को बच्चे की अभिरक्षा दी जाए या नाना नानी को।

इसमें बालकों की इच्छा और मंजूरी की भी भूमिका अहम होती है।

इस विकल्प के पश्चात् जो दूसरा विकल्प आता है वह है दत्तक ग्रहण का। यह ठीक है कि किसी भी हाल में गोद लेने के नाम पर बाल-तस्करी नहीं होनी चाहिए परंतु इस बात को भी सदैव ध्यान में रखना होगा कि असमय अनाथ हुई इस आबादी का तत्काल प्रभाव से ख़्याल रखा जाए... और समुचित प्रबंधन किया जाए, बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए चिन्हित संस्था कारा के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए परंतु यह भी समयोचित माँग है कि दत्तक ग्रहण संबंधी क़ानूनी प्रक्रिया का पुनर्विलोकन भी किया जाए, और दत्तक ग्रहण को अब कुछ खंडों में विभाजित किया जाए यानी पूर्ण और विधिक दत्तक ग्रहण के अलावा अल्पकालिक दत्तक ग्रहण की भी व्यवस्था की जाए जिसे विधिक भाषा मैं अर्ध दत्तक ग्रहण कहा जाए। ताकि वह नाते रिश्तेदार जो मानवता, इंसानियत और संवेदना के नाम पर बच्चों की देखभाल करना चाहते हैं और उन्हें तात्कालिक मदद पहुँचाना चाहते हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं उन्हें दत्तक ग्रहण के विधिक दायित्वों से मुक्त रखा जाए ताकि इन बच्चों का कल्याण हो सके। हाँ इस अवधि के दौरान यदि ऐसे लोगों को महसूस हो कि वह बच्चों को विधिक रूप से गोद भी लेना चाहते हैं तब यह विकल्प खुला हो कि यदि समस्त औपचारिकताएँ पूरी होती हैं तो उनके सामने पूर्ण दत्तक ग्रहण का विकल्प भी खुला हो।

बच्चों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है ऐसे में यह भी देखना होगा कि ऐसे बच्चों के माता-पिता सरकारी नौकरी में थे या नहीं और उन्हें अनुकंपा के आधार पर मृतक आश्रित मानकर नौकरी दी जा सकती है या नहीं?

यहाँ यह भी सुझाव उल्लेखनीय है कि जिन संगठनों में मृतक आश्रित को नियोजित करने का विकल्प समाप्त कर दिया गया है वह भी अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारी जिसकी मृत्यु

कोविड-19 से हुई है उसके लिए विशेष परिस्थितियों में इस आपातकालीन विकल्प को अपनाएँ और ऐसे बच्चों की आजीविका सुनिश्चित करने की कोशिश करें।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जो पहल इस समय की जा रही है उसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय है जो यह व्यवस्था करता है कि ऐसे बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ उनके परिवारों को 5000/-- प्रति माह दिया जाएगा। यह पहल प्रशंसनीय है। और इस तरह से अन्य राज्यों को भी विकल्प तलाशने होंगे। बताते चलें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा बाल संगोपन योजना के तहत भी इन्हीं बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों द्वारा भी सहायता देने की पहल की जा रही है।

अंत में यह कहा जा सकता है ऐसे बच्चों को दी जाने वाली सुरक्षा और पुनर्वासन संबंधी नीतियों को दो भागों में बाँटना होगा। पहला निकटवर्ती अथवा अल्पावधि योजनाएँ और दूसरा दूरवर्ती या दीर्घावधि योजनाएँ... अल्पावधि योजनाओं में महत्त्वपूर्ण है ऐसे घर परिवारों की पहचान, उनका तत्काल कोविड परीक्षण, उनका सैनिटाइजेशन, उन्हें चिकित्सकीय और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना और समय-समय पर उनका हाल समाचार लेना। और दूरवर्ती योजनाओं के तहत उनका जीवन बीमा कराना तथा उनकी आजीविका सुनिश्चित करना इत्यादि।

आगे आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे बच्चों की जानकारी जिस किसी को मिले वह अपने ज़िले के बाल कल्याण समिति को इसकी तत्काल जानकारी दे।

अस्पतालों में एक स्टाफ को भी चिन्हित किया जाए जो निकटतम संबंधियों के साथ समिति को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराए।

सरकारी प्रयास, जनसमुदाय का सहयोग, नाते रिश्तेदारों की सकारात्मक भूमिका यदि इन बच्चों के जीवन में आए खालीपन को भर सके तो इसे ही इस आपदा में मरहम महसूस किया जाएगा।

❑

डॉ. विपिन कुमार सिंह

कोविड-19 के आपदाकाल में कारपोरेट सामाजिक दायित्व की भूमिका

कंपनी के स्वरूप एवं उनकी पूँजी के आकार में परिवर्तन के साथ ही उनके उद्देश्यों में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। प्रारंभ में जब व्यावसायिक निगम का प्रादुर्भाव हुआ उस समय निगम केवल व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के हितों को बढ़ाने एवं उनकी सुरक्षा करने का एक मात्र साधन माना जाता था; किंतु जैसे-जैसे सामाजिक परिवर्तन होता गया वैसे-वैसे कंपनी के व्यवसाय में क्रांतिकारी विकास होता गया। यह विचारधारा कि कंपनी अंशधारियों की संपत्ति है एवं इससे केवल अंशधारियों का ही हित जुड़ हुआ है, एक मिथक हो गया है। न्यायालय के विभिन्न निर्णयों[1] जिसमें अमेरिकी निर्णय[2] एवं भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति भगवती[3] द्वारा दिया गया निर्णय भी शामिल है, के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि कंपनी एक सामाजिक संस्था है इसलिए वह जिस समाज में कार्य करती है, उस समाज के प्रति कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भी रखती है। किसी भी अंशधारी को मालिक नहीं मानना चाहिए बल्कि यह मानना चाहिए कि एक कंपनी न केवल अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी है अपितु इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों के प्रति भी दायित्वाधीन होती है।

वर्तमान युग में कंपनी समाज के आर्थिक तंत्र के अंतर्गत आता है तथा ऐसे समाज का आर्थिक तंत्र एक राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक नीतियों से प्रभावित एवं निर्देशित होता है। एक राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ कहीं-न-कहीं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती हैं। 'व्यवसाय के सामाजिक दायित्व का सिद्धांत' भारत के साथ ही अन्य देशों में भी प्रतिपादित किया गया है। व्यवसाय के 'सामाजिक दायित्व का सिद्धांत' न्यासिता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार व्यवसाय करने वाले, उस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने हेतु न्यासी के रूप में कार्य करते हैं और व्यवसाय इन सभी व्यक्तियों का न्यास होता है।

प्रत्येक व्यवसायिक संगठन का यह उत्तरदायित्व है कि उसके द्वारा ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं की इच्छाओं के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराए, ऐसी वस्तुओं का उचित मूल्य लगाये, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएँ उपलब्ध कराए। इस निमित्त सरकार द्वारा समय-समय पर

उपभोक्ताओं एवं समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा हेतु अनेक अधिनियम बनाए गए हैं। जैसे; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948, दी वीकली हॉलिडेज एक्ट, 1942, दी फैटल एक्सीडेंट एक्ट, 1935, दी पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, 1936, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 आदि।

एक व्यवसायी का समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है जैसे -- उसका यह उत्तरदायित्व है कि वह एकाधिकार रूपी शोषण की मनोवृत्ति का उन्मूलन करें, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे जनमानस की भावना को पीड़ा पहुँचे। इसके अतिरिक्त उसका यह भी उत्तरदायित्व है कि वह कल्याणकारी क्रियाओं जैसे -- अस्पताल, विद्यालय, पुस्तकालय आदि के निर्माण एवं संचालन में सहयोग प्रदान करे, समाज के लोगों को रोज़गार सुलभ कराए एवं उस समाज के व्यक्तियों को उच्च-स्तरीय जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करें। चूँकि कंपनी भी प्रमुख रूप से व्यवसायिक संगठन है इसलिए उसे भी सामाजिक दायित्व का पालन करना आवश्यक है। इस हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 में 'कारपोरेट सामाजिक दायित्व' का प्रावधान किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के पूर्व कंपनियों पर कोई अनिवार्य सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं था अपितु कंपनियाँ इन उत्तरदायित्वों का स्वेच्छा से निर्वहन करती थी। स्वेच्छा निर्वहन का परिणाम यह होता था कि कंपनियाँ पर्याप्त लाभार्जन के बावजूद आवश्यक सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करती थीं। इसलिए सामाजिक दायित्व का पालन कराने के उद्देश्य से प्रथम बार कंपनियों के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) को भारत में विधान मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के माध्यम से अनिवार्य किया गया है। अनुसूची 7 में उन कार्यकलापों को शामिल किया गया है जो कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन चलाए जा सकते हैं। कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 कंपनियों द्वारा अधिनियम के सी.एस.आर. उपबंधों के अनुपालन की रीति विहित करता है। सी.एस.आर. मानदंड उन कंपनियों पर लागू किया गया है जिनका सलाना शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपए अथवा अधिक है या जिसका सलाना सकल उत्पाद 1000 करोड़ रुपए अथवा अधिक है या जिसका सलाना शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अनुसूची 7 और कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014, 27 फरवरी, 2014 को अधिसूचित किए गए थे और 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुए। वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का संशोधन करते हुए कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 बनाया है, जो इसके प्रकाशन की तारीख़ 22 जनवरी, 2021 को प्रवृत्त हो गए। ऐसा प्रवर्तन कोरोना महामारी को देखते हुए अविलंब किया गया है। भारत में कोविड 19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित करने के पश्चात् भारत सरकार ने भी इसे आपदा अधिसूचित किया है। 23

मार्च, 2021 के अधिसूचना द्वारा भारत सरकार ने अनुसूची 7 के मद संख्या (i) एवं (x) के स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु निवारक एवं स्वच्छता तथा आपदा प्रबंधन हेतु सी.एस.आर. कोष का उपयोग करने की अधिसूचना जारी की।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य यह है कि अनुसूची 7 को विस्तारित करते हुए मद संख्या (xii) को क्यों सम्मिलित किया गया? क्या ऐसा संशोधन कोविड-19 से निपटने में सहायक है? क्या सी.एस.आर. व्यय में ख़र्च न की गई राशि का अंतरण हो सकता है? क्या सी.एस. आर. व्यय का मूल्यांकन स्वतंत्र अभिकरण द्वारा किया जाना अनिवार्य है? क्या आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष में दी गई धनराशि सी.एस.आर. व्यय के अंतर्गत आता है? तथा ऐसी सी.एस.आर. राशि का प्रयोग कितने वर्षों तक तथा किन-किन निधियों में हो सकता है? आदि बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए शोध-पत्र लिखा गया है।

'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष' में दी गई धनराशि कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय के रूप में --

हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए नवीन 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष' (पी. एम. केयर्स फंड) को अनुसूची 7 के मद (viii) में अधिसूचित किया है जिससे कंपनियाँ अपने सी.एस.आर. धनराशि को इस निधि में डाल सकती हैं और यह ख़र्च सी.एस.आर. व्यय के अंतर्गत आएगा।[4] वर्तमान में यह विशेष निधि कोविड-19 की महामारी से निपटने हेतु अत्यन्त उपयोगी भी साबित हो रही है। इस संशोधन के पूर्व अनुसूची 7 के मद (viii) में 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि' का ही उल्लेख था, जो एक सामान्य राहत निधि थी जिसमें भूकंप, बाढ़, भूस्खलन आदि शामिल थे, किसी विशेष आपदा हेतु कोई राहत निधि नहीं थी। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों आदि के विकास व जनकल्याण के लिए निधियों का प्रावधान था। अब केंद्रीय सरकार द्वारा एक विशेष निर्दिष्ट निधि 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष' की स्थापना की है जिससे कोविड-19 जैसी विशेष महामारी से निपटने के लिए इस निधि का बेहतर प्रयोग किया जा सकता है।

'मुख्यमंत्री राहत कोष' या 'राज्य राहत कोष' को कंपनी अधिनियम के अनुसूची 7 में शामिल नहीं किया गया है। कारपोरेट मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 'मुख्यमंत्री राहत कोष' या 'राज्य राहत कोष' में किया गया कोई योगदान सी.एस.आर. व्यय के अंतर्गत नहीं आएगा किंतु यदि कोविड-19 का निवारण करने के लिए राज्य आपदा में कोई व्यय किया जाता है तो वह सी.एस.आर. व्यय के अंतर्गत आएगा क्योंकि ऐसी आपदा अनुसूची 7 के मद संख्या (xii) में सम्मिलित है।[5] इसी आपदा को संशोधन अधिसूचना 30 मई, 2019 के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 7 के मद संख्या (xii) में शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यकलाप सहित आपदा प्रबंधन आता है, जो कि आज कोविड-19 की इस महामारी में सी.एस.आर. व्यय के माध्यम से एक महत्त्वपूर्ण भूमिका

का निर्वहन कर रही है।

कारपोरेट मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोविड-19 से संबंधित क्रियाएँ जैसे मास्क, सैनेटाइजेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु रोकथाम क्रियाओं एवं आपदा प्रबंधन में व्यय भी सी.एस.आर. व्यय माना जाएगा किंतु लॉकडाउन अवधि या सामाजिक दूरी आदि बनाए रखने में अनुपस्थित कर्मचारी या सेवक आदि को किया गया वेतन भुगतान कंपनी की नैतिक बाध्यता माना जाएगा न कि सी.एस.आर. व्यय। अर्थात् ऐसे अनुपस्थित कर्मचारियों को किया गया वेतन भुगतान ख़र्च सी.एस.आर. व्यय में शामिल नहीं होगा। किंतु यह भी कि कोविड 19 के निवारण कार्य में यदि आकस्मिक कर्मचारी, सेवक या मज़दूर आदि को कोई भुगतान किया जाता है तो ऐसे भुगतान को सी.एस.आर. व्यय के अंतर्गत माना जाएगा।

कारोबार से संबंधित सामान्य अनुक्रम में नए टीकों, औषधीय और चिकित्सा उपकरणों के बारे में अनुसंधान और विकासगत क्रियाकलाप में लिप्त कोई कंपनी वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 के लिए कोविड-19 से संबंधित टीकों, औषधों और चिकित्सा उपकरणों के बारे में अनुसंधान और विकास कार्य भी कर सकते हैं बशर्ते ऐसे अनुसन्धान और विकास कार्यकलापों को अधिनियम के अनुसूची 7 की मद (ix) में उल्लिखित संस्थानों अथवा संगठनों में से किसी के भी सहयोग से निष्पादित किया जाए।[6]

बहु-वर्षीय कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय ('मल्टी-ईयर' सी.एस.आर. एक्सपेंडीचर)

'मल्टी-ईयर' सी.एस.आर. को एक प्रमुख संशोधन माना जा रहा है जिसके अनुसार यदि एक वर्ष में सी.एस.आर. व्यय हेतु अधिनियम द्वारा विहित धनराशि से अधिक राशि ख़र्च की जाती है तो उसे आगामी तीन वित्तीय वर्षों की अवधि तक मुजरा (समायोजित) किया जा सकता है।[7] ऐसा प्रावधान बनाने का उद्देश्य कोविड-19 जैसी महामारी में अधिक राशि के प्रयोग की आवश्यकता को देखते हुए किया गया है। इसी के साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई राशि उस वर्ष ख़र्च नहीं किया जाता है तो उसे सी.एस.आर. एकाउंट में स्थानांतरित करना होगा। इस मल्टी ईयर सी.एस.आर. व्यय प्रावधान से कंपनियों को परियोजनाएँ लागू करने में आसानी होगी और वे बेहतर परियोजनाओं पर कार्य कर सकेंगी।

इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) में स्पष्ट किया गया है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पाँच सौ करोड़ या अधिक के शुद्ध मूल्य वाली या एक हज़ार करोड़ या अधिक के कारबार करने वाली या पाँच करोड़ या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ठीक पिछले तीन वर्षों में अर्जित औसत शुद्ध लाभ का या जहाँ कंपनी ने अपने निगमन के बाद से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि पूरी नहीं की है, सी.एस.आर. नीति के अनुसरण में, तात्कालिक वित्तीय वर्षों के दौरान कम से कम दो प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करे। शर्त यह भी है कि ऐसी सी.एस.आर. राशि ख़र्च करने में कंपनी स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता देगी तथा साथ ही साथ यदि

कंपनी ऐसी राशि ख़र्च करने में विफल रहती है तो ऐसे में बोर्ड राशि ख़र्च न करने के कारणों को निर्दिष्ट करेगा और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर अनुसूची 7 में निर्दिष्ट निधि में ऐसी अनिर्दिष्ट राशि को हस्तांतरित करेगा।

अर्थात् जो कंपनियाँ सी.एस.आर. मानदंड के अंतर्गत आती हैं यदि वे सी.एस.आर. की पूरी धनराशि का उपयोग नहीं करती है तो उन्हें ऐसे वित्तीय वर्ष में ख़र्च न किए गए धनराशि को वार्षिक रिपोर्ट में बताना होगा तथा ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर अधिनियम की अनुसूची 7 के अंतर्गत आने वाली निधियों (जैसे; प्रधानमंत्री राहत कोष) में से किसी एक में हस्तानांतरित करना होगा।[8]

यदि उपरोक्त अव्ययित सी.एस.आर. की धनराशि 'चालू परियोजनाओं' हेतु है तो ऐसी ख़र्च न होने वाली धनराशि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 30 दिन के भीतर एक अलग सी. एस.आर. बैंक ख़ाते में रखना होगा जिसे 'अव्ययित सी.एस.आर. एकाउंट' के नाम से जाना जाएगा। ऐसे ख़ाते की धनराशि को तीन वर्षों में ख़र्च करना होगा। यदि कंपनी तीन वर्ष बाद भी ऐसे 'अव्ययित सी.एस.आर. एकाउंट' की धनराशि ख़र्च करने में असफल रह जाती है तो उसे ऐसी शेष राशि को अनुसूची 7 में उल्लिखित निधियों में से किसी एक में 30 दिन के भीतर हस्तान्तरित करना होगा।[9]

उपरोक्त दोनों प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कंपनी ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगी जो पचास हज़ार रुपए से कम नहीं होगा किंतु पच्चीस लाख रुपए तक हो सकेगा तथा ऐसी कंपनी का प्रत्येक अधिकारी कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा अथवा जुर्माने से जो पचास हज़ार से अन्यून किंतु जो पाँच लाख तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा।[10] इस प्रकार कारपोरेट मंत्रालय द्वारा किए गए इस संशोधन का मूल लाभ यह है कि अब कंपनियाँ एक वर्ष से अधिक लंबी परियोजनाओं पर भी कार्य कर सकती हैं। इसी अनुक्रम में भारत सरकार द्वारा यह फ़ैसला लिया गया है कि यदि कंपनी द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन से संबंधित शोध कार्य पर ख़र्च किया जा रहा है तो उसे अगले तीन वर्षों तक सी.एस.आर. व्यय के रूप में माना जाएगा।

मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय का सत्यापन

अब कंपनियाँ अकेले अथवा दूसरी कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से सी.एस.आर. कोष का व्ययन कर सकती हैं किंतु शर्त यह है कि वे अपने-अपने ख़र्चों का अलग-अलग ब्यौरा देंगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी कंपनियों से अपेक्षा की गई है कि वे ऐसे फंड के ख़र्चों का सत्यापन मुख्य वित्तीय अधिकारी से कराएगी।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों को कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना

कंपनी का निदेशक बोर्ड सी.एस.आर. समिति की संरचना, और सी.एस.आर. नीति तथा

बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से सामान्य जनता के अवलोकन के लिए अपनी वेबसाइट, यदि कोई हो, पर दर्शित करेगा।[11] ऐसा नवीन संशोधन के द्वारा कंपनियों से अपेक्षा की गई है।

स्वतंत्र अभिकरण द्वारा मूल्यांकन

ऐसी कंपनी जिसका पिछले तत्काल तीन वित्तीय वर्षों में वार्षिक सी.एस.आर. व्यय 10 करोड़ या उससे अधिक है वे एक स्वतंत्र अभिकरण के माध्यम से सी.एस.आर. परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन कराएँगी। ऐसा प्रावधान कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 का नियम 8 के उपनियम (3) द्वारा किया गया है जो सी.एस.आर. रिपोर्टिंग हेतु एक लाभकारी क़दम है।

ख़र्च न की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व राशि का अंतरण

जब तक कोई विशेष निधि अधिसूचित नहीं की जाती है, इस अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन अव्ययित कारपोरेट सामाजिक दायित्व राशि इस अधिनियम की अनुसूची 7 में सम्मिलित किसी निधि के लिए कंपनी द्वारा अंतरित की जाएगी।[12] अर्थात् अब राशि ख़र्च न करने की स्थिति में सरकार द्वारा बताई गई विशेष निधि में सी.एस.आर. व्यय करना होगा अथवा अनुसूची 7 में सम्मिलित किसी निधि में से किसी एक में धनराशि अंतरित करना होगा।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निक़लता है कि 30 मई, 2019 की अधिसूचना द्वारा अनुसूची 7 में मद संख्या (xii) जो 'आपदा' से संबंधित है, अधिनियम में स्थापित किया गया है। कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 21 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में संशोधन करके उपधारा (5) में संशोधन के साथ-साथ उपधारा (6), (7) और (8) अंतर्विष्ट किया गया है। यह संशोधन अधिनियम 31 जुलाई, 2019 को अधिनियमित हो गई थी किंतु इसका प्रवर्तन कोविड-19 की महामारी से निपटने हेतु 22 जनवरी, 2021 को किया गया। साथ ही साथ 22 जनवरी, 2021 की अधिसूचना में ही केंद्र सरकार द्वारा कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का संशोधन करते हुए 'कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत कंपनियों, बोर्डों, सी.एस.आर. समितियों, सी.एस.आर. नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शुद्ध लाभों, चालू परियोजनाओं, सी.एस.आर. कार्यान्वयनों, सी.एस.आर. व्ययों, सी.एस.आर. रिपोर्टिंग आदि से संबंधित ज़िम्मेदारियों को रेखांकित करते हुए व्यापक बदलाव किया गया है। इसके अंतर्गत अव्ययित धनराशि को किसी विशेष अव्ययित सी.एस.आर. एकाउन्ट में हस्तानांतरित करना भी

शामिल है। कारपोरेट प्रशासन को मजबूती प्रदान करने हेतु सी.एस.आर. समितियों के द्वारा एक पारदर्शी निगरानी तंत्र की स्थापना हेतु आबद्ध किया गया है। सभी सी.एस.आर. मानदंड वाली कंपनियों को सी.एस.आर. पंजीकरण हेतु बाध्यकारी बनाया गया है तथा इसे कंपनियों द्वारा वार्षिक रिपोर्टों में उद्धृत करना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (7) के माध्यम से दंड का सख़्त प्रावधान किया गया है तथा कंपनियों की जवाबदेही भी कई गुना अधिक बढ़ गई है।

इस प्रकार उपरोक्त संशोधन कोविड-19 महामारी में रामबाण साबित हुए हैं जिसके माध्यम से अब कंपनियाँ कम से कम तीन वित्तीय वर्ष के बराबर एक ही वर्ष में महामारी हेतु सी. एस.आर. राशि ख़र्च कर सकती है और आने वाले वित्तीय वर्ष में उसे समायोजित कर सकती हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 135 एवं अनुसूची 7 का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन में एवं इस कोविड-19 जैसी महामारी में उपयोगी साबित हो रही है और भविष्य में इसके बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है।

❑

संदर्भ

1. चेतन जी कोलरा और अन्य बनाम रॉकबुल (इंडिया) लिमिटेड (2010)96 सी.एल.ए. 470, आंध्र प्रदेश
2. सांटा क्लारा कंट्री बनाम साउदर्न पेसिफिक आर.आर. (1886) 394
3. नेशनल टेक्सटाइल्स वर्क्स यूनियन बनाम पी.आर. रामकृष्णन ए.आई.आर.1983 एस.सी. 75
4. अधिसूचना दिनांक 26 मई, 2020 (प्रवर्तन तिथि 28 मार्च, 2020)
5. सामान्य परिपत्र संख्या 10/2020 दिनांक 23 मार्च, 2020
6. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 की धारा 2(घ)
7. उसी में, नियम 7 का उपनियम (3)
8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5)
9. उसी में, धारा 135 की उपधारा (6)
10. उसी में, धारा 135 की उपधारा (7)
11. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 का नियम (9)
12. उसी में, नियम (10)

डॉ. मंजू चंद्रा

बौद्धिक संपदा अधिकार एवं विश्व व्यापार संगठन : वर्तमान प्रासंगिकता

ईश्वर की इस धरती पर अनुपम कृपा रही है जिसमें मनुष्य को इस पृथ्वी का सबसे सफल, शक्तिशाली व विजेता प्राणी माना जाता है जबकि पृथ्वी पर अनेक जीव-जंतु व प्राणी रहते है।, परंतु इन सभी में एकमात्र मनुष्य ने ही अपने मस्तिष्क का उपयोग कर शेर, हाथी, चीता एवं विशाल शक्तिशाली जीवों को अपने वश में करने की शक्ति प्राप्त की। यह भी एक कटु सत्य है कि सभी मनुष्यों में उनकी बुद्धि का स्तर एक समान नहीं होता है। मानव मस्तिष्क का विकास किसी उम्र, स्थान, लिंग अथवा जलवायु पर निर्भर नहीं करता अर्थात् एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला या फुटपाथ पर सोने वाला एवं उम्र में छोटा व्यक्ति भी विकसित मस्तिष्क का मालिक हो सकता है। इन्हीं में से कुछ व्यक्ति नये-नये आविष्कार करते हैं।

मानवीय जिज्ञासा बड़ी ही प्रबल होती है, क्योंकि वह अल्प समय में बहुत कुछ जानना एवं पाना चाहता है जिससे उनके मस्तिष्क में हमेशा कुछ नया करने एवं सोचने की जिज्ञासा रहती है। मस्तिष्क की ऐसी अभिव्यक्ति जो किसी आविष्कार अथवा कोई साहित्यिक या कलात्मक कार्य में बदली जा सके जैसे कोई पहचान चिह्न, प्रतीक, नाम, प्रतिमाएँ जिनका वाणिज्य में इस्तेमाल किया जा सकता है, बौद्धिक संपदा कहलाता है। बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित संगीत, साहित्य, कला, चित्र, खोज, प्रतीक, नाम, डिज़ाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि को कहते हैं, जिसमें मानव मस्तिष्क से निर्मित ऐसी रचनाएँ शामिल होती हैं जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। इसमें मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्ग शामिल हैं। इनके अतिरिक्त ट्रेड, सीक्रेट्स, प्रचार, अधिकार, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा के ख़िलाफ़ अधिकार भी इसमें शामिल हैं। व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। जैसे ''अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन करता है तो उस पर उसी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए।"

मुख्य शब्द : बौद्धिक संपदा, W.T.O., ट्रिप्स, पेटेंट

बौद्धिक संपदा अधिकार मानव मस्तिष्क की उपज है, ऐसे कई देश हैं जो क़ानून बनाकर

इन्हें सुरक्षित करते आ रहे हैं। इसका उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है। 12 मई, 2016 को केंद्रीय मंत्रीमंडल द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (IPR) को स्वीकृति प्रदान की गई। इस अधिकार नीति ने भारत में रचनात्मक एवं अभिनव ऊर्जा के भंडार को प्रोत्साहित किया, जिससे बौद्धिक संपदा के संरक्षण और प्रोत्साहन में मदद मिल रही है एवं मानवीय बौद्धिक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह भी हो रहा है।

बौद्धिक संपदा अधिकार एक प्रकार से क़ानूनों की शुरुआत थी। यह अधिकार आधुनिक अवधारणा नहीं है। 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से साहित्यिक कार्यों की नक़ल करने का काम संभव हुआ। इस ग़ैर-क़ानूनी नक़ल को देखते हुए व्यक्तिगत रचनाओं और आविष्कारों के संरक्षण के लिए क़ानून बनाए गए। बौद्धिक संपदा संरक्षण के क्षेत्र में साहित्यिक चोरी या नक़ल किया जाना सबसे गंभीर मुद्दा है क्योंकि इससे रचनाकर्ता की मौलिकता और प्रमाणिकता को आघात पहुँचता है। IPR (Intellectual Property Rights) यानी बौद्धिक संपदा अधिकार मुख्य रूप से एक वैधानिक अधिकार है जो उत्पादक कार्य के रचनाकर्ता अथवा स्वामी को प्रदान किया जाता है ताकि वह एक निश्चित अवधि तक अन्य लोगों को अपने उत्पाद के वाणिज्यिक दोहन से रोक सके। यह अधिकार ही रचनाकर्ता/ आविष्कारकर्ता को उत्पादन/कार्य का मालिक बनाते हैं।

IPR अनुसंधान एक उभरता हुआ क्षेत्र हैं, इसका प्रभाव देश में व्यापक स्तर पर हो रहा है, जिसके तहत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि वह अनुसंधान व विकास संगठनों, शिक्षा, संस्थानों, लघु एवं मध्यम उपक्रमों, स्टार्टअप एवं अन्य हित धारकों को शक्ति संपन्न बनाएगी, ताकि वे अभिनव और रचनात्मक बौद्धिक माहौल का वातावरण निर्मित कर सकें जिससे न केवल व्यक्ति विशेष को ही लाभ मिलेगा, अपितु इसके प्रचार-प्रसार से देश व समाज की सामाजिक, आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार किसी व्यक्ति/एजेंसी को उनकी रचनात्मकता/नवाचार के लिए दिए जाते हैं। हमारे देश में बौद्धिक संपदा का महत्त्व वैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक सभी स्तरों पर है। जिसमें विश्व व्यापार भी सम्मिलित है।

विश्व व्यापार संगठन : बौद्धिक संपदा अधिकार के आयाम (W.T.O : 'World Trade Organization aspects of Intellectual property rights')

विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इस संगठन की स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट) के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। वर्तमान में इसके लगभग 164 देश सदस्य हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी प्रमुख आर्थिक शक्तियाँ अपने लाभ के लिए व्यापार नियमों को बनाने हेतु W.T.O का उपयोग करने में सफल रही हैं। W.T.O संगठन की रणनीतिक दिशा तय करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत समझौतों पर अंतिम

निर्णय लेने के लिए ज़िम्मेदार होता है। विश्व व्यापार संगठन के समझौते लम्बे और जटिल होते हैं। सन् 1994 में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization aspects of Intellectual property rights (TRIPS) ट्रिप्स इस संगठन का समझौता है। W.T.O का संचालन उसके सदस्य देशों की सरकारें करती हैं। साथ ही W.T.O समझौते वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा को कवर करते हैं। ये समझौते स्थायी नहीं होते। समय-समय पर इन पर बातचीत की जाती है और कई नए समझौते भी जोड़े जाते हैं। W.T.O समझौते के तहत सरकारों को लागू क़ानूनों एवं अपनाए गए नियमों के बारे में विश्व व्यापार संगठन W.T.O को सूचित कर अपनी व्यापार नीतियों को पारदर्शी बनाने की आवश्यकता होती है। W.T.O के समझौतों में विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान होते हैं। इसमें समझौते और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए अधिक समय, उनके व्यापार अवसरों को बढ़ाने के उपाय, व्यापार, क्षमता के निर्माण, विवादों से निपटने व तकनीकी मानकों को लागू करने में मदद करने के लिए किए जाते हैं। साथ ही विकासशील देशों को उनके व्यापार में विस्तार के लिए ज़रूरी कौशल एवं संरचनात्मक ढाँचे के विकास हेतु व्यापार के लिए सहयोग प्रदान करता है और उनको अपने राष्ट्रीय क़ानूनों में परिवर्तनों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति देता है।

विश्व व्यापार संगठन W.T.O का मुख्य उद्देश्य विश्व में मुक्त, अधिक पारदर्शी तथा अनुमन्य व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना है, विश्व व्यापार संगठन एक ठोस क़ानूनी प्रक्रिया पर आधारित है। W.T.O पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। W.T.O कई न्यायकोष का भी प्रबंध करता है, जिसमें सदस्य सभी देश योगदान करते हैं। W.T.O वैश्विक व्यापार नियम बनाने वाला एक निकाय है।

Trade Related Aspect of intellectual Property Rights (TRIPS)

विश्व व्यापार संगठन ने बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबद्ध व्यापार विवादों को दूर करने के लिए ट्रिप्स (TRIPS) व्यवस्था बनाई है, जो विश्व व्यापार द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय संधि है। "Trade Related Aspect of intellectual Property Rights" (TRIPS) अन्य बातों के समझौते के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू ट्रिप्स पर भी एक समझौता है जो एक जनवरी, 1995 से लागू हुआ था, यह कॉपीराइट, औद्योगिक डिज़ाइन, पेटेंट और अघोषित सूचना या व्यापार गोपनीयता जैसे बौद्धिक संपदा पर बहुपक्षीय समझौता है।

ट्रिप्स W.T.O सदस्य देशों को बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के अनुपालन के लिए बाध्य करता है जिसमें भारत भी शामिल है। इसीलिए भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित क़ानूनों को संशोधित किया है। ट्रिप्स उन सदस्य देशों में जहाँ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए विकृतियाँ एवं बाधाएँ हैं, उनके लिए कुशल एवं पर्याप्त संरक्षण को निर्धारित करता है। ट्रिप्स

के तहत दायित्व सभी सदस्य राज्यों के लिए समान रूप से लागू होते है। साथ ही ट्रिप्स के द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है।

वर्तमान विश्व बौद्धिक संपदा सुरक्षा से संबंधित मानकों का निर्धारण बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते (एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड ऑस्पेक्ट्स ऑफ इंटैलैक्चुअल प्रापर्टी राईट्स) या TRIPS द्वारा किया जाता है। इसे आधार बनाते हुए ट्रिप्स प्लस के प्रावधानों में पेटेंट क़ानूनों की सुरक्षा, ट्रिप्स समझौते की तुलना में और अधिकार कठोर IPR क़ानून, मानकों को संदर्भित किया गया है। इसके अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्ति की एक विस्तृत शृंखला हेतु संरक्षा का विस्तार किया गया है। साथ ही TRIPS व्यवस्था में विद्यमान नए प्रावधानों में कमी लाई गई है जिसमें बौद्धिक संपत्ति के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है।

ट्रिप्स विदेशी निवेश की बाधाओं को दूर करने की व्यवस्था करता है, जो स्वतंत्र व्यापार में बाधा बनती हैं, उत्पाद की शर्तों को प्रभावित करती हैं तथा लागतों व क़ीमतों को भी प्रभावित करती हैं।

TRIPS (ट्रिप्स) वर्तमान प्रासंगिकता

भारत ने विश्व व्यापार संगठन के समक्ष कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के कुछ प्रावधानों से अस्थाई तौर पर छूट मिलने से मानवीय जीवन बचाने और वैश्विक व्यापार में पुनरुद्धार तथा अंतरराष्ट्रीय जी.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पाद) को गति देने में मदद मिलेगी। वर्तमान भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 2.9 करोड़ हो गई है, जबकि मृत्यु आँकड़ा लगभग तीन लाख तक पहुँच गया है। विश्व में कोरोना की दवाईयों को लेकर कई प्रयोग किए जा रहे हैं। जो देश सबसे पहले दवा बनाएगा, जाहिर सी बात है W.T.O.में वहीं पहले पेटेंट करवाएगा और वही देश उस दवा से जुड़े उत्पाद, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का पूरा अधिकार रखेगा। जहाँ एक तरफ़ कोविड-19 से विकासशील देश काफ़ी प्रभावित हुए लेकिन क्या किफ़ायती दवाओं या वैक्सीन की उपलब्धता के रास्ते में पेटेंट व बौद्धिक संपदा अधिकारों से अड़चन पैदा होगी।[2]

भारत व अफ्रीका ने भी कहा है कि विकासशील देश महामारी से प्रभावित हैं और पेटेंट व बौद्धिक संपदा अधिकार सस्ती चिकित्सा के प्रावधान में बाधा बन रहे हैं। अमेरिका ने एंटी कोविड वैक्सीन पर पेटेंट सुरक्षा हटाने का भारत व साउथ अफ्रीका के प्रस्ताव का W.T.O. में समर्थन किया है, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए उसके पेटेंट को अस्थाई रूप से हटाया जाना चाहिए। अमेरिका ने वैक्सीन को बौद्धिक संपदा अधिकार से बाहर रखने की W.T.O. की पहल भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है क्योंकि भारत चाहता है कि कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया की दूसरी कंपनियाँ आगे आएँ। साथ ही भारत ने W.T.O. से माँग की थी कि वह फार्मा कंपनियों को कोरोना वैक्सीन बनाने की

अनुमति दे। हालाँकि इस पहल का कंपनियों ने विरोध किया है।

अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई (Katherine Tai) ने कहा है कि वाइडेन प्रशासन बौद्धिक संपदा की सुरक्षा का समर्थन करता है, लेकिन वैक्सीन पेटेंट में छूट सिर्फ़ कोरोना वायरस महामारी को ख़त्म करने तक दी जा रही है, जिससे कोरोना वैक्सीन के लिए परेशानी का सामना कर रहे ग़रीब देशों को वैक्सीन मिलने की एक उम्मीद जगी है। लेकिन दवा कंपनियों का कहना है कि पेटेंट छूट से उत्पादन नहीं बढ़ेगा क्योंकि कान्ट्रैक्टर्स के पास टैक्नोलॉजी नहीं है। साथ ही चीन ने भी भारत व दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का समर्थन किया है। क्योंकि पेटेंट व बौद्धिक संपदा अधिकार के कुछ नियम कोरोना की दवाईयों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने में बाध्य हो सकती हैं। पेटेंट के बाद अगर कोई दूसरा देश भी दवा बनाकर पेटेंट के लिए आवेदन करता है तो वर्तमान बौद्धिक संपदा अधिकार के नियमों के तहत पहले से पेटेंट हुई दवा से फार्मूला मैच होने की स्थिति में आवेदन निरस्त हो सकता है। विकसित देशों के पास अधिक संसाधन है, इसलिए स्वाभाविक है पेटेंट कराने की रेस में वही आगे होंगे, ऐसे में विकासशील देशों का क्या होगा?

निष्कर्ष

विश्व व्यापार संगठन की धुरी उदारीकरण एवं भूमंडलीयकरण है, मुक्त एवं भेद-भाव रहित अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विकसित देशों का उद्देश्य अपने हितों को बढ़ाना है। भारत लगभग 25 सालों से विश्व व्यापार नियमों का संचालन करता चला आ रहा है। जहाँ भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए W.T.O. वैश्विक स्तर पर एकमात्र लोकतांत्रिक मंच है, वहीं अमेरिका जैसे विकसित देश कभी-कभी मनमाफिक फ़ैसले की उम्मीद भी करने लगते हैं। कई विकासशील देशों की वैश्विक बाज़ार में तरक्की में W.T.O. का बड़ा योगदान रहा है। ख़ुद भारत बीते दो दशकों में अमेरिका व चीन जैसे देशों से अपनी बात मनवाने में सफल रहा है। साथ ही उसने अपनी कई इंटैलैक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की रक्षा भी की है। अगर विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता कम होगी तो निश्चित ही जापान, चीन, अमेरिका जैसे बड़े देश मनमानी करने लगेंगे, जिससे आय व व्यापार में कमी आएगी। विकासशील देशों के लिए व्यापार के निष्पक्ष नियम व उनकी घरेलू नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि विकसित व विकासशील देशों के अलग-अलग हित होने के कारण अलग-अलग नियमावली हो सकती है। इसलिये अल्प विकसित व विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखकर व्यवस्थित व मुक्त व्यापार की पद्धति विकसित की जा सकती है जिससे व्यापार में ठोस दीर्घकालीन पारदर्शी परिणाम सामने आ सकते हैं। साथ ही अल्प विकसित व विकासशील देश पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क व भौगोलिक संकेतक को दुरुस्त बनाकर व्यापार को प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथ ही भारत को दवाओं की क़ीमतों को भी क़ाबू में रखने के लिए स्वास्थ्य के साथ-साथ पेटेंट क़ानूनों

पर भी संतुलन बनाना चाहिए। कई देशों में दवाओं की क़ीमतें अधिक होने से जीवनरक्षक दवाएँ आम नागरिकों की पहुँच से बाहर होती हैं। भारत एक विकासशील देश है, इसका उभरता बाज़ार अन्य देशों के लिए भी लाभप्रद है। अतः भारत को चीन की तरह बड़ी संख्या में पेंटेंट पंजीकृत कराने चाहिए। ताकि अनुसंधान एवं आविष्कार कुछ हाथों तक सीमित न रहें जिससे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। भारत व चीन विश्व की विशाल अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं तथा अपना महत्त्व पुनः प्राप्त करने के लिए अद्यतन हैं। दोनों देश अपने सौहार्द से व्यापार बाधाओं को कम कर सकते हैं। साथ ही व्यापार को मजबूत करने के लिए भारत को अपने प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि आज विश्व व्यापार में शक्ति की जगह आर्थिक संपन्नता ने ले ली है। जो देश आर्थिक रूप से जितना संपन्न है, विश्व व्यापार में उसका वर्चस्व उतना ही अधिक है। आज इस आर्थिक संपन्नता की होड़ ने बौद्धिक संपदा की व्यवसायिक उपयोगिता एवं उसका क़ानूनी संरक्षण अनिवार्य कर दिया है। हमारे देश की प्राचीन तकनीकी, चिकित्सकीय, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक संपदा है वह समस्त नये विचारों का स्रोत है। वर्तमान में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं और विधियों जिनका भूतकाल में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है उनके प्रदर्शन में सुधार हेतु कोई सृजनात्मक कार्य करना अथवा पुराने विचारों, तकनीकों एवं पद्धतियों पर आधारित नवीन विचारों का सृजन करना सभी बौद्धिक संपदा अधिकार को जन्म देते हैं। विश्व में आज बौद्धिक संपदा का महत्त्व तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जिन देशों के बौद्धिक संपदा अधिकार सुव्यवस्थित हैं, वहाँ आर्थिक विकास तेज़ी से हुआ है। IPR अनुसंधान एक उभरता हुआ क्षेत्र है, इसका देश में व्यापक स्तर पर प्रभाव हो रहा है। जिसके लिए हम सभी की भागीदारी और जागरूकता अनिवार्य है क्योंकि बुद्धि की शक्ति से हम कुछ भी बेहतर करने में सक्षम हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है परंतु इसे और अधिक धार दिए जाने की आवश्यकता है।

❑

संदर्भ

1. डॉ. जयनारायण पांडेय, भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद
2. डॉ. मुंशीलाल गौतम, भारत का संविधान, संबोधि प्रकाशक
3. W.T.O. Intellectual Property (TRIPS) Gateway (wto.org, 2021)
4. https//:www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips/ehtm7accessed7june-2021
5. (BLR 2834) India – trips-wto (1999) 18 Biotechnology Law Report
6. https://www.jagranjosh.com

सन्तोष खन्ना

राष्ट्रवाद के प्रखर प्रतिबद्ध सांसद : डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के एक ऐसे महान् सपूत थे जो भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर इतिहास में अमर हो गए। वह वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की पहली कड़ी भारतीय जनसंघ के संस्थापक-अध्यक्ष थे जो उन्होंने वर्ष 1951 में बनाई थी जिसके चलते तत्कालीन समय में भारत को एक प्रतिपक्ष मिला जो कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए ज़रूरी होता है। इतिहास साक्षी है कि वही भारतीय जनसंघ पार्टी बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी और धीरे-धीरे ही सही, वह कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत विकल्प बन कर उभरी। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कई वर्षों तक राज्य की राजनीति में भूमिका निभाने के पश्चात् राष्ट्रीय स्तर पर तब अवतरित हुए जब वे हिंदू महासभा से जुड़े और वीर सावरकर की राष्ट्रवादी विचारधारा से अनुप्राणित हुए।

डॉ. मुखर्जी कई वर्षों तक राष्ट्रीय राजनीति में रहे। उन्होंने 9 दिसंबर, 1946 से 24 जनवरी, 1950 तक भारत के संविधान के निर्माण के लिए बनी संविधान सभा के सदस्य के रूप में भारत के संविधान के निर्माण में योगदान दिया। बाद में महात्मा गांधी जैसे नेताओं के आग्रह पर वे प्रधानमंत्री नेहरू के मंत्री मंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाए गए, परंतु नेहरू से वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने मंत्री मंडल से त्यागपत्र दे दिया।

वे वस्तुतः राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे और वे समझते थे कि 1950 में हुआ नेहरू-लिआकत समझौता उनकी तुष्टिकरण नीति का एक हिस्सा था, अतः विरोध स्वरूप उन्होंने कांग्रेस सरकार से त्याग-पत्र दे दिया था। इसके अलावा, उन्होंने जम्मू-कश्मीर को भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिए जाने का भी विरोध किया और जम्मू-कश्मीर में उस समय प्रवेश के लिए लागू परमिट प्रणाली पर भी घोर आपत्ति जताई।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन शानदार और जानदार उपलब्धियों का जीवंत इतिहास है। वे न केवल एक महान् राजनीतिज्ञ थे बल्कि वे एक क़ानूनविद्, शिक्षाविद्, एक महान विचारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन का जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी कलकता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे और साथ ही कलकता विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उनकी माँ का नाम जोगमाया मुखर्जी था। उनका शैक्षिक जीवन

भी शानदार उपलब्धियों भरा था। उन्होंने बी.ए. की परीक्षा अंग्रेज़ी विषय में प्रथम श्रेणी में पास की थी और वर्ष 1923 में वे क़ानून की उपाधि प्राप्त कर इंग्लैंड चले गए और वहाँ बैरिस्टर बनकर लौटे और प्रैक्टिस करने लगे। जब वे 8 अगस्त, 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने तो उनकी आयु मात्र 33 वर्ष की थी अर्थात् कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बनने वाले वे सबसे कम आयु के व्यक्ति थे।

डॉ. मुखर्जी राष्ट्रवादी विचारधारा होने के कारण इस बात में विश्वास रखते थे कि ''हम सब एक ही हैं, हमारा रक्त एक है हमारी संस्कृति एक है और एक ही हमारी विरासत है।'' भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने हमेशा संप्रदायिकता को प्रोत्साहित किया और बाद में उन्होंने गुप्त रूप से भारत के विभाजन की योजना बना डाली जिसे कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार कर लिया जिसके कारण डॉ. मुखर्जी की अखंड भारत की आकांक्षा धरी-की-धरी रह गई। कह सकते हैं डॉ. मुखर्जी हिंदू हित में सदा सक्रिय रहे।

शैक्षिक रूप से वे सफल हस्ती थे और उन की वकालत भी ख़ूब चल निक़ली थी परंतु बंगाल में 1929 में राजनैतिक संकट के कारण उन्हें सक्रिय राजनीति में कूदना पडा। उस समय वे कांग्रेस की तरफ़ से बंगाल लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्य बने परंतु स्थिति के अनुसार वहाँ से जल्दी बाहर आ गए और पुनः वे एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और जीत गए। वे बंगाल में 1941-42 में वित्त मंत्री रहे। वे हिंदू महासभा से भी जुड़े और 1943 में उसके अध्यक्ष बने और 1946 तक उसके अध्यक्ष रहे। उन्होंने वर्ष 1946 में ब्रिटिश सरकार से माँग की कि बंगाल का विभाजन किया जाए और उसमें हिंदू बहुल इलाक़े पूर्वी पाकिस्तान में शामिल न किए जाएँ।

नेहरू सरकार से अलग हो उन्होंने भारतीय जन संघ पार्टी बनाई थी और इस पार्टी ने 1952 के प्रथम आम चुनावों में हिस्सा लिया और इस पार्टी को लोकसभा में तीन सीटें मिली जिन में मुखर्जी स्वयं सांसद चुने गए थे। वह संसद में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। संसद में छोटे-छोटे दल भी उन्हें अपना नेता मानने लगे यद्यपि उस समय के लोक सभा अध्यक्ष ने उन्हें प्रतिपक्ष के नेता होने की मान्यता नहीं दी। परंतु वे संसद में जन सरोकारों को ज़ोरदार ढंग से उठाने लगे। लोक सभा में 23 जून, 1952 में जम्मू-कश्मीर पर हुई बहस के दौरान उन्होंने देशवासियों की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहा था, ''भारत जैसे एक लोकतांत्रिक संघीय ढाँचे के अंतर्गत देश के किसी क्षेत्र विशेष के नागरिकों के मौलिक अधिकार देश के दूसरे नागरिकों से अलग कैसे हो सकते हैं और अनुच्छेद 370 ने यही स्थिति उत्पन्न कर दी है।'' इसी तरह उन्होंने जम्मू में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए कहा था ''या तो मैं आपको भारतीय संविधान के प्रावधान प्राप्त कराऊँगा या इस उद्देश्य के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूँगा। उनके अनुसार संपूर्ण देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में अलग झंडा, अलग संविधान और अलग प्रधान कैसे हो

सकता है।'' उस समय जम्मू-कश्मीर के प्रधान को मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री कहा जाता था और वहाँ जाने के लिए भारतीयों को परमिट लेना पड़ता था।

इसी परमिट प्रणाली का विरोध करने का फ़ैसला कर उन्होंने जम्मू-कश्मीर में बिना परमिट प्रवेश किया और तत्कालीन शेख अब्दुल्ला सरकार ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। इसका देश-भर में विरोध भी हुआ। उनकी गिरफ़्तारी के 43 दिन बाद उनकी 23 जून, 1953 में श्रीनगर के राजकीय अस्पताल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। नेहरू सरकार से उनकी मृत्यु की जाँच करवाने की माँग की जाती रही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माताश्री जोगमाया मुखर्जी ने भी नेहरू को पत्र लिख कर उनकी मृत्यु की जाँच की माँग की परंतु कभी जाँच नहीं करवाई गई। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यह कहा था कि नेहरू के षड्यंत्र से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या की गई थी।

जो भी हो, जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत दिए गए विशेष दर्जा के विरोध में बलिदान देने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के पहले ऐसे राजनीतिज्ञ बने। जम्मू-कश्मीर को संविधान में विशेष दर्जा देने के कारण पिछले पचत्तरह वर्ष से भारत की अनेक संतानें अनेक प्रकार से अपना बलिदान देती आ रही हैं।

5 अगस्त, 2019 को भारत की संसद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा कर जम्मू-कश्मीर का भारत में संपूर्ण रुप से विलय कर देश की जनता की लंबे अरसे से चली आ रही माँग को पूरा कर दिया और वस्तुत : इससे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अखंड भारत संबंधी सपना भी पूरा हुआ। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर का भारत में संपूर्ण विलय को अपना तथा जनसंघ पार्टी की विचारधारा का आधार बनाया था, चाहे वे स्वयं राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर अधिक समय तक नहीं रह सके, क्योंकि उन्हें अपने इसी सपने के लिए अपनी इतनी छोटी आयु में प्राणों की बाज़ी लगानी पड़ी किंतु उनके द्वारा स्थापित पार्टी और उसके कर्णधारों की नज़र से यह स्वप्न कभी ओझल नहीं हुआ और पार्टी के हर चुनाव घोषणा-पत्र में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा हमेशा प्राथमिकता लिए रहा और अंततः जनता से किया वायदा अब वर्ष 2019 में जा कर पूरा हुआ। इसका श्रेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा को भी जाता है जिन्होंने इस स्वप्न को पहले पहल जिया और जिसके लिए वे कुर्बान हो गए। इस महान् आत्मा को उनकी पुण्यतिथि पर हर भारतवासी का शत्-शत् नमन।

❑

डॉ. ज्योति दिवाकर एवं श्री महेंद्र कुमार

भारत में महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर एवं वर्तमान योजनाओं का दृष्टिकोण

'स्वास्थ्य ही धन है' ऐसा अक्सर कहा और सुना गया है, एक स्वस्थ महिला अपने तथा अपने परिवार को स्वस्थ रख सकती है और वही स्वस्थ परिवार राष्ट्र विकास के अपने लक्ष्यों में योगदान करने तथा उन्हें प्राप्त करने में अपना सहयोग दे सकता है। जनसंख्या के स्वास्थ्य की स्थिति देश के आर्थिक विकास में सहायक होती है। किसी राष्ट्र के विकास को मापने का उत्तम मानक वहाँ का स्वस्थ समाज होता है। नागरिकों के स्वास्थ्य का सीधा असर उनकी कार्य शक्ति पर पड़ता है। किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ के लोगों का सेहतमंद होना प्राथमिक शर्त है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार को हमेशा प्राथमिकता के तौर पर देखा गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में देश के प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण[1] जीवन जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी दी गई है। स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण के अधिकार का अभिन्न भाग है और सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णय[2] में अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 'प्राण के अधिकार' में 'स्वास्थ्य का अधिकार' भी सम्मिलित है जो की एक मूल अधिकार के रूप में संविधान में वर्णित है और इसमें महिला स्वास्थ्य की सुरक्षा शामिल हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद-47 भी यही दर्शाता है कि ''राज्य अपनी जनता के पोषण और रहन-सहन का स्तर बढ़ाने व सार्वजनिक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी को अपना मुख्य कर्तव्य मानेगा।''[3] संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार से संबंधित सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 254 में भी यही वर्णित हैं, कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो उसके परिवार और स्वयं उस व्यक्ति के स्वास्थ्य कल्याण के लिए पर्याप्त हो इसमें भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामजिक सेवाएँ शामिल हैं। कुछ उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :--

1. सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रम योजनाओं का उद्देश्य जागरूकता का अध्ययन करना
2. भारतीय संविधान के प्रदत्त महिला स्वास्थ्य अधिकार।
3. सरकार की महिला स्वास्थ्य नीतियों की विवेचना करना एवं सुझाव देना।

परिकल्पना

1. सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुविधाएँ योजनाओं का पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया जा रहा है या महिलाएँ इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही हैं।
2. पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य समिति का गठन किया जाना। स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने तथा जनता को सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी देना।

महिला स्वास्थ्य सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक प्रयास

महिला सशक्तिकरण विश्वभर का ध्यान आकर्षित कर रहा है। महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय समानता के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण तो है, पर यह सशक्तिकरण उपयोगी तभी है जब महिला स्वस्थ होगी या अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होगी क्योंकि महिला स्वस्थ होगी तो इसका असर उसके परिवार पर भी पड़ता है। महिला स्वास्थ्य सशक्तिकरण से उनकी आंतरिक क्षमताओं का एहसास, संसाधनों तक पहुँचने के अधिकार, निर्णय लेने की क्षमता के साथ स्वतंत्र रूप से समाधान का चयन करने की शक्ति मिलती है। वास्तविक अर्थों में महिला स्वास्थ्य सशक्तिकरण तभी होगा जब उनकी स्थिति में सुधार लाने के साथ ही इस सामाजिक बदलाव को भी लाया जाए। महिला सशक्तिकरण को सुरक्षित करने के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है ताकि उन्हें देश के विकास और अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक भागीदारी मिल सके।[5]

भारत की विकास गाथा में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। इसलिए वे सरकार के लिए एक प्राथमिकता हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं के लिए जन्म से लेकर किशोरावस्था एवं वयस्क होने तक के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्वास्थ्य प्रयोजन का मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाना है जो अधिक सक्षम एवं सस्ते संगठित ढाँचे के माध्यम से उचित नीति निर्धारण से संभव हो सकती है।[6]

1. जननी सुरक्षा योजना : जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम हैं जिसे 2005 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य ग़रीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देती है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाक़े की गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाते हैं।

2. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना : मध्य प्रदेश शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 29 सितंबर, 2011 से समेकित बाल विकास सेवा योजना की संरचना के माध्यम से गाँव में आँगनबाड़ी केंद्रों द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और धात्री महिलाओं को उनके बच्चे के जन्म के पूर्व मज़दूरी में होने वाली हानि की आंशिक क्षति पूर्ति एवं गर्भवती और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति

में सुधार लाना है। इस योजना में 19 वर्ष से अधिक आयु वाली गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को उनके पहले दो जीवित शिशुओं की पात्रता है।

3. 'मिडवाइफरी सेवा पहल' : गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए सम्मानजनक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए हाल में 'मिडवाइफरी सेवा पहल' शुरू की गई है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के मुताबिक़ दक्ष 'मिडवाइफरी में नर्स प्रैक्टिशनरों' का एक कैडर तैयार करना है।[7] प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए 2014 में दिल्ली और एन.सी.आर. क्षेत्र में 'दक्ष' के नाम से पाँच राष्ट्रीय कौशल लैब की स्थापना की गई है। इसी तरह गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़िसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर में 104 एकल कौशल लैब बनाई गई हैं।

4. इस तरह के कार्यक्रमों एवं सुविधाओं के लिए कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में 'दक्षता' के नाम से एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। यह डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और एएनएम सहित सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कैप्सूल है। इसमें प्रसव पीड़ा से लेकर शिशु के जन्म तक जुड़ी सभी देखभाल सेवाओं का समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक 16,400 लोग यह प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

5. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना : 'स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन' के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना[8], 'प्रधानमंत्री उज्जवला योजना' की शुरुआत की है। यह योजना एक धुँआ रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर ग़रीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। योजना से एल.पी.जी. के उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाता है। ग्रामीण इलाक़े में ख़ाना पकाने के लिए परंपरागत रूप से लकड़ी और गोबर के उपले का इस्तेमाल किया जाता है। इससे निक़लने वाले धुएँ का खराब असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है।

5. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पी.एम. एस.एम.ए.), सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों के जरिये गर्भावस्था एवं बच्चे के जन्म से जुड़ी विशेष देखभाल सुनिश्चित की जाती है। महिलाओं के लिए स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जाँच की सुविधा भी निःशुल्क है। जून, 2016 में शुरू किए गए पी.एम. एस.एम.ए. का लक्ष्य सभी गर्भवती महिलाओं को हर महीने सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएँ निःशुल्क मुहैया कराना है।

8. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) : इस योजना के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिल्कुल मुफ़्त और बिना किसी ख़र्च के प्रसव के

लिए प्रेरित किया जाता है, जिसमें शल्य प्रसव (सिजेरियन सेक्शन) भी शामिल है। एक और अहम बात। महिलाएँ न केवल स्वास्थ्य कार्यक्रमों की लाभार्थी हैं, बल्कि वे वास्तव में उस टीम का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा भी हैं जो समाज को स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराती है। इसमें आशा, एएनएम, स्टाफ नर्स और महिला चिकित्सक शामिल हैं।

6. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना : यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा 1 जनवरी, 2017 में प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) का उद्देश्य काम करने वाली महिलाओं की मज़दूरी के नुक़सान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नक़दी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन-पोषण के प्रभाव को कम करना।

योजना के लाभ : इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फ़ायदा होगा। योजना की लाभ राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक़, सरकार निम्नलिखित किश्तों में राशि का भुगतान करेगी।[9]

पहली किस्त : 1000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय

दूसरी किस्त : 2000 रुपए, यदि लाभार्थी छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जाँच कर लेते हैं। **तीसरी किस्त :** 2000 रुपए, जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-B सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है।

वर्तमान में महिला स्वास्थ्य की चुनौतियाँ

पिछले दशकों में यहाँ महिला स्वास्थ्य के मामलों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है जिसे कम करके नहीं आँका जा सकता है; पर वर्तमान में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्यों के अंदर अभी भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े इलाक़ों मे यह स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं पहुँच रही है, जिससे वहाँ की महिलाओं को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत प्रतिशत ख़र्च करती हैं। इसका नतीज़ा यह होता है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी ख़र्च का बड़ा हिस्सा अपनी जेब से ख़र्च करना पड़ता है। स्वास्थ्य शिक्षा जागरूकता की कमी के कारण महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ, स्वास्थ्य बीमा संबंधी जानकारी नहीं मिल पाती है। पैसा ख़र्च हो जाने के डर से महिलाएँ अस्पताल तक नहीं जा पाती तथा घर में रखी हुई दवाइयाँ खा कर ही काम चलाती है। इसका नतीज़ा यह होता है कि वह अपने रोग को और ज़्यादा बड़ा रही होती हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्त पोषण एक बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार के लिए सरकार को सतत विकास का लक्ष्य

एवं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य बजट आवंटन में बढ़ोत्तरी करनी होगी।[10] कमज़ोर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली -- भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में पर्याप्त मात्रा में सुविधाएँ नहीं हैं। जैसे सघन चिकित्सा, इकाइयों और वेंटिलेटरों क्लीनिक़ल प्रयोगशालाएँ तथा सर्जिकल उपकरण, जनसंख्या अनुपात में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक, नर्से, दवाओं, रोगों की जाँच हेतु उपकरण, चिकित्सा शिक्षा की कमी है।

अक्सर देखा या सुना जाता है कि घर में पुरुषों के आहार को गुणवत्ता और मात्रा में अधिक महत्त्व दिया जाता है और इसके विपरीत महिलाओं की आहार एवं पोषण की उपेक्षा की जाती है। अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं को पुरुषों जैसा ख़ाना ख़ाने की आवश्यकता ही नहीं है जबकि सच यह है कि पुरुषों और महिलाओं को पोषण संबंधी आवश्यकताएँ एक दूसरे से ज़्यादा अलग नहीं है बल्कि महिलाओं के लिए आहार का अधिक महत्त्व होना चाहिए क्योंकि गर्भावस्था काल में महिला स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, जिससे होने वाला बच्चा स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट हो। इसके लिए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। महिलाओं में आवश्यक व्यवहार परिवर्तन लाने की सख़्त आवश्यकता है ताकि वह न केवल पोषण और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं कार्यक्रमों से अवगत हो सकें बल्कि यह भी जान सके कि इन सारी सेवाओं का लाभ कैसे उठाया जाए।

ग्रामीण इलाक़ों में महिलाओं की मौत बच्चे को जन्म देने के बाद सही इलाज न मिलने के चलते ही हो जाती है। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर डॉक्टर और दवाइयाँ हों तो जान बचाई जा सकती है पर महिलाओं के स्वास्थ्य को सरकारी नीतियों में ही प्राथमिकता मिली है और सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चला रही है। 21वीं शताब्दी में भारत की स्वास्थ्य सेवा में स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी है। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली अत्याधिक केंद्रित है पर गाँवों में यह परिस्थिति विपरीत है।

महिला दिवस पर भले ही महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की बातें तो कितनी हो जाएँ लेकिन हक़ीक़त यह है कि भारत में महिलाओं का स्वास्थ्य रक्षक नहीं है, बग़ैर स्वास्थ्य सुरक्षा के महिला के अधिकारों की बात करना बेमानी होगी।[12] महिला स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का नतीजा है कि भारत में मातृ-मृत्यु-दर नेपाल, श्रीलंका जैसे कम विकासशील देशों से भी अधिक है। वर्ष 2018 को ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट[13] के अनुसार दुनिया में 15 साल से 49 साल की उम्र सीमा में सबसे ज़्यादा एनीमिक (ख़ून की कमी) महिलाएँ भारत में ही है। भारत की स्थिति चिंताजनक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि लक्ष्य की दिशा में हम आगे बढ़ने की जगह पीछे जा रहे हैं। वर्ष 2019 की रिपोर्ट[14] के अनुसार यहाँ एनीमिक महिलाओं का प्रतिशत 48 है जो इस बार 2020 में 51 हो गया।[15] वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2019 के अनुसार महिलाओं को ज़रूरत अनुसार पोषण नहीं मिल पाता लिहाजा महिला के शरीर में पोषक तत्त्वों की कमी बढ़ जाती है। आँकड़ों के अनुसार हमारे देश में करीब 70 प्रतिशत सामान्य महिलाओं और 75 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में ख़ून की कमी है जिससे उनके बच्चे भी कमज़ोर पैदा

होते हैं और कुछ को जीवन ही नहीं मिल पाता। इन का एक कारण यह भी है कि गर्भावस्था के दौरान उचित देखरेख भी नहीं मिल पाती, क्योंकि आज भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर ही प्रसव कराने का चलन है, तरक्की और विकास के बावजूद भी भारत के मातृ-मृत्यु-दर अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है।[16]

निष्कर्ष एवं विमर्श

'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' यह सिद्धांत भारत सरकार का स्वास्थ्य मार्गदर्शक सिद्धांत है[17] जिसमें स्वास्थ्य के महत्त्व का आभास होता है। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी शक्ति करण के लिए और भी कई योजनाएँ प्रायोजित हैं। इष्टतम स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, पोषण संबंधी संतुलित भोजन, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों से अवगत हो सके और यह भी जान सके कि इन योजनाओं का लाभ कैसे उठाना है। आने वाले समय में यदि शिक्षित पोषित और स्वस्थ बालिकाओं का विकास पोषित किशोरियों के रूप में हो गया और बाद में वे स्वस्थ महिलाएँ और माता बनेंगी ऐसी सेहतमंद महिलाओं से पोषित और स्वस्थ बच्चों की उम्मीद की जा सकती है। यह स्वस्थ संतान की पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाले चक्र को बनाए रखने में मदद कर सकता है।

सरकार की योजनाओं की कसौटी अंतिम जन होता है और अंतिम जन तक किसी भी लोक कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि वह योजना धरातल पर सफल नहीं हो पाई है। जब योजनाओं का लाभ आम जन तक नहीं पहुँच पाता है तो ऐसी योजनाओं का उद्देश्य भले ही कितना भी अच्छा हो ऐसी योजनाएँ सिर्फ़ काग़ज़ों पर ही सीमित रह जाती हैं।

आर्थिक और सामाजिक विकास करते-करते महिला स्वास्थ्य विषय कहीं छुप-सा गया है या छुपा-सा दिया है; पर बिना महिला स्वास्थ्य और बिना सशक्तिकरण के आर्थिक और सामाजिक विकास संभव नहीं है। महिला स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए व्यापक प्रयास करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य सेवाओं और नीतियों का लाभ निचले स्तर और ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाता है। जितनी योजनाएँ चल रही हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीक़े से किया जाना चाहिए। आज देश में स्वास्थ्य योजनाओं की कमी नहीं है, बल्कि उसका सही तरीक़े से क्रियान्वयन व सभी महिलाओं तक पहुँचना एक अहम चुनौती है।

1. स्वस्थ नागरिक एक ख़ुशहाल एवं समृद्ध समाज की नींव है। पूर्ण स्वास्थ्य से हमारा तात्पर्य सिर्फ़ बीमारी के अभाव से नहीं है, बल्कि संपूर्ण रूप से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य से है।
2. बेहतरीन महिला स्वास्थ्य सेवाएँ गाँव स्तर तक उपलब्ध करवाना, जब तक हर महिला ख़ुद अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होगी तब तक चाहे कितनी ही योजनाएँ संचालित कर लें, वे पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकती हैं।

3. गाँव स्तर पर गाँव का मुखिया सरपंच को गाँव के नागरिकों के स्वास्थ्य की जागरूक करने की ज़िम्मेदारी समझनी होगी एवं स्वास्थ्य के प्रति ज़रूरतें एवं अन्य कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना होगा।
4. गाँव स्तर पर महिला स्वास्थ्य समिति बनानी होगी जिसका प्राथमिक कार्य गाँव में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ कार्यक्रमों की जानकारी देना, महिलाओं को कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगर कोई मुश्किल आए तो उसका समाधान करना है।

❑

संदर्भ

1. डॉ. जयनारायण पांडेय, भारत का संविधान, (2006) 42वाँ एडिशन, सेंट्रल लॉ एजेंसी, पृ. 258-259 संविधान के अनुच्छेद 21 (किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड बनाम इम्पलाइसज स्टेट इन्श्यूरंस कोर्पोरशन (1996) 2 S.C.C. 682)
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम मोहिंदर सिंह चावला A.I.R. 1997 S.C. 1225)
3. भारतीय संविधान अनुच्छेद 47 (राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व)
4. संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार से संबंधित सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 25
5. डॉ. सरला गोपालन, समानता की ओर अपूर्ण कार्य, भारत में महिलाओं की स्थिति, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित, नई दिल्ली
6. इंदु भूषण, बेहतर और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएँ, योजना पत्रिका, 2019 अगस्त, पृ. 29-30
8. महिला बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, http://mpwcdmis.gov.in/scheme_pmmvy.aspx

   डॉ. हर्षवर्धन, (केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री) प्रगतिशील राष्ट्र की बुनियाद है स्वस्थ महिलाएँ, दैनिक भास्कर, शुक्रवार, 6 मार्च, 2020, पृ. 8
9. http://mpwcdmis.gov.in/scheme_pmmvy.aspx
10. आशा कौशिक, नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, पॉइंटर पब्लिशर्स 2004, जयपुर
12. आशुतोष कुमार, स्वास्थ्य की दशा में सार्थक प्रयास, कुरुक्षेत्र, जून 2018, पृ. 38-40

13-15. वैश्विक पोषण रिपोर्ट, 2018, 2019 और 2020

16. चंद्रकांत मिश्रा, इसरो का ख़्याल रखने वाली महिलाएँ ख़ुद हो रही बीमार, 07/01/2020, 5:45 GMT gaonconnection.com
17. डॉ. संतोष पासी, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त पोषण, योजना, जनवरी 2020

कहानी

डॉ. मुक्ता

संगमरमर की सड़क पर

श्वेत परिधान में लिपटी हिलती-डुलती आकृति मुझे उद्विग्न कर रही थी। वह घुटनों के बल झुकती, कुछ बुदबुदाती उँगलियों से अस्पष्ट रेखाएँ खींचती, फिर खड़े हो शून्य में निहारती। सीने पर हाथों से हल्के स्पर्श से क्रास का निशान बनाती, पुनः सिर झुकाकर ध्यान-मग्न हो जाती। मोमबत्तियों की उजास चारों ओर फैली थी। एक-एक क्षण परीक्षा की घड़ी जैसा बीत रहा था। कद, काठी कभी-कभी पीठ से झलक मारता उसका चेहरा मुझे रोमांचित कर रहा था।

"...कहीं यह वही तो नहीं?"

एक-एक पल युगों-सा बीत रहा था। काश! दीवारें आईना बन जाएँ। उसका बिंब दीवारों में छप जाए या पूरा परिदृश्य जलमग्न हो जाए। सभी रहस्य अनावृत हो जाएँ।

विनी बेचैनी से मेरी ओर मुड़ी। उसका धैर्य चुकने लगा।

"अब चलो भी दीदी। यहाँ तो सेंट जेवियर्स का शव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है..."

"बस विनी, थोड़ी देर और..."

मेरी जिज्ञासा समाधान तक पहुँचना चाहती थी। पैर जैसे धरती से चिपक गए थे। विनी अशांत हो उठी।

"सिस्टर आप बताएँगी सेंट जेवियर्स की डेड बॉडी कहाँ रखी है?''

इतने उघड़े शब्दों में संत के मृत शरीर को संबोधित करना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कुछ कहूँ इसके पहले ही मौन भंग हुआ, "इन दिनों में सन्त के दर्शन नहीं हो सकते, एक महीने बाद ही संभव होगा।"

श्वेतांगिनी मुड़ी। मैं अचंभित थी। मानो धरती-आकाश दोनों ठहर गए हों। पूरे वातावरण में अनचाहा विस्फोट हो गया हो। मेरा अनुमान सही निक़ला। 'नन' के रूप में श्वेतांगिनी जेनी ही थी। दृष्टि मिलते ही शब्द फूट पड़े, "जेनी! तुम?''

क्षण-भर को वह भी अव्यवस्थित हुई लेकिन जल्दी ही क्षीण मुस्कान फैल गई। होंठ हिले -- "कैसी हो?''

मेरा पोर-पोर व्याकुल था। मैं उससे लिपट जाना चाहती थी। वह संतुलित थी। उसके वस्त्र एवं संपूर्ण व्यक्तित्त्व में गहरा निषेध था।

"गॉड ब्लेस यू" कहती हुई वह आगे बढ़ गई। मेरा रोम-रोम चिल्ला उठा, "नहीं जेनी, आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूँगी। सभी प्रश्न हल करने होंगे तुम्हें....।" लेकिन आज मैं

काठ के जैसी खड़ी थी, केवल अस्फुट स्वर निक़ले, "जेनी! मुझे कुछ कहना है।"

उसकी घनी बरौनियाँ उठीं, "कहो।"

अपरिचय और भी घना हो गया। मैं आहत हो उठी, "नहीं यहाँ ऐसे नहीं। मुझे समय चाहिए।"

"ठीक है, चर्च के सामने मेरे हॉस्टल का गेट है वहीं कल इसी समय मिलूँगी। परम पिता के हाथ को कन्धे पर महसूस करो। प्रश्न अपने-आप ही हल हो जाएँगे।" विनी की ओर देखकर वह मुस्कुराई, "तुम्हारी बहन है? स्वीट है।"

वह आगे बढ़ गई। एक लंबी कहानी पीछे रह गई जिसकी शुरुआत वर्षों पहले हुई थी। जेनी मेरी रुम पार्टनर बनकर हॉस्टल में रहने आई थी।

"तुम ऐसे...बिना कपड़ों के...वार्डन ने देख लिया तो...जो तौलिया तुमने सिर पर लपेट रखा है, उसे ही लपेट लो...।"

"क्यों, मैंने अंडरगारमेंट्स तो पहने हैं, फिर बिना कपड़ों के कैसे? क्या मैं ख़ूबसूरत नहीं हूँ?"

"नहीं...जेनी तुम बहुत ख़ूबसूरत हो लेकिन..."

सच तो यह था कि मैं अचंभित थी। निर्वस्त्र नारी देह का अबूझ सौंदर्य मेरे समक्ष था। मैं सम्मोहित थी। वह क्षण इस अहसास से परे था कि मैं स्वयं नारी हूँ। मेरी दृष्टि उसके संतुलित अंगों पर टिकी थी। तराशी हुई देह, गंदुमी रंग, ऊँचा क़द, चमकीली हिरनी जैसी आँखें, नीचे की ओर झुके आमंत्रित करते होंठ, उसके सलोने मुख को ख़ास आकर्षण दे रहे थे। अजंता के भित्ति-चित्रों जैसा मादक सौंदर्य, उसके अनावृत्त अंगों में न जाने कितने रहस्य लय थे।

"श्रुति! तुमने कभी शीशे में ख़ुद को देखा है? शरीर के साथ मन को तुमने गहरे अंधकार से ढँक लिया है। चारों ओर बंद कमरे हैं...सच। मेरा तो जी घुटता है। तुम मुझसे ज़्यादा ख़ूबसूरत हो। क्या तुम्हें मालूम है?"

मैं झेंप गई। कुछ लज्जित भी हुई जैसे जेनी ने मुझे निर्वस्त्र देख लिया हो। मैंने सहज होने का प्रयत्न किया, "यहाँ हॉस्टल में मेरी जैसी ही लड़कियाँ हैं...और वॉर्डन का कड़ा अनुशासन...तुम्हें तो थोड़े ही दिन यहाँ रहना है, एडजस्ट कर लो...।"

मेरे कहने का असर हुआ। जेनी ने तौलिया कंधे से लपेट लिया। मासूम-सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैली, "पता नहीं, वैसे इस कबूतरख़ाने में मैं नहीं रह सकती। जल्दी ही कुछ इंतज़ाम करना होगा। पीटर की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने मेम्बे के साथ कमरा शेयर किया था। वह एक अड़ियल बद-दिमाग इनसान निक़ला...अब किसी और को ढूँढूँगी...मैं इंटरनेशनल हाउस में शिफ़्ट करना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ मुझे जगह नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे पिता भारतीय हैं...ये नियम...ये क़ानून...आई हेट दिस सिली रूल्स रेगुलेशंस...पता नहीं क्यों माँ को भारत से बहुत लगाव था...ख़ास तौर पर गंगा से, वैसे वे भी मौरीशस की थीं। गंगा का आकर्षण उन्हें इंडिया ले आया। वे यहीं की होकर रह गईं। डैड म्यूजिक-टीचर थे। पहले वे

उनकी शागिर्द रहीं, बाद में हमसफ़र बन गईं...छोड़ो मैं भी कहाँ बोर करने लगी तुम्हें...अभी कल ही परिचय हुआ और आज मैं अपनी किताब खोलकर बैठ गई...."

"नहीं, ऐसा नहीं है जेनी! तुम अपनी बात कहो...मैं सुनना चाहती हूँ। लेकिन पहले कपड़े पहन लो।" जेनी अभी भी तौलिए में लिपटी थी। गनीमत यह थी कि वह कमरे के अंदर थी। उसने बेझिझक मेरे सामने ही ब्लू जींस और हल्के पीले रंग का टॉप पहना। मैं सम्मोहित-सी उसे देख रही थी। उसने मुस्कुराकर कुछ इस अंदाज में मुझे पुचकारा जैसे मैं भोली बच्ची हूँ।

"क्या मैं तुम्हें सुंदर लग रही हूँ?''

"बहुत सुंदर...."

"कैसी? किसकी तरह लग रही हूँ? कोई इमेज?"

"हाँ...अमृता शेरगिल की सेल्फ पोट्रेट जैसी।"

"रियली! हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आओ ब्रेकफास्ट ले लें।"

जेनी पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी थी। मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया।

जेनी की अधूरी कहानी के कुछ शब्द मेरे मस्तिष्क में अटक गए थे। झटकने की कोशिश के बावजूद वे मुझे चौंका रहे थे। मैं चाहती थी पहल जेनी ही करे लेकिन वह निर्लिप्त बनी रही। कुछ घंटे जिसमे हम अंतरंग हो उठे थे, बीती घटना जैसे हो गए थे। सुबह से रात तक वह अपने को व्यस्त रखती। उसकी वायलिन की क्लास शाम को होती, लेकिन वह प्रातः नाश्ता करने के बाद ही छात्रावास छोड़ देती। रात, अक्सर वह बाहर ख़ाना खाकर आती। कभी-कभी रात के ख़ाने में हमारा साथ होता। उस समय भी वह खोई रहती। उसका अंग-अंग थिरकता, गुनगुनाहट होठों पर तैरती। उन्मुक्त मछली-सी वह नदी में तैरती। मैं तट पर खड़ी निहारा करती।

एक दिन मैंने जानने का प्रयत्न किया वह कहाँ जा रही है। उसने रुखाई से उत्तर दिया, "माइंड योर ओन बिजनेस", मैंने किताब में आँख गड़ा दी। मस्तिष्क में हथौड़े बजने लगे। रात जेनी के आने के पहले ही मैंने भोजन कर लिया। वह समझ गई। रात्रि भोजन के पश्चात् उसने आकर पीछे से अपनी बाँहें मेरे गले में डाल दीं। मैं पढ़ने का अभिनय करती रही।

"तुम तो साहित्य की स्टुडेंट हो, तुम्हें मालूम होगा तालस्टाय की राय औरतों के बारे में बहुत अच्छी नहीं थी, वैसे मैक्सिम गोर्की को उनकी यह बात नापसंद थी। शायद मैं भी एक ऐसी औरत हूँ जिसे कोई पसंद नहीं करता।"

जेनी का स्वर उदास था। ''वह पिघलने लगी।" ...तुम अभी भी नाराज़ हो? तुम मुझे समझ नहीं सकती हो। मुझे हैरानी होती है। तुम्हारी उम्र इक्कीस वर्ष है और अभी किसी पुरुष ने तुम्हें छुआ तक नहीं...''

मेरा मौन भंग हुआ। नसें तनने लगीं।

"भला...इसमें हैरानी की क्या बात है? भारत में अधिकतर लड़कियाँ मेरी ही तरह हैं।"

"इंडिया में तो मैं भी हूँ, लेकिन आधी-अधूरी..." अचानक वह कठोर हो उठी। उसके

स्वर में उत्तेजना थी, "तुम्हें कुछ नहीं मालूम या तुम भोली बनने की कोशिश कर रही हो। इंडिया में बड़ी संख्या में बलात्कार होते हैं। बलात्कार करने वाले रिश्तेदार होते हैं। अपने ही सगे-संबंधी ...। बस फ़र्क़ इतना है कि यहाँ लड़कियाँ चुप रह जाती हैं। उनमें इतना साहस नहीं है कि मुँह खोलें। पता चलने पर भी घर की बात घर में ही दबा दी जाती है। मैं डंके की चोट पर साइमन पीटर मेम्बे के साथ रही हूँ। मैंने अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध बनाए हैं, किसकी हिम्मत है जो मुझसे बलात्कार करता? तुम लोग अपने कौमार्य को ग्लोरीफाई करती हो। आख़िर इसमें इतना गर्व करने वाली कौन-सी बात है? बोलो...चुप क्यों हो?''

जेनी की आँखें उबल रही थीं। चेहरा तमतमा रहा था। वह रणचंडी बनी हुई थी।

मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस एक चीख थी जो अंदर तक घुट रही थी। मैंने सामने से हट जाना ही उचित समझा। जाते-जाते इतना अवश्य कहा, "जेनी, पहले तुम ख़ुद को समझने की कोशिश करो। तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा प्रश्न क्या है?"

रात मैंने अपनी एक सहेली के कमरे में बिताई। सुबह कमरे में घुसते ही जेनी मुझसे लिपट गई। उसका स्वर भीगा हुआ था। ''तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ तो साफ़-साफ़ कह दो, मैं कमरा बदल दूँगी या किसी और लड़की के साथ रह लूँगी।"

मैंने मुसकुराते हुए उसे छेड़ा, "लड़की के साथ या लड़के के साथ। तुम तो शहर में कमरा ढूँढ रही हो।"

उसने मेरे गालों को चूमते हुए कहा, "नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। तुम मेरी सब बातें बर्दाश्त करती हो। तुम वास्तव में दयालु हो। जीसस ने कहा है दयालु लोग ही स्वर्ग के सच्चे अधिकारी हैं।...सच बताओ श्रुति, तुम्हें मुझसे नफ़रत तो नहीं है...यहाँ की लड़कियाँ मुझे बर्दाश्त नहीं कर पातीं। हॉस्टल की सभी लड़कियाँ मुझे अजीब नज़रों से घूरती हैं। मेरी अच्छी दोस्त, जिस दिन तुम्हें नफ़रत हो बता देना। मैं चली जाऊँगी। मैं तुम्हारी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ।"

जेनी की बाँहें मेरे गले में थीं। मैं उसके नर्म बालों को सहला रही थी। उसने सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उसके गर्म आँसुओं को मैं कंधे पर गिरते हुए महसूस कर रही थी।

तुर्गनेव की जिनाइदा मेरे सामने साकार हो उठी। जिनाइदा जिसके सजीव और सुंदर व्यक्तित्त्व में चालाकी और लापरवाही, कृत्रिमता और सादगी, शांति तथा चंचलता का विशेष मेल था। वह जो कुछ भी करती, जो कुछ भी कहती, उसकी हर गतिविधि में सूक्ष्म और हल्का-हल्का सजीलापन होता, हर चीज़ में अनूठी, खिलवाड़ करती शक्ति की झलक मिलती। निरंतर रंग बदलता हुआ उसका चेहरा भी खिलवाड़ करता। वह लगभग एक ही समय उपहास, गहरी सोच और भावावेश को अभिव्यक्ति देता।

जिनाइदा की याद आते ही मैं अन्यमनस्क हो उठी। अंत में जिनाइदा को मरना पड़ा। चीख मेरे अंदर घुट रही थी... नहीं जेनी, जिनाइदा नहीं हो सकती...नहीं हो सकती। यह बात मेरे मन में आई कैसे? जेनी और जिनाइदा नाम की एकरूपता ने भी मुझे चौंकाया। कहीं वह

भविष्य का पूर्वाभास तो नहीं? आशंका मुझे विचलित कर रही थी।

"जेनी, कल मंदिर चलेंगे या चर्च, जैसा तुम कहो।"

"नहीं...जैसा तुम ठीक समझो..." जेनी ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया और खिलखिला पड़ी।

वह कल कभी नहीं आया। दूसरे दिन सुबह फ़ोन पर ही उसका कार्यक्रम तय हो गया। रात वह देर से लौटी। मेस बंद हो चुका था। आधी रात अचानक मेरी नींद खुली। दूसरा तख्त खाली था। जेनी वहाँ नहीं थी। मैं परेशान-सी बाहर आई, लाउंज की सीढ़ियों पर बैठी जेनी दिखाई पड़ी।

"क्या बात है?" मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा।

"यहाँ एक भी पीला गुलाब नहीं है। सभी लाल हैं। लाल सुर्ख...प्यार का रंग लाल होता है न...।"

"इतनी रात गए तुम यही रिसर्च कर रही हो?"

मुझे उम्मीद थी अपनी आदत के अनुसार वह खिलखिला पड़ेगी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान की क्षीण रेखा भी न उभरी।

"जानती हो आज पहली बार किसी ने मुझे थप्पड़ मारा और मेरा मन हुआ, मैं उसके हाथों को चूम लूँ। पहली बार ऐसी हलचल...आगे बढ़कर मैंने आज तक कभी किसी को नहीं चूमा। कभी पहल नहीं की। पीटर, साइमन, मेम्बे के साथ मैं दूर तक गई। लेकिन...बस. ..कुछ समय तक ही मैं वह सब झेल पाई। लगता था जैसे सब कुछ मैकेनिकल है... यांत्रिक है... अंदर से कुछ भी अंकुरित नहीं हो रहा...न राग...न विराग... फिर मैं भागने लगी। वे भी कब तक पीछा करते। डैड से भी मैंने कभी जुड़ाव नहीं महसूस किया। उनका जीवन किताबों और संगीत को ही समर्पित रहा। मेरा बचपन बिलकुल अकेला था। मुझे तितलियों के पंख इकट्ठा करने का शौक़ था। तुम्हें हैरानी होगी मैं तितलियों को मसलकर उनके पंख अलग कर देती थी। इस क्रूर खेल में मुझे बहुत मज़ा आता था। तड़पती, पंख फड़फड़ाती तितलियों को देखने में मुझे बहुत रोमांचक सुख मिलता था। एक दिन डैड ने देख लिया। वे बहुत दुःखी हुए। मुझे ममा की कब्र के पास ले गए और घंटों उदास बैठे रहे। वहीं सौगंध दी कि मैं अब यह खेल न खेलूँ। तितली के पंख से मुझे बहुत लगाव था लेकिन तितली से नहीं.. .कैसी अजीब बात है... लेकिन आज मैं यह सब क्यों कह रही हूँ। आज की घटना से इन बातों का क्या रिश्ता...लेकिन शायद हो...क्या मालूम...?"

"जेनी! आज क्या हुआ?" मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कालखंड पिघल रहा था। जेनी टुकड़ों को समेटती, डूबती, उतराती तैर रही थी। व्यवधान उसे आहत करता था। अक्सर पूर्ण विराम की स्थिति बन जाती थी लेकिन मैं अपनी उत्सुकता के वशीभूत थी। जेनी, जल प्लावित गगन जैसी तटस्थ शांत दिख रही थी। मेरे आग्रह पर उसने शुरुआत की, "हम लोगों का गंगा के बीच बजड़े पर स्मोकिंग का प्रोग्राम था। नवीन आज पहली बार हमारे ग्रुप में शामिल हुआ था। नवीन एल.एल.बी. के साथ बाँसुरी में बी. म्यूज. फाइनल कर रहा है। वह

घबड़ाया हुआ, परेशान था और ख़ुद को हमारे बीच अजनबी महसूस कर रहा था। वह अपनी बाँसुरी साथ लाया था और बार-बार पूछ रहा था, "तुम लोगों के वाद्य कहाँ हैं?'' गंगा के बीच संगीत का कार्यक्रम है और वाद्य के बिना कार्यक्रम कैसे होगा? हमारे साथी सब उसे छेड़ रहे थे, यहीं बजड़े पर सब मिलेगा। गंगा के बीच पहुँचते ही नवीन भाँप गया। उसकी आँखों से अंगारे बरसने लगे, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तुम लोग इतना गिर सकते हो, मुझे उम्मीद नहीं थी। नताशा, डेविड, शंकर ने बारी-बारी चिलम से कश लिया फिर मेरी बारी थी। मैंने चरस का नशा केवल एक बार किया था। मैं झिझक रही थी। नवीन चुप बैठा आग्नेय दृष्टि से मुझे देख रहा था। हाथ में चिलम पकड़ते ही वह चिल्ला उठा, "नहीं...तुम्हें नहीं पीना। मैं तुम्हें नहीं पीने दूँगा। वैसे भी तुम्हें आदत नहीं है, यह तुम्हारा चेहरा बता रहा है। अपनी आदत के अनुसार मैंने उसे झिड़का, "माइंड योर ओन बिजनेस", मैं कश लेने की कोशिश करने लगी। मैं संभलू तब तक उसका हाथ छूट चुका था। मैं अवाक् थी।" आई एम सॉरी" कहकर वह शांत हो गया। मुझे...मुझे चिल्लाना था। उसके शरीर को खरोंचों से भर देना था, लेकिन मैं बुत बनी रही, अजीब-सा अहसास मेरा पीछा कर रहा था...आगे बढ़कर उसके हाथों को चूम लूँ...चूमती ही रहूँ...यह पल ठिठक जाए...मैं लय हो जाऊँ कपूर की तरह।

नवीन की आँखों में हताशा थी। वह बार-बार दोहरा रहा था, "आई.एम. सॉरी।" भरी महफिल छोड़कर हम दोनों नाव से किनारे आए। ऊपर से वह शांत था, लेकिन अंदर से बेचैन। यही दशा मेरी भी थी। हमने ढाबे में ख़ाना खाया। वह अपने बचपन के किस्से सुनाता रहा। बचपन में उसे दौड़ना-भागना अच्छा नहीं लगता था। डूबते सूर्य को देखना सबसे प्रिय खेल था। उसने मुझसे किसी दिन वायलिन सुनाने का आग्रह किया। गेट पर छोड़ते समय पुनः मिलने की इच्छा जताई।"

जेनी ने चौंककर मेरी ओर देखा, जैसे तंद्रा भंग हुई हो....." ओह बहुत रात हो गई ...सुबह तुमको क्लास अटेंड करना है।"

"जेनी, मुझे वायलिन कब सुनाओगी?"

"अपनी शादी में मेरा प्रोग्राम रखना। मैं ज़रूर बजाऊँगी।"

जेनी को मालूम था, परीक्षा के बाद मेरा विवाह तय है।

"लेकिन तुम्हारे जाने के बाद...." वह फिर उदास हो गई।

सुबह से ही कबूतर की तरह चहकने वाली जेनी दूसरे दिन बिस्तर छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह के नाश्ते का समय हो चुका था। मैंने टोस्ट-चाय उसके सिरहाने रख दिया था। दो बार उसके कानों के पास अलार्म भी बजा चुकी थी। सुंदरी 'स्वप्न लोक' में विचरती बेसुध थी।

शाम डिपार्टमेंट से लौटने पर गेट के बाहर वाली पुलिया पर जेनी एक सुदर्शन युवक के साथ बैठी दिखाई दी। जेनी ने नवीन से मेरा परिचय कराया। मेरे 'हॅलो' का उत्तर उसने हाथ जोड़ कर दिया। मैंने मुआयना किया। वह ऊँचे कद, गेहूँए रंग वाला आकर्षक नौजवान था। उसकी आवाज़ वजनदार थी, लेकिन वह नपे-तुले शब्द ही बोल रहा था।

छः बजने वाले थे। दोनों को ही संगीतालय पहुँचना था। मैंने हैरानी से देखा जेनी उचककर उसकी साइकिल के कैरियर पर बैठ गई। उन्हें साथ-साथ जाते देखना भला लगा...नंगे तन। हम चलते हैं। संगमरमर की सड़क पर... लम्हों के बीच। हम भोगते हैं, पूरा विश्व....।

सूर्य के साथ ही उड़ने वाली जेनी अब हॉस्टल में ही रहती। अक्सर वह किताबों में खोई रहती। अभिसारिका नायिका-सी वह पाठ निहारती, आहट से चौंक उठती। आते-जाते वह नवीन के साथ दिखाई देती।

बिखरे बालों और बदहवास चेहरे वाली जेनी की मित्र मंडली अब उसके इर्द-गिर्द नहीं मँडराती।

"मुझे साड़ी चाहिए" वह जैसे मुझे आदेश दे रही थी। जींस के अतिरिक्त जिसे मैंने सलवार-कुर्ते में भी नहीं देखा, वह जेनी साड़ी की फ़रमाइश कर रही थी। मैंने भी व्यंग से कह्व।

"पहले मुझसे साड़ी बाँधने की दीक्षा तो लो। केवल सीखने में ही एक वर्ष लग जाएगा।"

"तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। शर्त लगाओ।" मैंने भी एक लिपिस्टिक की शर्त लगा ली। दूसरे दिन वह पीली नाभिदर्शना साड़ी में मेरे सामने उपस्थित थी। मैंने आनाकानी की, "मेरी ही साड़ी और लिपिस्टिक भी मैं दूँ?''

"टाल-मटोल करने से काम नहीं चलेगा डीयर, रातभर जागकर मैंने साड़ी बाँधने की प्रैक्टिस की है।"

"लेकिन जाना कहाँ है?''

"आज अस्सी घाट पर नवीन मुझे बाँसुरी सुनाएगा। उसकी ज़िद थी, मैं साड़ी पहनूँ।"

जेनी का अंग-अंग थिरक रहा था। चंपा के ताजे फूल जैसी गमकती हुई वह चली गई। रविवार का दिन था। मैं भी सहेलियों के साथ घूमने निक़ल गई। रात का ख़ाना बाहर खाया। कमरे में घुसते ही मैं हतप्रभ रह गई। जेनी अस्त-व्यस्त-सी औंधे मुँह बिस्तर पर सिसक रही थी। बहुत पूछने पर उसने एक चिट मेरी ओर बढ़ा दी,

देव-प्रतिमा-सी तुम
महाआकाश से उतरी
आई मधु भार लिए,
क्या नाम दूँ मरियम, महालया,
कात्यायनी या जयिनी
मेरा नीरव मन बढ़ चला
पुण्य पथ की ओर शनैः शनैः

"वाह! बहुत सुंदर! अद्‌भुत अभिव्यक्ति है। इसमें रोने की क्या बात है?''

"श्रुति! तुम नहीं समझ सकोगी, नवीन मुझमें देवात्माओं की छवियाँ देखता है। उसके लिए कभी मैं राधा हूँ, कभी मरियम, कभी दुर्गा हूँ। उसके प्रेम को झेल पाना मेरे लिए संभव

नहीं है। वह मुझे मंदिर...चर्च...में ले...जाता है...गंगा के पानी में उसे मेरी छवि दिखती है ...उसे क्या...मालूम मैं...तो जेनी भी नहीं रह गई हूँ।"

"प्रेम मनुष्य को रूपांतरित कर देता है जेनी। आज सुबह तुम्हारे मुख पर दैवी आभा थी, मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे...नवीन ने शब्द ढूँढे...तुम उसका प्रेम हो...मुक्त-मन से प्रेम स्वीकार करो।"

"यह कैसे संभव है...कैसे सम्भव है यह?"

"शरीर की पवित्रता को इतना तूल देना। मन को नकारना...यह तो प्रेम का, देवत्व का अपमान है जेनी...तुम तो ख़ुली खिड़की की बातें करती थीं। अब अपनी कारा में स्वयं कैसे क़ैद हो गई?"

जेनी मौन रही। निःशब्द ज्वार-भाटा उसके अंदर उमड़ता रहा। वह बुझी-बुझी रहती। हमारे बीच संवाद लगभग समाप्त हो गया। नवीन से वह कटने लगी।

एक दिन नवीन मुझे गेट पर मिला। उसके साथ मेरा सहपाठी शांतनु भी था। नवीन ने जेनी से मुलाक़ात का अनुरोध किया। जेनी मेरा आग्रह टाल न सकी। वह नवीन से मिली लेकिन कोई ज्वार था जो उसे लहूलुहान कर रहा था। उसकी घुटन चेहरे पर साफ़ थी। आँखों के नीचे काली गोलाइयाँ उभरने लगी थीं। मैंने पुनः समझाने का प्रयत्न किया लेकिन वह अपनी कारा में क़ैद रही।

पिता की बीमारी के कारण उसे जाना पड़ा। वे दिल के मरीज़ थे। परीक्षा के बाद ही मेरा विवाह हो गया। जेनी मेरे विवाह में सम्मिलित नहीं हुई।

जेनी की कहानी की इति श्री हो जानी थी। पंद्रह वर्ष बहुत होते हैं। एक कालखंड था जमा हुआ, आँच पाते ही पिघलने लगा। मैं जेनी को कभी भूल न सकी। जब भी मेरी छोटी बेटी तितलियों के पीछे भागती, मन आशंका से भर उठता। एक सेमिनार के सिलसिले में बंबई आना हुआ। बंबई में छोटी बहन विनी का घर है। आने के दूसरे दिन ही चर्चगेट पर शांतनु मिला। औपचारिकता निभाने के बाद उसने बात आगे बढ़ाई --

"तुम्हारी सहेली जेनी कहाँ है?"

"पता नहीं, कुछ मालूम नहीं।"

"कहीं ऐश कर रही होगी। शी वाज ए बिग फ़्लर्ट।"

"चुप रहो....." मैं चीख पड़ी।

"क्यों चुप रहूँ? तुम्हें मालूम है मेरे दोस्त नवीन का क्या हुआ?"

"नहीं, वह कहाँ है?" मेरे स्वर में उत्सुकता थी।

"वह मर गया...मौत हो गई उसकी...और उसे स्लो प्यायजनिंग करने वाली तुम्हारी सहेली जेनी थी....।"

"क्या बक रहे हो?"

"ठीक ही कह रहा हूँ...उसके ग़म में नवीन रात-दिन नशे में डूबा रहता...लीवर सिरोसिस

से मरा वह..."

मन आहत हो उठा। सेमिनार समाप्त होते ही विनी की ज़िद के कारण गोवा आना पड़ा।

जगह-जगह नारियल के बिखरे झुरमुट में पूरा शहर धीरे-धीरे साँस लेता है। गोवा की यह ख़ासियत है। यह शहर चौंकाता नहीं, वरन धीरे-धीरे रंगों में प्रवेश करता है। आदमी इस शहर का एक हिस्सा बन जाता है। गोवा की ख़ूबसूरती मुझे बाँध नहीं पा रही थी। मन भटक रहा था। जेनी का चेहरा आँखों के आगे घूम रहा था।

चर्च की इमारत बहुत पुरानी थी। जेनी के हॉस्टल की इमारत नई थी। आज मैं अकेली थी। विनी को मैंने बाज़ार भेज दिया था। मुलाकात कक्ष में भीड़ नहीं थी। मैं नियत समय पर उपस्थित थी। सामने वृक्षों की हरीतिमा आकर्षित कर रही थी। सुंदर गोल रक्ताभ फल पर कटोरी-जैसा जमा काजू लुभा रहा था।

"हैलो!" जेनी की आवाज़ गूँजी।

"हैलो..." मैंने धीरे-से कहा। जेनी कुर्सी खींचकर बैठ गई।

"यहाँ घूमने आई हो?"

"हाँ"

"कितने बच्चे हैं?'' जेनी ने प्रश्न किया।

"दो-एक बेटा एक बेटी" मेरा धैर्य चुक गया। मैंने प्रतिप्रश्न किया, "जेनी! तुम...तुम ...यहाँ इस वेश में कैसे?"

"जीसस की यही इच्छा थी, यहाँ शांति है।"

''...लेकिन नवीन? उसके विषय में भी कभी सोचा?"

"रात-दिन...केवल उसके बारे में ही सोचा है श्रुति। तुम ही बताओ, विवाह के प्रस्ताव को मैं कैसे स्वीकार करती?" जेनी का स्वर भीगा हुआ था। जेनी के अंदर छुपी जिनाइदा बाहर आ चुकी थी।

''...मैं बार-बार सोचती रही नवीन किसी और रूप में मुझे स्वीकार ले। मैं मछली बन जाऊँ, वह समुद्र...मैं नन्हीं तितली, वह छायादार वृक्ष...मैं प्यासी कबूतरी, वह आकाश...प्रकृति का कोई भी बिंब मुझमें साकार हो जाए, बस जेनी न रहूँ। प्रतिपल मैंने नवीन में लय होना चाहा, लेकिन यह शरीर बाधा बना रहा... अब तो यही संतोष है वह सुखी रहे... प्रभु यीशु का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो। उसका परिवार उन्नति करे, कभी मिले तो मेरा संदेश पहुँचा देना।. ..अब मैं चलूँ, प्रार्थना का समय हो रहा है।"

जेनी चली गई। मैं कह न सकी, उसका संदेश कभी पहुँचा न सकूँगी। मृतात्माओं को किसी के संदेश की प्रतीक्षा नहीं रहती...लेकिन नवीन ने प्रेम किया है। वह चिर-प्रतीक्षित है। नंगे तन हम चलते है, संगमरमर की सड़क पर। मंदिर तक, चरागाह की नर्म दूब पर सो रही है, वह अभी भी मेरी बाँहों में...।

❑

रिपोर्ट

हिंदू मंदिरों पर उच्च न्यायालय का फैसला एक रिपोर्ट

केवल पाँच दिन पूर्व मद्रास उच्च न्यायालय ने गांधी-नेहरू की सेक्कुलर विरासत की काली करतूतों को समाप्त करने वाला महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया है.... विगत 72 वर्षों में मस्जिदों तथा चर्चों की संपत्ति पर कोई नियंत्रण न रखने वाले सेक्कुलर शासकों ने जब चाहे तब 'सार्वजनिक हित/उपयोग' के नाम पर हिंदू मंदिरों की हजारों एकड़ भूमि तथा करोड़ों-अरबों रुपयों पर क़ब्जा किया था... परंतु अब मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी हिंदू मंदिर की संपत्ति पर 'सार्वजनिक हित/उपयोग' का तर्क प्रभावी नहीं होगा तथा उन मंदिरों की भूमि का न तो सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जा सकेगा, न अन्य किसी के द्वारा अतिक्रमण किया जा सकेगा और न ही ऐसी संपत्ति को बेचा या हस्तांतरित किया जा सकेगा...! साथ ही यह स्पष्ट किया कि हिंदू मंदिरों की दान की आय का उपयोग केवल उसी मंदिर के या अन्य किसी प्राचीन हिंदू मंदिर के रख-रखाव तथा पूजा-विधि में ही किया जाए...! फिर भी ऐसा धन बचता है तो उसका उपयोग संस्कृत एवं वेद विद्या से संबंधित शिक्षा संस्थानों के लिए ही किया जा सकेगा, अन्य धर्मों के संस्थानों पर नहीं...!

तामिलनाडु के प्राचीन हिंदू मंदिरों की लगभग 47 हजार एकड़ 'लापता' भूमि का भी उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से हिसाब माँगा है...!

अपने 225 पृष्ठों के विस्तृत निर्णय में मद्रास उच्च न्यायालय ने प्राचीन हिंदू मंदिरों की सुरक्षा एवं रख-रखाव के विषय में 75 निर्देश बिंदुवार दिए हैं...!

संयोग की ही बात है कि उच्च न्यायालय की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए (suo moto) दावा दाखिल करने वाले तत्कालीन न्यायाधीश संजय कृष्ण कौल वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं...!

देश के प्रधान उच्च न्यायालयों में से एक होने के कारण मद्रास उच्च न्यायालय का यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निरस्त न होने की स्थिति में देश के सभी राज्यों में प्रभावी माना जा सकता है... और तदनुसार कर्नाटक सरकार ने प्रशंसनीय निर्णय लिया है कि राज्य के हिंदू मंदिरों की संपत्ति का अन्य धर्मों की संस्थाओं पर व्यय नहीं किया जाएगा...!

❑

अरविंद भारत

वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रासंगिकता : राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में

वीरांगना लक्ष्मीबाई की पुण्य तिथि पर विधि भारती परिषद् एवं अखंड भारत उत्थान समिति के संयुक्त आयोजन में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रासंगिकता वर्तमान राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विषयक डिजिटल राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी का शानदार आयोजन 18 जून 2021 को अपराह्न 2 से 5 बजे तक संपन्न हुआ।

विचार भावांजलि की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार व 'विधि भारती पत्रिका' की प्रधान संपादक डॉ. संतोष खन्ना ने और संचालन अखंड भारत पत्रिका के संपादक अरविंद भारत ने किया।

आतताई अंग्रेज़ों ने खंड-खंड भारत के राज्यों को जब कुटिलता से अपनी हुकूमत में मिलाना शुरू किया तो अपनी रियासत झांसी ही नहीं बल्कि पूरे भारत को क्रांति की एक सूत्रता में पिरोने वाली महारानी लक्ष्मीबाई 18 जून, 1858 को अंग्रेज़ों से भीषण रण करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई।

एक जनाना शस्त्र उठाए, तब मर्दानों पे भारी थी,
बदले की शोलों में कूदी इक चिंगारी थी।
आँचल मे दूध और कंधे पर पूत लिए
निक़ली वो रण में दुश्मन के ताबूत लिए।
आन बान शान की ख़ातिर जान को उसने वारी थी,
वीरगति को प्राप्त लक्ष्मीबाई भारत वर्ष की आदर्श नारी थी।

बरेली से शास्त्रीय सितारवादक व गायिका मंजू सिंह ने नूतन लय में ख़ूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी गीत के गान से आयोजन का आरंभ हुआ। विचार संगोष्ठी का सम्यक् सार यही रहा कि वीरांगना को आदर्श मानने मात्र से वर्तमान भारत का समग्र उत्थान संभव नहीं है बल्कि उनके आदर्शों को जीवन सूत्रों में पिरोना और जीना होगा।

कालखंड कोई भी रहा हो स्त्री को सदा से अपने अधिकारों के लिए हर स्तर पर संघर्ष करना पड़ा है। पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय व वैश्विक फलक पर भारतीय नारी की गरिमा

को उच्चता के जिस सोपान पर अधिष्ठित किया वीरांगना लक्ष्मीबाई की उस गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए हरेक स्त्री को वर्तमान में अपने कर्तव्यों को जीना ही होगा।

भावनात्मक तौर पर भारत की नारी को लक्ष्मीबाई कहने मात्र से नारी उत्थान नहीं होगा बल्कि सामाजिक संरचनात्मक स्तर पर नारी की जीवन-शैली को शस्त्र-शास्त्र से पूर्ण करना होगा। पुत्र-पुत्री के पालन-पोषण में दो आँखों वाले भारतीय परिवेश को बदलने की आवश्यकता है। यदि भारत में नारी गरिमा इसी प्रकार से चिंतनीय रही तो भारतीय समाज का कालखंडों से होता आ रहा पतन भारत की अक्षुण्ण संस्कृति को अंततः नष्ट करेगा।

प्रमुख वक्ता के तौर पर शासकीय महाविद्यालय, झालावाड़ से डॉ. साधना गुप्ता ने बचपन से ही बेटियों में व्यक्तित्त्व, सामाजिक व तकनीकी जागृति का आह्वान किया जिसके प्रति प्रत्येक माँ को सचेत होना पड़ेगा। वर्तमान में टी.सी.एन. मीडिया चैनल के द्वारा बतौर निदेशक/पत्रकार भारत के संस्कृति व समाज पर अतीत से अब तक विविध एपिसोड्स के माध्यम से शोधरत दूरदर्शन दिल्ली की पूर्व उद्घोषिका, कार्यक्रम संचालिका अनुजा सिन्हा ने मर्दानी शब्द की विराट व्याख्या करते हुए बताया कि मर्यादा हनन को शमन करने वाली हर स्त्री मर्दानी है। स्त्री स्वाभिमान को पालती है और पुरुष के अभिमान का मर्दन करती है। उर्दू शब्दकोश के मर्दाना-मर्दानी के भाव में दोहरापन रखने वालों की बात ही अलग है। अनुजा सिन्हा ने बड़ी ही बारीकी से रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की प्रेरणा को वर्तमान में निरूपित करते हुए बताया कि त्याग और बलिदान दो अलग बातें हैं। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई झाँसी ही नहीं पूरे भारत की अद्वितीय योद्धा रानी थी। वर्तमान जीवंत सामाजिक बिम्ब में माताएँ बलिदान करती हैं।

सशक्त स्त्री हस्ताक्षर सुषमा राय संस्थापक एम्पल, दिल्ली जो रोज़गार बाज़ार में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं, शिक्षा बैंक व स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की संयोजक के तौर पर स्त्री समाज को नेतृत्व दे रही हैं। सुषमा राय ने आँकड़ों के आईने में भारत में स्त्री की गति पर बेबाक बातें की। स्त्री नूतन क़दम बढ़ा रही है। स्त्री की शांति भी मौन क्रांति है। लक्ष्मीबाई के आदर्शों को जीवन में जीवंत करना राष्ट्रीय कर्तव्य है।

कासगंज से नवल हस्ताक्षर पारुल बंसल ने पूछा कि अपने घर में लक्ष्मीबाई क्यों नहीं चाहिए समाज को। कारण भी बख़ूबी बताया गया और समाधान भी क्योंकि चिंतक का दर्शन यथार्थ के धरातल पर शब्दशः स्त्री स्थिति को बेबाक व्यक्त कर रहा था। काव्यात्मक व लक्षणात्मक शैली में स्त्री स्वर की चेतना भावी स्त्री शक्ति को सशक्त करने की बात महत्वपूर्ण रही।

योग संस्कृति उत्थान पीठ, दिल्ली के संस्थापक राजेश बत्रा ने कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान भावांजलि का सोपान है। उनके अमर राष्ट्र कृतित्त्व को हम श्रदांजलि नहीं भावांजलि अर्पित करते हैं। उनके अदम्य साहस की प्रेरणा वर्तमान पीढ़ी को संस्कारित करने की महत्त्वपूर्ण

ज़रूरत है। आर्य समाज, दिल्ली से साहित्यकार अनुपम आर्या ने झाँसी चली दीवानी थी अपनी कविता के माध्यम से प्रेरणा के तत्त्वों पर सहज संवाद किया।

विदुषी साहित्यकार डॉ. अल्का शर्मा ने बचपन से वीरता की प्रेरणा को अपनी कविता में व्यक्त किया। उच्च न्यायालय, दिल्ली से डॉ. आलोक शर्मा ने बताया कि किस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई ने भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोया और उनकी सैन्य रणनीति पर शोध की ज़रूरत को रेखांकित किया। शिक्षाविद् डॉ. धर्मा, साहित्यकार सपना दत्ता सहित अन्य वक्ताओं ने वीरांगना भारत की रानी के जीवन को अत्यंत प्रेरक बताया।

आयोजन की अध्यक्षता कर रही विधि भारती परिषद् की महासचिव व आयोजक सन्तोष खन्ना ने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में वक्ताओं के क्रम को नेतृत्व देते हुए स्त्री-पुरुष के सहयोगिता वाले समाज के प्रति प्रेरित किया। प्राचीनतम संस्कृति के टापुओं के अँधेरों पर समय का प्रकाश डाल हर स्त्री को हर क्षेत्र में क़दम बढ़ाने के लिए जागृत होना होगा।

अरविंद भारत ने प्रश्न किया कि पुत्र-पुत्री के प्रति सामाजिक पारिवारिक दायित्व व पोषण भेदभाव पूर्ण क्यों रहना चाहिए?

सन्तोष खन्ना ने स्त्री के हर पहलू को देखते हुए दायित्वों की अनिवार्यता में बँधी स्त्री की यथार्थ स्थिति को समाधान के साथ व्यक्त किया। स्त्री पुरुष दोनों को एक-दूसरे के कार्य में सहभागिता निभानी होगी। तभी स्वस्थ भारतीय समाज प्रगति पथ पर महारानी लक्ष्मीबाई के आदर्शों को जी सकेगा। श्रोताओं की निरंतर ऊर्जावान् उपस्थिति ने आयोजन को नव प्रण-प्राण दिया।

❑

'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका के लिए आलेख आमंत्रित

सभी लेखकों, विचारकों और विधि शोधार्थियों से सादर अनुरोध है कि 'महिला विधि भारती' द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेजी) शोध-पत्रिका अंक 108 और अंक 109 में प्रकाशित होने के लिए अपने शोध-आलेख शीघ्र भेजें। प्रसन्नता का विषय है कि अंक 108 के प्रकाशन के साथ ही पत्रिका अपने प्रकाशन के 27 वर्ष पूरे कर लेगी। पत्रिका का अंक 110 भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। विषय के बारे में शीघ्र सूचित किया जाएगा।

— प्रधान संपादक

लघु शोध

डॉ. भगवानदास अहिरवार

राष्ट्रीय परिदृश्य से अदृश्य क्रांतिकारी

भारत की स्वाधीनता हेतु संघर्ष करने एवं देश को आज़ाद कराने का श्रेय उस समय की कांग्रेस पार्टी एवं महात्मा गाँधी को दिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका से 1914 में लौटने के पश्चात् तथा भारतीय सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के पूर्व महात्मा गाँधी गुजरात के खेड़ा, बिहार के चंपारण, वीर ग्राम एवं अहमदाबाद में अलग-अलग सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों को लकर सफल सत्याग्रह कर चुके थे। भारतीय राजनीति में महात्मा गाँधी ने ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग भाव के साथ प्रवेश किया था। इस सहयोग को साकार करने के लिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर भारत के गाँव-गाँव जाकर न केवल ब्रिटिश फ़ौज के लिए चंदा इकट्ठा किया था, बल्कि भारतीय नौजवानों से ब्रिटिश फ़ौज में भर्ती होने का आह्वान भी किया था। महात्मा गाँधी के इस सहयोग के बदले उन्हें 'केसर-ए-हिंद' की उपाधि से सम्मानित किया गया था।

1919 के रोलेक्ट एक्ट के अंतर्गत सरकार का दमन चक्र एवं जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड मन को द्रवित करने वाली घटनाएँ थीं, जिन्होंने महात्मा गाँधी को ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से असहयोगी बनने एवं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध डंका बजाने को विवश कर दिया। महात्मा गाँधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी अहिंसा एवं रचनात्मक शैली से एक-एक करके असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। कहा जाता है कि अपने इन्हीं आंदोलनों के बल पर महात्मा गाँधी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मज़बूर कर भारत देश आज़ाद करा लिया।

भारत के बुद्धिजीवियों एवं देश सेवा के लिए संघर्षशील व्यक्तियों के मध्य भावनाओं से ऊपर उठकर यह बौद्धिक विमर्श का विषय रहा है कि क्या वास्तव में भारत की आज़ादी महात्मा गाँधी के उपर्युक्त आंदोलनों का प्रतिफल है अथवा यह केवल भावनात्मक मुद्दा है? दूसरा, यदि गाँधी के आंदोलनों से देश आज़ाद हुआ भी है तो क्या इन आंदोलनों को चलाने वाले गाँधी अकेले नेता थे? अर्थात् इन आंदोलनों को केवल गाँधी ने ही चलाया था?

स्पष्ट है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता के सितंबर 1919 के सम्मेलन में तथा दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर सम्मेलन में पारित एवं पुनर्पारित हुआ था। अतः इस प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित करने वाले गाँधी जी अकेले नेता नहीं थे, आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कराने में कांग्रेस के उन सभी प्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका थी, जिन्होंने कलकत्ता

एवं नागपुर के अधिवेशनों में प्रस्ताव के समर्थन में अपना-अपना मत देकर इसे बहुमत से पास कराया था। इसी प्रकार, उस आंदोलन के क्रियान्वयन में उन लाखों कांग्रसी कार्यकर्ताओं एवं नौजवानों की भूमिका कम महत्त्वपूर्ण नहीं थी, जिन्होंने गाँव-गाँव जाकर विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा कर इनकी होली जलाई थी। उन लाखों विद्यार्थियों की भूमिका को कमतर नहीं आँका जा सकता, जिन्होंने अपने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर अपनी जवानी एवं भविष्य को दाँव पर लगा दिया था। उन वकीलों का भी योगदान कम नहीं था, जिन्होंने सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर अपनी रोज़ी-रोटी को ठुकराकर फक्कड़ता को स्वीकार किया था। उन दानदाताओं एवं इसे संग्रहित करने वाले नेताओं की भूमिका कम महत्त्वपूर्ण नहीं थी, जिन्होंने सरकारी स्कूल कॉलेजों के विकल्प में राष्ट्रीय विद्यालयों एवं विद्यापीठों की स्थापना की थी।

इसी प्रकार, दांडी मार्च करने वाले गाँधी अकेले व्यक्ति नहीं थे। इस यात्रा के आयोजन में गाँव-गाँव के उन 79,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भूमिका कम नहीं थी, जिनका संबल पाकर महात्मा गाँधी ने नमक क़ानून को तोड़ा था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। गाँधी जी के 'भारत छोड़ो आंदोलन' में भी हमें उन कांग्रेसी प्रतिनिधियों एवं नेताओं की भूमिका को कमतर नहीं आँकना चाहिए, जिन्होंने 'भारत छोड़ो आंदोलन' के प्रस्ताव को 8 अगस्त, 1942 के बंबई सम्मेलन में पारित किया था तथा 9 अगस्त, 1942 को एवं उसके पश्चात् जगह-जगह अपनी गिरफ़्तारियाँ देकर ब्रिटिश सरकार को दहशत में डाला था।

प्रस्तावित लघु परियोजना का उद्देश्य

आज़ादी के संघर्ष में क्या केवल एक ही गाँधीवादी विचारधारा, एक दल कांग्रेस ही काम कर रही थी। क्या अन्य कोई दल अथवा राजनीतिक विचारधारा उस समय के राजनीतिक परिदृश्य में सक्रिय नहीं थी? क्या ऐसी कल्पना कर लेना अथवा मान लेना उस क्रांतिकारियों, शहीदों तथा बलिदानियों के साथ अन्याय नहीं होगा, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर फाँसी के फँदों को चूमा है अथवा आजीवन कारावास एवं काला पानी की सज़ा भुगती है तथा स्वतंत्रता के पश्चात् आर्थिक यातना भरा जीवन जीने को विवश हुए हैं। अतः प्रस्तावित लघु परियोजना का उद्देश्य इन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करना है।

प्रस्तावित विषय को ही लघु परियोजना के रूप में अध्ययन हेतु क्यों चुना गया?

गाँधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा संचालित आज़ादी के आंदोलनों के समय भी देश में कई ऐसी विचाराधाराएँ जैसे साम्यवाद, जनवाद, समाजवाद, हिंदू कट्टरवाद, मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद, दलित राजनीति, क्रांतिकारी पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रित सेना, उसी प्रकार, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, अकाली दल, खालसा पंथ जैसे राजनीतिक दल एवं पंजाब नौजवान सभा, अनुशीलन समिति, युगांतर समिति, अभिनव भारत सोसाइटी जैसी अनेक संस्थाएँ एवं पंथ सक्रिय थे, जो कांग्रेस एवं गाँधी जी से बिल्कुल असहमत थे तथा इन्होंने भी अपनी-अपनी विचारधारा एवं रणनीति के अनुसार ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी है। भारत के कोने-कोने में

अनेक ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने अपने-अपने संसाधनों एवं दायरे में ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा है एवं इसके विरुद्ध संघर्ष छेड़ा है, जिसके बदले उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा, परंतु इतिहास के पन्नों में उनके नाम नदारद हैं, क्योंकि उनके पास उस समय की राजनीतिक पहुँच एवं चमक-धमक नहीं थी। अतः वह बलिदानी होकर भी इतिहास के पन्नों में जगह नहीं पा सके। राष्ट्रीय परिदृश्य में ख्याति अर्जित नहीं कर सके। प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य ऐसे क्रांतिकारियों की खोज करना एवं स्वाधीनता आंदोलन में उनके योगदान का मूल्यांकन करना है, जो इतिहास के राष्ट्रीय परिदृश्य से ग़ायब है।

प्रस्तावित लघु शोध परियोजना का क्षेत्र

प्रस्तावित लघु शोध परियोजना चूँकि किसी एक अथवा किन्हीं स्थानों विशेष पर आधारित नहीं है, जहाँ पर जाकर उसका अध्ययन केंद्र बनाया जा सके। परियोजना का विषय सैद्धांतिक अर्थात् हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में अपने को अर्पित करने वाले उन क्रांतिकारियों का पता लगाना है, जिन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली अथवा न के बराबर मिली। अतः उस उद्देश्य की प्राप्ति केवल उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से नहीं होगी, बल्कि विभिन्न भू-भागों के प्रचलित जनरीतियों, जनस्मृतियों पर आधारित बलिदानियों का पता लगाकर जनस्मृतियों की सत्यता का परीक्षण कर, क्रांतिकारियों की खोज कर उन्हें इस प्रस्तावित लघु शोध परियोजना लेखन में जगह दी जाएगी।

प्रस्तावित लघु शोध परियोजना के अध्ययन हेतु शोध प्रविधियाँ

जैसा कि इस परियोजना के प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में उल्लेख किया जा चुका है कि लघु शोध परियोजना का विषय केवल इतिहास की पुस्तकों के विश्लेषण तक सीमित न होकर देश के चुनिंदा प्रमुख क्षेत्रों में प्रचलित जनस्मृतियों के आधार पर क्रांतिकारियों की खोज करना है। अतः इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार शोध प्रविधि का सहारा लेकर ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के आधार पर परियोजना लेखन का कार्य पूर्ण किया जाएगा।

प्रस्तावित लघु शोध परियोजना की परिकल्पनाएँ

हमारी यह प्रस्तावित लघु शोध परियेाजना निम्नांकित परिकल्पनाओं को लेकर प्रारंभ की जा रही है।

1. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत के विभिन्न भू-भागों से अनेक ऐसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है, जिन्हें राष्ट्रीय इतिहास के पृष्ठों में जगह नहीं मिली है।
2. भारत की आज़ादी केवल महात्मा गाँधी एवं अन्य क्रांतिकारियों के संघर्ष से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि इतिहास के राष्ट्रीय परिदृश्य से ग़ायब अनेक क्रांतिकारियों के संयुक्त संघर्ष का परिणाम है।

लघु शोध परियोजना का अध्यायीकरण

हमारी यह प्रस्तावित लघु शोध परियोजना कुल नौ अध्यायों में विभक्त होगी। अध्याय प्रथम में भारत की आज़ादी के संघर्ष में क्रांतिकारियों की सामान्य पृष्ठभूमि का उल्लेख किया जाएगा, जिसमें महात्मा गाँधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के पूर्व प्रचलित क्रांतिकारी संस्थाओं एवं उनसे जुड़े क्रांतिकारियों का उल्लेख होगा। अध्याय द्वितीय में महात्मा गाँधी द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलनों एवं उनके इन आंदोलनों से असहमति रखने वाले क्रांतिकारियों की एवं उनके संक्षिप्त योगदान की चर्चा की जाएगी। अध्याय तृतीय में क्रांतिकारी भगवतीचरण वर्मा एवं उनकी पत्नी दुर्गा भाभी को समर्पित होगा। अध्याय चतुर्थ में भगवतीचरण वर्मा एवं अन्य शीर्षस्थ क्रांतिकारियों की सहयोगी रही सुशीला मोहन दीदी के क्रांतिकारी कारनामों की चर्चा की जाएगी। अध्याय पंचम में क्रांतिकारी गेंदालाल, मुकुंदीलाल, कुंदनलाल एवं प्रभुदयाल से संबंधित होगा। अध्याय षष्ठम् में काकोरी केस के शहीदों पं. रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशसिंह, अशफाक उल्ला खाँ एवं शहीद शचींद्रनाथ बख्शी को समर्पित होगा। अध्याय सप्तम् में बटुकेश्वर दत्त, भगवानदास माहौर, मास्टर रूद्र नारायण सिंह एवं शिवराय मल्लिकापुरकर, जयदेव, यशपाल इत्यादि क्रांतिकारियों के योगदान को रेखांकित करेगा। अध्याय अष्ठम् में महावीर सिंह, सुखदेव राज एवं अज्ञेय के योगदान को उजागर करेगा एवं अध्याय नवम् जोकि अंतिम अध्याय होगा, इसमें चौरी-चौरा के शहीदों को स्मरण करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में उनके महत्त्व को रेखांकित करेगा। इसी अध्याय में परियोजना के निष्कर्ष का भी उल्लेख किया जाएगा।

❑

संदर्भ

1. ब्रिटिश साम्राज्य में साम्यवाद : राजविलास शर्मा
2. महावीर सिंह का बलिदान : मलवेंदर जीता सिंह बढ़ैच एवं सीताराम बंसल
3. जतींद्र सान्याल : अमर शहीद सरदार भगत सिंह, क्रांतिकारी प्रकाशन, मिर्जापर (उ.प्र.)
4. डॉ. चमनलाल : भगत सिंह पत्र एवं दस्तावेज़
5. डॉ. गुरुदेव सिंह देओल : शहीद-ए-आज़म सरदार भगतसिंह, द्वीप प्रकाशन नामा, 1978 पृ. 62-63
6. शिव वर्मा संस्मृतियाँ : लोक प्रकाशन गृह, दिल्ली
7. अजय घोष : भगत सिंह व उनके साथी, लोक प्रकाशन गृह, दिल्ली
8. ए.जी. नूरानी : ट्रायल ऑफ भगत सिंह, पालिटिक्स ऑफ जस्टिस, ए.जी. नूरानी, ऑक्सफोर्ड प्रेस, कराची
9. सुखदेव राज : संपादक सुधीर विद्यार्थी : जप ज्योति जगी
10. सुधीर विद्यार्थी : जप ज्योति जगी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
11. सुधीर विद्यार्थी : जखीरे में शहादत, नई दिल्ली

12. मलवेंदर सिंह बढ़ेच एवं सीताराम बंसल : राम प्रसाद विस्मल को फाँसी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
13. सुधीर विद्यार्थी : क्रांति की इबारतें, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
14. प्रवीण भल्ला : शहीद-ए-वतन राजगुरु, चिल्ड्रन टेंपल, नई दिल्ली

रिपोर्ट

लिव-इन-रिलेशनशिप पर राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला

भारत में समाज में आजकल लिव-इन-रिलेशनशिप का बड़े पैमाने पर चलन हो रहा है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार लिव-इन-रिलेशनशिप में अगर विवाह संबंधी शर्तें पूरी होती हैं तो उसे विवाह माना जाएगा। अगर किसी शर्त का उल्लंघन होता है तो उस मामले में लिव-इन-रिलेशनशिप में कोई कानूनी राहत नहीं दी सकती। अभी जून, 2021 में इसी तरह का मामला जब राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष आया तो उसमें तदनुसार फैसला दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव-इन-रिलेशनशिप में सुरक्षा की माँग करने वाले याचिकाकर्ताओं (महिला-पुरुष) की याचिका पर विचार करते हुए देखा कि याचिकाकर्ता नंबर 2 (पुरुष) पहले से ही विवाहित है। यह नोट करते हुए अदालत ने कहा कि ''एक विवाहित और अविवाहित व्यक्ति के बीच लिव-इन-रिलेशन की अनुमति नहीं है।''

न्यायमूर्ति पंकज भंडारी की पीठ 29 साल की एक महिला और 31 साल के एक पुरुष की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने लिव-इन-रिलेशनशिप की सुरक्षा की माँग की।

कोर्ट ने आगे कहा कि **डी. वेलुसामी बनाम डी. पचौअम्मल (2010) 10 एससीसी 469** में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित लिव-इन-रिलेशनशिप के लिए पूर्व आवश्यकताएँ हैं। यह दंपति को स्वयं को पति-पत्नी के समान समाज के सामने रखना चाहिए।

शादी करने के लिए कानूनी उम्र का होना चाहिए या अविवाहित होने सहित कानूनी विवाह में प्रवेश करने के योग्य होना चाहिए। इसके साथ ही आपराधिक विविध याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया गया। (2010) 10 एससीसी 469 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि लिव-इन-रिलेशनशिप के लिए पूर्व आवश्यकताएँ हैं।

यह कि दंपति को स्वयं को पति-पत्नी के समान समाज के सामने रखना चाहिए। शादी करने के लिए कानूनी उम्र का होना चाहिए या उन दोनों में से किसी को पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अविवाहित होने सहित कानूनी विवाह में प्रवेश करने के योग्य होना चाहिए।

अतः राजस्थान उच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले में लिव-इन-रिलेशनशिप में सुरक्षा माँगने वाले कपल की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इसमें पुरुष तो पहले ही शादीशुदा है।

डॉ. अमरसिंह वधान

गुरू तेग बहादुर : 'हिंद की चादर'

मानव विकास के प्रत्येक चरण का अपना पैगंबर हुआ है, जिसने अपने समय के लोगों का पथ-प्रदर्शन किया और ऐसे नए, उच्च एवं उत्साहवर्धक मूल्यों की स्थापना की जो जीवन में आशा और विश्वास पैदा करते हैं। भारतीय दर्शन, चिंतन और अध्यात्म की गहरी समझ रखने वाले महापुरुषों ने भी एक नूतन भावात्मक विश्व दृष्टि प्रदान कर मानव के अस्तित्त्व, उसका जगत् के प्रति लगाव, मानव सेवा और सर्वमुक्ति का विचार लोगों के सामने रखा। उन्होंने पूर्ण सत्य को उसकी समग्रता में ही समझा। यदि मानव के आध्यात्मिक विकास की कोई संभावना है तो वह उत्कृष्ट चेतनता एवं सर्वज्ञता के जीवन में ही है। जब मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है, तब वह अपने प्रकाश से समूची मानवता को प्रकाशित करता है।

लेकिन भारत में बसने वाली कोई भी जाति यह दावा नहीं कर सकती कि भारतीय चिंतन, अध्यात्म, दर्शन और विचारों पर उसी का एकाधिकार है। भारत में आज जो कुछ है, उसकी रचना को भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का बराबर योगदान है। 'हिंद की चादर' से सम्मान संज्ञापित होने वाले गुरू तेग बहादुर भी इसके अपवाद नहीं है, क्योंकि उन्होंने अत्याचारों से विचलित धर्म एवं मानवता को स्थिरता प्रदान की। उत्साह, धैर्य, शांति और प्रेरणा के पुँज गुरू साहिब का कहना था कि सिख वह नहीं जो किसी से डरता है या किसी को डराता है, बल्कि सच्चा सिख वह है जो निर्भय और निरवैर है। उन्होंने सिखों को सांसारिक मोह छोड़कर धर्म के लिए कुर्बानी की विधि से भली-भाँति अवगत कराया। उनका यही बीज विचार गुरू गोविंद सिंह के नेतृत्व में 'खालसा पंथ' के रूप में साकार हुआ। आश्चर्य नहीं कि गुरू तेग बहादुर के गंभीर, वैराग्यपूर्ण तथा कांतिकारी व्यक्तित्त्व का प्रभाव सिखों पर ही नहीं, अपितु हिंदू-मुसलमानों पर भी गहरा पड़ा।

जीवन रेखा : गुरू तेग बहादुर का जन्म मीरी तथा पीरी की दो तलवारें धारण करने वाले गुरू हरि गोबिंद साहिब के घर माता नानकी के उदर से 1 अप्रैल, 1621 ई. को अमृतसर में हुआ। कुछ विद्वान इनके जन्म की तारीख 18 नवंबर, 1621 बताते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए बाबा बुड्डा जी तथा भाई गुरदास जी का संरक्षण प्राप्त हुआ। आपने अपने धर्मवीर पिता की देख-रेख में आत्म विद्या तथा शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। करतारपुर के युद्ध में आपने तलवार के ऐसे चमत्कार दिखाए जिस पर पिता ने प्रसन्न होकर कहा, ''तू

तो ठीक ही तेग बहादुर है और अपने नाम को सार्थक कर दिया है।'' शैशव काल से ही आप शांत एवं गंभीर प्रकृति के स्वामी थे। इनका मन आध्यात्मिक कार्यों की ओर प्रवृत्त था। पाँच साल की आयु में अंतर्मग्न हो जाने पर इनके पिता ने आध्यात्मिक नेता होने का अनुमान लगा लिया था। त्यागी, संयमी तथा संतुलित स्वभाव के इस अद्वितीय बालक ने अपना अधिकांश समय ईश्वर आराधना में व्यतीत किया। साथ ही इतिहास, गणित, तर्कशास्त्र, ब्रह्मविज्ञान, महाभारत, रामायण, कुरान, सूफी धर्म तथा अनेक भाषाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। पहलवानी, गतका तथा खड़ग आदि का प्रयोग करना इनकी दिनचर्या थी।

गुरू तेग बहादुर की पत्नी माता गुजरी बड़ी दयालु, बुद्धिमान, क्षमावान तथा सुंदर महिला थी। त्याग, संयम तथा सहनशीलता उनके व्यक्तित्त्व के गुण थे। इनकी 'बाबा बकाले' में की गई निष्काम सेवा महान् पत्नी तथा भक्तिन के रूप को उजागर करती है। गुरू गोविंद सिंह जैसे सुपुत्र को जन्म देने का गौरव आपको प्राप्त हुआ, जिन्होंने 'खालसा पंथ' की स्थापना की, अत्याचार के विरुद्ध डटने का मंत्र फूँका और देश के लिए समस्त परिवार को न्यौछावर करके विश्व में एक अनुपम उदाहरण क़ायम किया।

गुरू तेग बहादुर का अधिकांश समय 'प्रभु सिमरन' में ही बीतता। पंचभूत पदार्थों के प्रति आप शुरू से ही अनासक्त थे। जिस समय पिता गुरू हरिगोबिंद जी ने स्थितियों को देखते हुए गुरू हरिराय को गुरुआई का भार सौंपा तो माता नानकी जी ने ऐसा करने का कारण जानने की इच्छा व्यक्त की। तब गुरू हरिगोबिंद जी ने कहा, ''अवसर आने पर गुरू तेग बहादुर को भी गुरू गद्दी मिल जाएगी, चिंता न करो।'' यह कहकर उन्होंने गुरू तेग बहादुर को पोथी, कटार और रूमाल देकर 'बाबा बकाला' जाने का आदेश दिया। इनका यहाँ पर ननिहाल भी था।

सन् 1664 में गुरू हरिगोबिंद जी परम ज्योति में समा गए। बाबा बकाला में गुरू तेग बहादुर का समय प्रभु सिमरन में ही बीतता। साधारण से घर में रहते हुए आध्यात्मिक गतिविधियों में आप अधिक संलग्न रहते। माता गुजरी (पत्नी) और माता नानकी आपका पूर्णतया ध्यान रखतीं। घोर तपस्या की साधना ने गुरू तेग बहादुर की आत्मा को परमतत्त्व से तादात्म्य करा दिया था। लगभग 20-21 वर्ष (1644-1664) तक बाबा बकाला में ही रहे। वहाँ रहते हुए इन्होंने कई पावन स्थानों का भ्रमण किया। अक्टूबर, 1661 में गुरू हरिराय के बाद गुरू हरिकृष्ण ने गुरू गद्दी का भार सँभाला। इसी दौरान दिल्ली में शीतला तथा हैजा ने ज़ोर पकड़ा। गुरू हरिकृष्ण पर भी शीतला का घातक प्रहार हुआ। लेकिन उन्होंने संगत को संबोधित करते हुए आगामी गुरू का संकेत 'बाबा बकाला' की ओर किया, जिसका अभिप्राय था कि गुरू गद्दी का उत्तराधिकारी गाँव बकाला में निवास कर रहा है। मार्च, 1664 में गुरू हरिकृष्ण ने बैकुंठ में प्रस्थान किया।

गुरु तेग बहादुर का प्रकट होना : अक्टूबर 9, 1664 को मक्खनशाह लुबाना अपने परिवार सहित 'बाबा बकाला' में गुरू जी के दर्शनार्थ उपस्थित हुआ। दरअसल, कुछ समय पहले उसका माल से लदा हुआ जहाज़ समुद्री तूफ़ान की लपेट में आ गया था। तब उसने गुरू नानक

देव की परंपरा के 'गुरु' को ईश्वरीय रूप मानकर प्रार्थना की थी कि यदि उसका जहाज़ समुद्री तट पर सही सलामत लग गया तो इसके उपलक्ष्य में वह 500 मोहरें वर्तमान गुरू को भेंट करेगा। अपनी योजनानुसार उसने गुरू जी के सामने पाँच मोहरें भेंट कीं और इंतज़ार करने लगा। गुरू जी ने उसे बाकी मोहरें प्रस्तुत करने का स्मरण करवाया। मक्खनशाह मन-ही-मन मुस्कराने लगा और आश्चर्य के साथ उच्चारण किया, 'सच्चा गुरू यही है।' ख़ुशी से झूमते हुए मकान की छत पर जाकर ऊँची आवाज़ में कहने लगा, 'गुरू लाधो रे, गुरू लाधो रे', अर्थात् वास्तविक गुरू मिल गया।

गुरु गद्दी दायित्व : गुरू तेग बहादुर ने 44 वर्ष की आयु में (20 मार्च, 1664) को गुरू आई का भार सँभाला। लेकिन धीरमल तथा गुरू घर के विरोधियों ने गुरू तेग बहादुर पर कई तरह के आक्रमण करवाए। इतना ही नहीं, धीरमल ने सम्राट औरंगज़ेब के कान भरने शुरु कर दिए। इसी दौरान कश्मीरी पंडित कृपा राम के नेतृत्व में 25 मई, 1675 को सोलह सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल गुरू जी के पास आया। उन्होंने दिन-प्रतिदिन धर्म की हानि एवं औरंगज़ेब के अत्याचारों से अवगत कराते हुए आश्रय की माँग की। गुरू तेग बहादुर उनकी व्यथा सुनकर विचारमग्न हो गए। तभी बालक गोविंददास ने अंदर प्रवेश किया। बालक ने पिताश्री एवं उपस्थित जन को प्रणाम कर हताशा का कारण जानने की जिज्ञासा प्रकट की। गुरू जी ने कहा, ''किसी महान् व्यक्ति एवं महापुरुष का बलिदान ही इस संकट को टाल सकता है, जो औरंगज़ेब के पास जाकर उसकी अनुचित नीति को चुनौती दे।'' इस पर बालक गोबिंद दास ने पिता श्री के सम्मुख होकर तुरंत कहा, ''आपसे बढ़कर और कौन महापुरुष हो सकता है जो मुग़ल सम्राट के समक्ष शांति, एकता एवं बंधुत्व का पाठ पढ़ाने में कुशल हो। गुरू जी ने पुत्र का साहसपूर्ण उत्तर सुनकर मन-ही-मन में भूरि-भूरि प्रशंसा की। आपकी चिंता का निराकरण हो गया।

विलक्षण शहादत : अब गुरू तेग बहादुर ने निर्णय लिया कि इस महान् कार्य के लिए वे स्वयं शहादत का जाम पीएँगे। उन्होंने पंडित वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग औरंगज़ेब को संदेश भेजें कि यदि मुझे (गुरू जी) अपने धर्म में सन्निविष्ट करने में वह सफल हो गया तो शेष सभी बिना आपत्ति इस्लाम धर्म अपना लेंगे। तत्कालीन गवर्नर को गुरू जी का संदेश भेजा गया जिसे सुनकर औरंगज़ेब अत्यंत प्रसन्न हुआ उसने काज़ियों से विमर्श करके गुरू साहिब को दिल्ली बुला भेजने की आज्ञा दी।

कहा जाता है कि गुरू तेग बहादुर ने दिल्ली जाने से पूर्व 8 जुलाई, 1675 को गुरू गोविंद सिंह को गुरू गद्दी सौंपी। आपने बालक गोविंद सिंह के मस्तक पर कलगी लगाई, पाँच पैसे तथा नारियल देकर गुरुआई के कार्य भार की रस्म अदा की। इसके पश्चात् 10 या 11 जुलाई, 1675 को अपने साथ भाई मतीदास, भाई दयालदास तथा मुख्य ग्रंथि भाई गुरदित्ता को लेकर आनंदपुर साहिब से अभियान के लिए चल पड़े। गुरू साहिब का मुख्य उद्देश्य औरंगज़ेब से मिलकर उसकी धार्मिक नीति की प्रक्रिया से अवगत कराना था। गुरू जी ने अपने सेवकों सहित आनंदपुर से गमन कर कीरतपुर, सैफाबाद, आगरा आदि स्थानों पर ठहरते हुए आगरा के बाहर

एक उद्यान में एक गड़रिये के माध्यम से बड़े नाटकीय ढंग से अपने आप को गिरफ़्तार करवाया।

एक विशाल सेना की देख-रेख में गुरू जी को दिल्ली लाया गया। औरंगज़ेब ने गुरू तेग बहादुर को तरह-तरह के प्रलोभन देकर इन्हें विचलित करने का प्रयास किया। गुरू साहिब ने औरंगज़ेब को समझाया कि धर्म के नाम पर अन्याय की नीति मानव समाज और राष्ट्र के हित में नहीं है। धर्म एवं आध्यात्मिकता का सही अर्थ भी बताया। लेकिन यह सब सुनने के बाद औरंगज़ेब ने कहा, 'ईश्वर सर्वोच्च है'। मुझे स्वप्न में आकर उसने निर्देश दिया, ''मैं सारे विश्व को इस्लाम में परिवर्तित कर दूँ। अतः मैं उसकी आज्ञा का पालन करने में संलग्न हूँ।'' गुरू जी ने इस पर उत्तर दिया, ''मुझे मालूम नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हारा ख़ुदा।'' गुरू साहिब ने आगे कहा, ''मैं तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ, जिसे तुम स्वयं देख सकते हो।''

तब गुरू साहिब ने बादशाह को पाँच मन मिर्च मँगवाने का आदेश दिया। सम्राट ने शीघ्र ही आज्ञा का पालन करवाया। गुरू जी ने एक ढ़ेर के रूप में मिर्च एकत्रित कर अग्नि दी। कुछ समय बाद मिर्च के ढ़ेर ने राख का रूप ले लिया। जब उस राख को छाना गया तो उसमें से केवल तीन मिर्च पूरी निक़लीं। गुरू साहिब ने कहा, ''औरंगज़ेब तेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तू दो धर्मों में एक धर्म बनाने का अभिलाषी था। लेकिन परमात्मा दो की अपेक्षा तीन के पक्ष में हैं। इन तीन मिर्चों से स्पष्ट इंगित है कि भविष्य में हिंदू, सिख और इस्लाम अशेष धर्म रहेंगे।''

यह सुनकर औरंगजेब ने गुरू जी को एक बड़े लोहे के पिंज़रे में चाँदनी चौक की कोतवाली में रखने का आदेश दिया। यहाँ पर आपको कई प्रकार की यातनाएँ दी गईं। फिर भी गुरू जी सदा प्रसन्नचित्त दिखाई देते। औरंगज़ेब ने गुरू जी के भक्तों को शहीद किया। असल में, वह गुरू जी के अनुयायियों को कड़ा दंड देकर उनको भयभीत करना चाहता था। औरंगज़ेब के तमाम प्रयास निष्फल हो गए। अपनी अमर शहीदी पाने से कुछ क्षण पहले गुरू तेग बहादुर ने ज़ालिमों को स्पष्ट कहा था, ''धन अमीरों के पास है और क़रामात पीरों के पास। हम तो प्रभु के फ़कीर हैं और हमें उसी के नाम का आश्रय है। हाँ, बिना किसी हथियार के सच्चाई के लिए लड़ मरना सबसे बड़ी करामात है।'' अंततः 11 नवंबर, 1675 समय दोपहर, स्थान चाँदनी चौक (वर्तमान गुरुद्वारा सीसगंज) कोतवाली में लाकर गुरू जी को खड़ा किया गया। हज़ारों की संख्या में लोग जमा थे। जलालुद्दीन नामक जल्लाद के द्वारा गुरू तेग बहादुर को शहादत का प्याला पिलाया गया। व्यग्र तथा ख़ामोश जनता में करुणा की लहर दौड़ गई। आँखों से अश्रुधारा बह निक़ली। औरंगज़ेब की धर्म ध्वजता की यह निरंकुश पराकाष्ठा थी।

इसी बीच प्रकृति ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया कि चारों ओर आँधी और तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। इस भीषण चमत्कार का लाभ भाई जैता जी ने उठाया और अपने पिता से मिलकर अगहर की तैयारी की हुई थी। गुरू तेगबहादुर के शीश (शव) को उठा लिया और बड़ी शीघ्रता से उसने आनंदपुर साहिब में पहुँचाया। वहाँ उसने गुरू गोविंद सिंह के सामने शव रखकर 'रंगरेटा गुरू का बेटा' का वरदान पाया। पूरी श्रद्धा से संस्कार की रस्में संपन्न की गईं। दूसरी ओर गुरू

जी के अनन्य भक्त लक्खी शाह ने अपने पुत्रों के सहयोग से 11 या 12 नवंबर, 1675 को रात अपनी गाड़ियों में रुई भरकर गुरू जी की पावन देह को गाँव रकावगंज ले आया और सुबह होने से पूर्व उसने समस्त घर को आग लगा दी। इस तरह उसने गुरू जी के देह संस्कार को नतमस्तक होकर पूर्ण किया। आजकल यहाँ का गुरुद्वारा 'रकावगंज' नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार सिख धर्म परंपरा के नौवें चिराग़ की ज्योति परम ज्योति में समा गई।

वाणी एवं शब्द प्रयोग : गुरू ग्रंथ साहिब में नौवें महल्ले के अंतर्गत 116 पद्यों का संकलन गुरू तेग बहादुर की वाणी माननीय है, जिसमें 59 पद्य तथा 57 श्लोक उपलब्ध हैं। गुरू जी की वाणी 15 रागों से आवृत्त है। इसको 17 रागों में भी विभाजित किया जा सकता है, यदि बसंत तथा हिंडोल को अलग-अलग तथा तिलंग को काफ़ी से भिन्न मान लिया जाए। इसके अतिरिक्त गद्य में रचित 22 'हुक्मनामे' आपकी रचना में माननीय है। शब्द प्रयोग की दृष्टि से देखें तो गुरू तेग बहादुर ने अपनी समूची वाणी में 4298 शब्द रूपों का प्रयोग किया है। इनमें कई शब्दों का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। अतः इनमें से दोहराव वाले शब्दों को मनफी करने के बाद केवल 1156 शब्द रूप बचते हैं। प्राप्त शब्द रूपों में 448 संज्ञा शब्द, 52 सर्वनाम, 144 विशेषण, 438 क्रियाएँ, 14 क्रिया-विशेषण, 29 संबंधक, 14 नकारवाचक, 12 प्रश्नवाचक, 2 सहायक क्रियाएँ एवं 2 संबोधन शब्दों का प्रयोग मिलता है।

दार्शनिक चिंतन : गुरू तेग बहादुर सादगी, सद्भाव एवं सदाचार की त्रिवेणी हैं। मूलतः संत स्वभाव होने की वज़ह से आपने अविराम प्रभु की आराधना में अपना जीवनयापन किया। उस अनंत, असीम तथा अज्ञात परमसत्ता से लगाव गुरू साहिब की प्रकृति रही। इनकी वाणी में ब्रह्म, सृष्टि, नश्वरता, मृत्यु, माया, भक्ति, वैराग्य आदि दार्शनिक तत्त्वों पर गहन विचार हुआ है।

ब्रह्म : गुरू तेग बहादुर की वाणी में ब्रह्म का निराकार रूप ही मान्य है। ब्रह्म के एकेश्वरवाद में निष्ठा व्यक्त की गई है। उन्होंने ब्रह्म को असीम, अतुलनीय, अलख, निरंजन, अपार, अगणित आदि से अलंकृत कर अपनी अनुपम माया (सृष्टि) का स्वयं द्रष्टा कहकर संबोधित किया है --

अगनत अपारू अलख निरंजन जिह सभ जगु भरमाइयो।
अपनी माइया आपि पसारी आपहि देखनहारा। (रागु बिहागड़ा, 9-1)

गुरू साहिब ने ब्रह्म की तुलना दर्पण की छाया से की है। ब्रह्म के साथ तादात्म्य वही कर सकता है जिसके पास दिव्य नेत्र हैं। गुरू जी की वाणी में घर छोड़कर कहीं भी पहाड़ों, जंगलों, गुफाओं आदि में मनुष्य को जाने के लिए नहीं प्रेरित किया गया है। वे मानव को बार-बार बाहर की अपेक्षा परमात्मा को अंदर ही पाने के संकेत देते हैं। उन्होंने ब्रह्म को भवसागर से पार कराने में सक्षम माना है। उसके स्मरण करने से जीवात्मा की गति हो जाती है -- 'तिह सिमरन गति पाईऐ' (श्लोक-10) गुरू जी ने ब्रह्म को भय को नष्ट करने वाला, दुर्बुद्धि को दूर भगाने वाला तथा सभी कार्य सिद्ध करने वाला कहा है। पतित-पावन, अनाथों के नाथ, दयालु, सुखदाता, रक्षक आदि विशेषणों से भी संबोधित किया है। ब्रह्म को राम, हरि, गोविंद,

निरंजन, गुसाईं, रघुनाथ, चिंतामणि, मुरारी, स्वामी, भगवान् आदि नामों से पुकार भ्रमित जीवात्मा के मानसिक संतुलन को संतुष्ट किया है। ऐक्य की भावना पर अधिक बल दिया गया है। 'ब्रह्म' को मुक्ति का कारण बताते हुए जीव को सचेत किया गया है कि यदि अजामिल (पापी), गणिका (वेश्या) तथा गज (हाथी) का उद्धार नाम सिमरन से हो सकता है तो मनुष्य के लिए भी मोक्ष असंभव नहीं --

अजमल गनिका जिह सिमरत मुक्त भए जीअ जानो।
गज की त्रास मिटी छिन हू महि जबही रामु बखानौ। (बिलावल, 9-1)

सृष्टि : गुरू साहिब ने सृष्टि का कर्ता परमात्मा को स्वीकार किया है। समस्त जगत् इसके रहस्य से अनभिज्ञ है। उन्होंने जगत् की अस्थिरता को स्पष्ट करते हुए रेत की दीवार, बादल की परछाईं, धुएँ का पहाड़, पानी का बुलबुला, स्वप्न अलंकारों से विमंडित कर संसार की क्षणभंगुरता को सुदृढ़ किया है। उन्होंने जगत् को मृगतृष्णा के समान माना। बाहर से भव्य दिखाई देने वाला यह संसार भीतर से असत्य, मिथ्या एवं नाशवान् है। जीव लौकिक सुंदरता पर आसक्त रहता है। गुरू तेग बहादुर का उद्देश्य जीव को विमूढ़ता से निकालना था। संसार की वास्तविकता एवं सत्य को उजागर करने के मूल में उनकी मानवीय उद्धार की भावना क्रियाशील थी --

जैसे जल ते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत।
जग रचना वैसे रची कहु नानक सुनि मीत।। (श्लोक-25)

गुरू जी स्पष्ट करते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं। विमोह के कारण हम एक-दूसरे से लिपटे हुए हैं। इसमें अपने स्वार्थ की गंध छिपी है। इसे हमने संबंध का नाम दिया हुआ है। मनुष्य वैभव में आनंद लूटता है, दुःख में संवेदना प्रकट करता है। किसी के चले जाने पर जीव और जगत् के कार्य अवरुद्ध नहीं होते। दुनिया वैसी ही गतिशील रहती है। अकेले जाने वाले व्यक्ति को अपना हिसाब भी स्वयं ही चुकाना पड़ता है। सांसारिक चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग 'नाम सिमरन' ही है, जो अंतिम समय काम आता है। भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ बेमानी है। सृष्टि का मार्ग टिकाऊ नहीं है। गुरू साहिब ने निर्लिप्त रहने की शिक्षा दी है।

नश्वरता : गुरू तेग बहादुर ने अपनी वाणी में जगत् की नश्वरता की गहन व्याख्या की है। वे कहते हैं कि यह संसार रेत की दीवार की तरह है और इस पर अधिक समय तक विश्वास नहीं किया जा सकता --

जग रचना सभी झूठ है जानि लेहु रे मीत।
कहु नानक थिरु न रहै जिउ बालू की भीति।। (श्लोक-49)

गुरू जी ने दृश्यमान वस्तुओं को बादलों की छाया के सादृश्य घोषित किया है। बाहर से सुंदर एवं आकर्षित लगने वाला संसार अंदर से खोखला और असत्य है। प्रभु वन्दना ही सत्य है जो अंतिम समय प्राणी को यम के फँदे से मुक्त कराने में सहायक होती है। जगत् की नश्वरता को धुआँ, बादल, स्वप्न आदि प्रतीकों के ज़रिए उभारा गया है।

मृत्यु : असल में, मृत्यु ईश्वरीय रज़ा अथवा हुक्म है। इसे परमात्मा का 'भाणा' भी कहा

गया है। कोई जीव मृत्यु से बच नहीं सकता। गुरू तेग बहादुर की वाणी में यम, यम फँदा, यमराज, यम फाँसी, यम त्रास आदि शब्दों के माध्यम से 'मृत्यु' का आभास कराया गया है। क्षण-प्रतिक्षण जीव विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। उसकी बढ़ती आयु उसे इस दुनिया की अवधि से घटा रही है। लेकिन जीव इस रहस्य से अनभिज्ञ है। गुरू साहिब ने पानी के फूटे घड़े के माध्मय से मनुष्य को सचेत किया है कि घड़े से निक़लने वाला प्रत्येक जल कण उसके भीतर के जल को कम कर रहा है। उसी प्रकार यदि जीव की आयु साठ साल अनुमित है तो क्या जीवन का प्रत्येक क्षण उसे न्यून नहीं करता जा रहा है?

छिनु छिनु अउध बिहानु है पूफटे घट जिउ पानी। (तिलंग 9-1)

निस्संदेह, मृत्यु एक आवश्यक प्रक्रिया है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, आचार्य, पराक्रमी, राजा-महाराजा, विद्वान् आदि मृत्यु के हाथों से बच नहीं पाए। अवसर आने पर उन्हें भी संसार छोड़ना पड़ा। गुरू जी कहते हैं --

राम गइओ रावणु गइओ जा कउ बहु परवारू। (श्लोक-50)

मनुष्य मृत्यु रूपी फँदे से षड्यंत्र नहीं रच सकता। जगत् में कुछ भी स्थायी नहीं है। आने-जाने का नाम ही दुनिया है। इसलिए गुरू साहिब ने जीव को प्रत्येक क्षण कार्यशील रहने का उपदेश दिया है। मृत्यु उतनी ही निकट है, जितनी अगली साँस।

माया : गुरू साहिब की वाणी में माया के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की व्याख्या उपलब्ध है। माया को रचना शक्ति, दासी, धन, अज्ञान, अविद्या, यौवन, काम, लोभ, मोह, अहंकार, परिवेश आदि के रूप में उजागर किया गया है। संपूर्ण प्रकृति माया का ही रूप है। इसका प्रसार परमात्मा ने स्वयं किया है --

अपनी माइआ आप ही पसारी आपहिं देखनहारा। (बिहागड़ा, 9-1)

गुरू तेग बहादुर कहते हैं कि मनुष्य का मूलतः स्वभाव प्रमादी है और इसी कारण वह माया के चंगुल से छूट नहीं पाता। माया सृष्टि का ही अभिन्न अंग है। यदि मानव जीवन का आधार भक्ति है तो माया उसे स्पर्श नहीं कर सकती --

साधो इहु जगु भरम भुलाना।
राम नामु का सिमरनु छोड़िया पाइआ हाथि बिकाना। (धनासरी, 9-2)

वैराग्य : वैराग्य का सामान्य अर्थ है -- जगत् के झंझटों से मन हटाकर ईश्वर की ओर मन की वृत्ति लगाना। लेकिन त्याग और वैराग्य में सूक्ष्म अंतर है। त्याग का अभिप्राय किसी वस्तु एवं पदार्थ को छोड़ने से है। वैराग्य का भावार्थ संसार की ओर से उदासीनता तथा जीव का परमात्मा के साथ गहरा लगाव हो जाना, उसकी याद में व्याकुल होना अथवा तड़पना। गुरू तेग बहादुर आरंभ से ही परिव्राजक स्वभाव के स्वामी थे। सत्यनिष्ठ, संयम और संत के गुण उनके व्यक्तित्त्व में सहज ही मिलते हैं। जगत् तथा पंचभूत पदार्थों से उन्हें कोई मोह नहीं था। इक्कीस वर्ष की घोर आराधना ने गुरू जी के आत्म-बल को और अधिक सुदृढ़ किया। उनकी वाणी में वैरागी जीव की विस्तृत व्याख्या की गई है। संपूर्ण विषय-वासनाओं का परिवर्जन

करने वाला प्राणी वैराग्य का पान करता है --

जिहि बिखिआ सगली तजी लीओ भेरव वैराग।
कहु नानक सुन रे मना तिह नर माथै भागु।। (श्लोक-17)

गुरू जी कहते हैं कि वैराग्य का आधार एकात्मकता पर स्थित है। अद्वैत की दशा में प्रभु मिलन संभव है। आत्मा और परमात्मा में एकाकार आवश्यक है। वैराग्य में जीव सुख-वैभव आदि से विमुख तथा परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है। यह प्रभु के प्रति अनुरक्त तथा जगत् के प्रति विरक्त की स्थिति है।

भक्ति : परम सत्ता परमात्मा के प्रति पूर्णतया समर्पित होना ही भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग को भी भक्ति कहा गया है। प्रेम सौंदर्य सापेक्ष है और श्रद्धा गुण सापेक्ष। श्रद्धा में शक्ति और शील दोनों ही निहित हैं। भक्ति के सहयोग से ऋषि, मुनि, योगी तथा वेदपाठी ब्राह्मणों को पछाड़ने वाली माया उनकी दासी बन जाती है। गुरू तेग बहादुर की भक्ति 'प्रेमा भक्ति' के अंतर्गत आती है। उनकी वाणी में भक्ति की अबाध मंदाकिनी प्रवाहित हुई है। उनका आचार-विचार, रहन-सहन, सुख-दुःख और जीवन का प्रत्येक क्रिया-कलाप भक्ति से ओत-प्रोत है। अहंकार को समाप्त कर एकनिष्ठ भाव से अत्यंत विनयी बनकर ही प्रभु की भक्ति मिलती है। कुमति ईश्वर भक्ति के मार्ग में एक बड़ी बाधा है --

मन रे कउनु कुमति वे लीनी।
पर दारा निदिआ रस रचिओ राम भगति नहीं कीनी। (सौरठि, 9-3)

गुरू जी समझाते हैं कि 'प्रभु भजन' अमूल्य रत्न है। मनुष्य मिथ्या वासनाओं पर आसक्त होकर नाम रूपी रत्न भुला देता है, क्योंकि वह माया पर आश्रित है। भक्ति गुरू जी के जीवन का एक अनिवार्य कर्म एवं मूल लक्ष्य रही। उन्होंने भक्ति की महिमा का यशोगान किया और ऐसे भी प्रमाण दिए हैं जिन्होंने भक्ति मार्ग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की, भले ही वे कितने अधर्मी, पापी और नीच क्यों न रहे हों। गुरू जी स्पष्ट कह देते हैं कि प्रभु भजन ही जगत् में पवित्र है --

पावन नामु जगति मै हरि को सिमरि सिमरि कसमल सभुहरू रे। (गउड़ी, 9-9)

वे आगे कहते हैं कि जिस जीव ने जिह्वा से प्रभु के गुण गाए, कानों से परमात्मा का नाम श्रवण किया, वह यम के घर नहीं जाता।

इतना और कि धर्म मंदिर की नींव धर्म के लिए जीने वाले एवं बलि देने वाले शहीदों के सिर पर ही स्थापित की जा सकती है। कोई धर्म तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता, जब तक वह जीने के साथ मरने की कला जिज्ञासुओं को न सिखाए। बिना शक, यह कला गुरू अर्जुन देव के बाद गुरू तेग बहादुर ने पूरी शान के साथ सिखाई। मानव जीवन का प्रारंभ तथा अंतिम छोर जन्म एवं मरण ही है। जिस मनुष्य ने इन दोनों के रहस्य को पा लिया, वही पूर्ण है, वही सच्चा ब्रह्मज्ञानी अथवा कामिल फ़कीर है।

❑

विनय जैन

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक क़दम : ट्रिपल तलाक अधिनियम, 2019

19 सितंबर, 2018 से तीन तलाक़ अधिनियम लागू हो गया इसके बाद जितने भी मामले ट्रिपल तलाक़ से संबंधित हैं उनका निपटारा इस क़ानून के तहत किया जाएगा। राज्य सभा से बिल पास होने के बाद क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया था।

इस विधेयक को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 का नाम दिया गया। मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 बहुत लंबी चर्चा और विरोध के बाद 26 जुलाई, 2019 को पारित हुआ। 1 अगस्त, 2019 को भारत में ट्रिपल तलाक़ को ग़ैर-क़ानूनी बना दिया गया है।

ट्रिपल तलाक़ बिल पास होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पर ट्वीट किया ''आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, आज करोड़ों मुस्लिम माता और बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक़ मिला है। सदियों से तीन तलाक़ की कुप्रथा में पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिल गया है। इस ऐतिहासिक मौके पर सभी सांसदों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।" उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा था ''तीन तलाक़ बिल का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा क़दम है तुष्टीकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं और बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया है। मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक़ देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है।''

यह तलाक़ मुसलमानों विशेष रूप से सुन्नी मुसलमानों में 13 सौ साल पुरानी प्रथा में से एक है। भारत ने 2011 की जनगणना के अनुसार यह तलाक़ प्रथम लगभग आठ पर्सेंट भारतीय महिलाओं की आबादी को प्रभावित करता है विशेषकर साठ वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को। यह भारतीय मुसलमानों द्वारा 'पर्सनल लॉ' के तहत आता है ट्रिपल तलाक़ शरिया क़ानून के तहत तलाक़ की प्रथा है। इस्लामी क़ानून के अनुसार सामान्य तौर पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रकार के तलाक़ होते हैं। पुरुषों के लिए इस्लामी क़ानून के तहत तीन प्रकार के तलाक़ होते हैं जैसे कि तलाक़ ए बिद्दत, हसन और अहसान। इन

तलाक़ों के बीच मुख्य अंतर यह है कि ट्रिपल तलाक़ एक तात्कालिक तलाक़ हैं जबकि अन्य दोनों में कुछ समय लगता है और यह तत्काल नहीं हो पाता है।

ट्रिपल तलाक़ में एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को एक बार में तलाक़ तलाक़ तलाक़ शब्द का उच्चारण करके तलाक़ देता है। यह मौखिक और लिखित दोनों रूपों में लागू होता है। भारत में ऐसे भी कई मामले आए जहाँ पतियों ने एस.एम.एस और पोस्ट कार्ड के माध्यम से ट्रिपल तलाक़ का उच्चारण किया और इन्हें मुस्लिम पादरियों और 'मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' के द्वारा मान्य किया गया जबकि तीन तलाक़ का जिक्र न तू कुरान में ही कहीं आया है और न ही हदीस में, यानी तीन तलाक़ इस्लाम का मूल भाग नहीं है। तीन तलाक़ से पीड़ित कोई महिला उच्च न्यायालय पहुँची है तो अदालत ने कुरान और हदीस की रोशनी में ट्रिपल तलाक़ को ग़ैर इस्लामिक कहा है। उत्तराखंड की सायरा बानो के केस पर फ़ैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 2017 में तीन तलाक़ को ग़ैर-क़ानूनी तथा असंवैधानिक क़रार दिया। पाँच जजों की पीठ ने दो के मुक़ाबले तीन मतों से यह फ़ैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अदालत ने सरकार से ही इस संबंध में क़ानून बनाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद केंद्र सरकार मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक) लाई थी। यह विधेयक दिसंबर 2017 में लोकसभा में पारित हो गया लेकिन राज्य सभा में अटक गया। इसके बाद सितंबर 2018 में सरकार ने तीन तलाक़ को प्रतिबंधित करने के लिए आध्यादेश जारी किया।

तीन तलाक़ पर कई मुस्लिम देशों में भी प्रतिबंध है अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस जैसे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश तलाक़ के लिए सख़्त क़ानून रखते हैं यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी तीन तलाक़ प्रतिबंधित है।

तीन तलाक़ अधिनियम में प्रावधान है की : --

(1) तुरंत तीन तलाक़ के बिद्दत को रद्द और ग़ैर-क़ानूनी बनाना।
(2) तुरंत तीन तलाक़ को अपराध मानने का प्रावधान यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है।
(3) तुरंत तीन तलाक़ की सज़ा का प्रावधान है यह लागू तभी होगा जब या तो ख़ुद महिला शिकायत करें या उसका कोई सगा संबंधी शिकायत करें।
(4) मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है, जमानत तभी दी जाएगी जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा।
(5) पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है।
(6) पीड़ित महिला पति से गुजारे भत्ते का दावा कर सकती है।

(7) पीड़ित महिला नाबालिग़ बच्चों को अपने पास रख सकती है इसके बारे में मजिस्ट्रेट तय करेगा।

आज मुस्लिम महिलाओं में चेतना और शिक्षा का स्तर बढ़ा है। वे धर्म के नाम पर शोषण के कुचक् को समझने लगी हैं। अधिकारों और सामाजिक सुधारों के लिए लड़ने का साहस उनमें आ गया है। तीन तलाक़ पर बनाया गया अधिनियम एक क़ानूनी सुधार है जो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, मौलिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूती प्रदान करेगा। इतिहास इसका उदाहरण है कि सामाजिक बदलाव एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुज़रने के बाद ही होता है।

ट्रिपल तलाक़ बिल पास होने की पहली वर्षगाँठ पर क़ानून के सकारात्मक प्रभाव की सराहना करते हुए 'ट्रिपल तलाक़ बिग रिफॉर्म बेटर रजिलट' के एक लेख में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि ट्रिपल तलाक़ न तो इस्लामिक था न ही क़ानूनी। यह एक सामाजिक बुराई थी। क़ानून बनने के बाद ट्रिपल तलाक़ मामलों में लगभग 82 प्रतिशत की गिरावट आई है। अगस्त वह दिन बन गया जिसने लैंगिक समानता सुनिश्चित की और मुस्लिम महिलाओं की संवैधानिक मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत किया है उन्होंने इसे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कहा।

❑

हरीश कुमार शर्मा

वृंदावन में विधवा महिलाओं संबंधी दिशा-निर्देशों का समीक्षात्मक क्रियान्वयन

उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत उच्च स्तरीय संयुक्त समिति की वृंदावन की विधवाओं की दशा सुधारने और भारतीय विधवाओं के हित में पारित निर्देशों के धरातलीय अनुपालन की आवश्यकता -- वृंदावन मथुरा (उ.प्र.) में भक्ति या पारिवारिक विषम परिस्थितियों के कारण देश के अनेक भागों से आई विधवा माताएँ अत्यंत कष्टदायक तथा विषम परिस्थितियों में अपना जीवनयापन कर रही हैं। हमारे समाज में विधवाओं की स्थिति प्रारंभ से ही विषम परिस्थितियों से जूझने वाली रही हैं। शासन से निराश्रित विधवाओं को 500/-- रुपए मासिक पैंशन मिलती है किंतु वर्तमान भीषण महँगाई में यह सहायता अपर्याप्त है।

वृंदावन की विधवाओं की परिस्थितियों के आधार पर एक समाचार-पत्र में प्रकाशित लेख में करुणामयी चित्रण प्रस्तुत कर उन्हें सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई ज़िंदा लाश तक कह दिया। इसी को आधार बनाकर स्वयंसेवी संस्था 'द एनवाइरमेंट एंड कंज़ूमर प्रोटेक्सन फाउंडेशन' ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका सिविल संख्या 659 सन् 2007 प्रस्तुत की।

तत्पश्चात् परिस्थितियों की गंभीरता पर भारतीय उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में संचालित शीर्ष राष्ट्रीय विधिक संस्था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने भी स्वयं कुछ अतिरिक्त सूचनाएँ उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका सिविल संख्या 133, सन् 2012 नालसा प्रति यूनियन ऑफ इंडिया प्रस्तुत की।

विस्तृत सुनवाई के पश्चात् उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थिति समझकर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं, समाज सेवियों तथा भारत सरकार की शीर्ष समिति बनाई। शीर्ष समिति की संयुक्त कार्य योजना बनी, जिस पर विचारोपरांत उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2018 द्वारा स्वीकृति दी गई। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, ज़िला प्रशासन तथा सभी नागरिकों का कर्त्तव्य माननीय उच्चतम न्यायालय की शीर्ष समिति की संतुतियों के अनुरूप कार्य कर स्थिति को सुधारना है।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशन में मासिक रूप से जनपद न्यायाधीश महोदय मथुरा/अध्यक्ष, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर अपर ज़िला जज स्तरीय मानीटरिंग कमेटी बनी है जिसमें ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण की सक्रिय भूमिका है। उत्तर प्रदेश राज्य

महिला कल्याण निगम को वृंदावन धाम के आश्रय सदनों का दायित्व है, जिसके ज़िला समन्वयक ज़िला प्रोवेशन अधिकारी (डी.पी.ओ.) हैं, किंतु आज तक उच्चतम न्यायालय की शीर्ष समिति की संस्तुतियों का पूर्णतः अनुपालन नहीं हुआ है।

2 जून, 2018 को ददरूबा आश्रम दावानल कुंड वृंदावन में भारतीय जनपार्षद मंच तथा परमहंस योगानंद चैरिटेबिल ट्रस्ट की संयुक्त पहल पर उक्त संदर्भ में स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों, विधवा माताओं तथा प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विस्तृत विचार विमर्श हुआ और इस संदर्भ में चिंता व्यक्त करके सुधार हेतु निर्णय लिए गए।

उक्त संगोष्ठी में श्री विनयचंद्र ओसवाल वरिष्ठ पत्रकार के साथ मुझे भी समस्त स्थिति की जानकारी हुई तभी से समस्त स्थिति और परिस्थितियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों से मुलाक़ातें करने, पत्राचार कर सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ संकलित करके हमारी स्वयंसेवी संस्था द्वारा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, ज़िला प्रशासन, राष्ट्रीय महिला आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग तथा मानव अधिकार आयोग तक विधवा माताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का धरातलीय अनुपालन हेतु निरंतर प्रयास जारी है।

इस पुनीत कार्य में हुकमचंद्र तिवारी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व विधायक का संरक्षण, श्री राजेंद्र सिंह वर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट व श्री आर.के. शर्मा, सेवा निवृत्त ए.डी.एम. की प्रेरणा तथा श्री आदित्य तिवारी एडवोकेट श्री दीपक शर्मा एडवोकेट, श्री राहुल सिंह एडवोकेट आदि का निरंतर उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त होता रहा है। किंतु मानवीय दृष्टिकोण से इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ में अभी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, विधिक एवं चिकित्सकीय क्षेत्र के प्रबुद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों की संयुक्त शक्ति का योगदान एवं न्यायपालिका तथा शासन प्रशासन की सहभागिता की आवश्यकता है।

धर्म नगरी वृंदावन में आयोजित कुंभ मेला में पधारे महानुभावों का एक बृहद् संयुक्त संगठन साधु-संतों वरिष्ठ एवं प्रबुद्धजन तैयार करके सामाजिक विधिक संपर्क सूत्र (Social Legal Network) बनाकर संयुक्त योजना के संबंध में संगठित और जागरूक होकर उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के धरातलीय अनुपालन हेतु संकल्प लेकर संयुक्त कार्यवाही करें। इसी आशा एवं विश्वास के साथ जन-जन को समर्पित होकर अपने मानवीय कर्त्तव्यों का पालन करें।

वृंदावन की विधवा माताओं के हितचिंतकों से अपील

1. देश की सर्वोच्य अदालत द्वारा स्वीकृत शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों का क्रियान्वयन अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? कृपया बिंदुवार समीक्षा कराकर क्रियान्वयन कराने का प्रयास करें। जो हालत पहले थी, उसमें सुधार होकर तस्वीर बदलनी आवश्यक है।

2. ज़िला स्तरीय विधवा प्रकोष्ठ प्रत्येक ज़िले में आवश्यक है किंतु मथुरा में ही नहीं गठित हुई है। इसका गठन तुरंत कराया जाए।
3. उच्च न्यायालय की निगरानी समिति ए.डी.जे. स्तरीय ज़िला जज महोदय के निर्देश पर न्यायिक निर्देशों के अनुपालनार्थ निरीक्षण करती है किंतु उसकी संस्तुतियों पर क्रियान्वयन आवश्यक है। अब तक की सभी संस्तुतियों के अनुपालनार्थ कार्यवाही कराई जाए।
4. ड्रीम प्रोजेक्ट कृष्णा कुटीर की माताओं को कोरोना काल में चैतन्य बिहार में भेजकर कृष्णा कुटीर को क्वारंटीन बार्ड बना दिया गया था, अब जब वह खाली हो गई है, माताओं को वापिस तत्काल भिजवाया जाए।
5. चैतन्य बिहार में जनवरी, 2021 में जलकर मरी माता की मृत्यु की जाँच कराने तथा आश्रय स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और सी.सी. टी.वी. कैमरों को चालू रखा जाए। जाँच कराएँ कि लंबी अवधि तक यह बंद क्यों रहे।
6. आश्रय स्थलों में निवासरत् माताओं से मिलने के इच्छुक व्यक्तियों से मुलाक़ात पर डी. पी.ओ. द्वारा लगाए प्रतिबंध हटाई जाए, क्योंकि आश्रय स्थल कोई कारागार नहीं है।
7. विधवा हैल्प डेस्क की स्थापना कराकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की संस्तुतियों के अनुरूप समस्त आवश्यक कार्य प्रारंभ हों।
8. एकल खिड़की योजना लागू की जाए।
9. महिला कल्याण निगम द्वारा समय से बजट न मिलने के कारण माताओं की पॉकेट मनी, ख़ाने, नाश्ते और कपड़े आदि मूलभूत सुविधाओं में हुए विलंब के कारणों को जानकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने तथा भविष्य में समय पर नियमित और निरंतर बजट आवश्यकता तथा योजनानुसार दिलाना सुनिश्चित किया जाए।
10. आश्रय सदनों और इनसे बाहर रह रही सभी विधवा माताओं के जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा और शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कराया जाए।
11. बृज क्षेत्र के पीड़ितों की मदद हेतु वृंदावन, मथुरा गोवर्धन, बरसाना, नंदगाँव, गोकुल, महावन तथा बलदेव में प्रबुद्धजन और साधु-महात्मा तथा आश्रमों के संचालक मिल-जुलकर विधवा एवं बृद्ध कल्याण में रुचि रखने वाली संस्थाओं तथा व्यक्तियों की सहभागिता से विधवा वृद्ध सहायता हेतु स्वयंसेवी नागरिक समूह गठित कर जन-चेतना उत्पन्न कर स्त्रोत और लाभार्थी के मध्य संवाद एवं सामंजस्य स्थापित करने हेतु ध्यान देकर अपने स्तर से जो भी हो सके कराने की कृपा करें।

❑

के.आर. पांडे

स्वाधीनता सेनानी, विद्वान् लेखक एवं पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव

महान स्वतंत्रता सेनानी, धर्मनिरपेक्ष, कर्मठ राजनेता, साहित्य प्रेमी तथा देश के नौवें प्रधानमंत्री श्री पामूलापर्ती वेंकट नरसिंह राव की 28 जून को जन्मशती थी। वे 21 जून, 1991 से 16 मई,1996 तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। इससे पहले वे 1980 से लगातार दस वर्षों तक केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व सम्हाल चुके थे। 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहते हुए विभिन्न विभागों के मंत्री के अलावा 30 सितंबर, 1971 से 10 जनवरी, 1973 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। विभिन्न मंत्रालयों एवं मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जनता के हितार्थ उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को आंध्र प्रदेश की जनता आज भी याद करती है। वे 1977 से 1980 तक लोकसभा में लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) के अध्यक्ष का पद के अलावा 1996 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 13 दिन विरोधी दल के नेता के पद पर भी रहे। 1974 से 1976 तक राव साहब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव तथा 1991 से 1996 तक अध्यक्ष रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी भूमि सुधार योजना को सिर्फ़ आंध्रवासी ही नहीं अपितु पूरे देश की जनता अभी भी भूली नहीं है। अपनी 1200 एकड़ खेती योग्य ज़मीन में से दस प्रतिशत 120 एकड़ ज़मीन उन्होंने अपने पास रखी तथा शेष भूमि को एक आदर्श पेश करते हुए ग़रीबों को बाँटने के लिए सरकार को दान कर दी। परंतु अपने जीवन में कभी भी उन्होंने इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की।

राव साहब ने जब देश की बागडोर संभाली, तब देश की आर्थिक हालत नाजुक स्थिति में थी। विदेशी मुद्रा के भंडार खाली पड़े थे। इसके अलावा पंजाब, कश्मीर एवं असम तथा देश के अन्य भागों में क़ानून व्यस्था की बुरी हालत थी। कुछ समय पहले तक देश मंडल कमीशन जैसी आग से झुलस चुका था। नौजवानों में आक्रोश था। परंतु उन्होंने इन सभी का धैर्यपूर्वक सामना किया तथा थोड़े ही समय में पंजाब तथा कश्मीर में चुनाव हुए और वहाँ जनतांत्रिक सरकार काम करने लगी। उनका सदा यही मानना था कि राज्य की समस्या का हल चुने हुए प्रतिनिधि ही अच्छा कर सकते हैं। 1977 से 1998 तक लगातार 21 वर्ष तक उन्होंने तीन राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा से लोक सभा में प्रतिनिधित्व किया।

श्री नरसिंह राव दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास के बीस वर्षों तक उपाध्यक्ष रहे। तेलुगू अकादमी, आंध्र प्रदेश के वे प्रथम सभापति बने। इसके अतिरिक्त सन् 1980 से लगातार दस वर्षों तक भारतीय ज्ञानपीठ चयन समिति के अध्यक्ष पद पर विराजमान रहे। स्वर्गीय विश्वनाथ सत्यनारायण के तेलुगू उपन्यास वेयीपाडगुलु (Veyipadgulu) का हिंदी में 'सहस्रफण' नाम से अनुवाद किया, जो भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से प्रकाशित हुआ तथा इसी तरह स्वर्गीय हरि नारायन आप्टे का प्रसिद्ध मराठी उपन्यास 'पण लक्षत कोण घेतो' का तेलुगू भाषा में अनुवाद किया। इसे देश की प्रसिद्ध साहित्य संस्था साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया है।

राजनीति में प्रवेश करने से पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी विद्वता का परिचय दिया। सन् 1948 से 1955 तक मानव अधिकारों संबंधी तेलुगू पत्रिका 'काकाटिया पत्रिका' का श्री देवलापल्ली रामानुज राव एवं कालोलजी नारायण राव के साथ मिल कर संपादन किया। वह तथा श्री कालोलजी राव इस पत्रिका में जया एवं विजया छद्म नाम से लेख भी लिखते थे।

प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद The Insider नाम से एक उपन्यास लिखा। इस उपन्यास में 1973 तक की कहानी है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी लोकप्रियता और शक्ति के शिखर पर थीं। इसके बाद भी लिखने एवं पढ़ने में रुचि रखने वाले राव साहब चुप नहीं बैठे। 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने से पहले तथा बाद में जो कुछ भी घटना घटी उसको एक पुस्तक रूप में अपने कंप्यूटर में लिखा तथा इच्छा जाहिर की कि इसे उनके देहांत के बाद प्रकाशित किया जाए। उनकी इच्छानुसार इस पुस्तक को पेंगुइन बुक्स द्वारा 'Ayodhya 6 December, 1992' नाम से अंग्रेज़ी में तथा 'अयोध्या 6 दिसंबर, 1992' हिंदी में उनके मरणोपरांत प्रकाशित किया गया।

1982 में डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में लगभग यह तय हो गया था कि देश के अगले राष्ट्रपति श्री पी.वी. नरसिंह राव होंगे। इस तरह के समाचार कुछ समाचार-पत्रों में भी छप चुके थे। आंध्र प्रदेश के ही कुछ दिग्गज नेताओं की कार्य समिति को यह निर्णय ठीक नहीं लगा और उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी व शीर्ष नेताओं को श्री राव के राष्ट्रपति पद की दावेदारी पर आपत्ति जाहिर की। इस प्रकार आख़िरी क्षण में उनकी जगह तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति के पद पर चुना गया।

पहली बार दक्षिण भारत एवं आंध्र प्रदेश के एक ऐसे नेता ने बागडोर संभाली जो अल्पमत में रहते हुए भी सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व पूरे पाँच साल तक करता रहा। विद्वान् श्री राव वैसे तो 13 भाषाओं के ज्ञाता थे, परंतु तेलुगू, हिंदी, उर्दू, मराठी, उड़िया एवं कन्नड़ भाषाओं में उनका समान अधिकार था। वे इन भाषाओं में धारा-प्रवाह भाषण भी देते थे। इतने भारतीय भाषाओं के अलावा उन्हें अंग्रेज़ी, फ्रेंच तथा स्पेनिश जैसे विदेशी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। उनकी विद्वता के सिर्फ़ देशवासी ही नहीं विदेशी भी क़ायल थे। एक बार वे विदेश मंत्री

की हैसियत से पाकिस्तान की यात्रा पर थे। पाकिस्तान के विदेशमंत्री के साथ वह सफ़र कर रहे थे। जब राव साहब ने ड्राइवर से उर्दू का अख़बार माँगा और पढ़ने लगे तो उनके उर्दू ज्ञान को देख कर पाकिस्तानी विदेशमंत्री आश्चर्यचकित रह गए। इसी तरह एक बार वे प्रधानमंत्री के तौर पर हैदराबाद हाउस में विदेशी मेहमान के साथ मीटिंग ख़त्म होने बाद जब चलने लगे तो राव साहब स्पेनिश में उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगे तो वे स्वयं तथा भाषांतरकार दोनों उनके स्पेनिश भाषा के ज्ञान पर स्तब्ध रह गए।

अपने से बड़ों का सम्मान करना तो कोई श्री राव से सीखे। एक बार वे किसी वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे थे तो वयोवृद्ध नेता उमाशंकर दीक्षित भी वहीं से पैदल आ रहे थे। बुजुर्ग नेता के सामने से कार में बैठ कर गुज़रना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा और दीक्षित जी के चले जाने का इंतज़ार करते रहे। इसी तरह पूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमन एक बार जब मद्रास (अब चेन्नई) से दिल्ली आए तो वे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अतिथि-गृह में ठहरे। राष्ट्रपति भवन की ओर से उन्हें किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई थी। जब श्री राव को यह पता चला तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल को फ़ोन कर अनुरोध किया कि कम से कम भूतपूर्व राष्ट्रपति जैसे गणमान्य अतिथियों के साथ तो इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए।

ऐसा लगता है कि उन्हें अपने जीवन के अंत का आभास कुछ दिन पहले से ही होने लग गया था। घर में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर ने एक दिन जब उनसे इलाज के लिए अमरीका जाने की राय ज़ाहिर की तो वे बोले -- ''अब मैं अपने इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं जाऊँगा।'' हाँ, आख़िरी दिनों में देश में ही कहीं दिल्ली से बाहर जाकर आयुर्वेदिक इलाज कराने की उनकी इच्छा ज़रूर थी। इसके लिए उन्होंने केरल के तत्कालीन राज्यपाल श्री रघुनंदन लाल भाटिया से बात भी की। वह उनके लिए केरल में इलाज की व्यवस्था कर ही रहे थे कि इस बीच उनकी हालत बिगड़ गई। 23 दिसंबर, 2004 को इस विद्वान् राजनेता ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम साँस ली।

पूरे पच्चीस साल तक विद्वान् राजनेता के सान्निध्य में रह कर मुझे बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसे मैं अपने को आज भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ।

❑

आर.के. पांडे : 000

Dr. Subhash Kashyap

Why the Judiciary Must Step Back

Much has been written and spoken about the judiciary overstepping its jurisdictional limits set by the Constitution and arrogating to itself powers outside its legitimate domain. The pandemic has led the courts to new levels of overreach in the form of *suo moto* notice of developments, becoming both the petitioner and judge.

The Supreme Court (SC), always called the sheet-anchor of democracy and justice, seemed to have lost its proverbial cool and reportedly made some derogatory observations, admonishing the Election Commission and the government. Even *obiter dicta* remarks with a tinge of negativity coming from the bench are likely to make headlines. Therefore, judges are expected to be more circumspect. Perhaps taking a cue from SC, several high courts also indulged in the unfortunate game of admonishing democratically constituted governments.

Unlike the United Kingdomg, we have a written Constitution which establishes the three organs of the State — the executive, the legislature and the judiciary. It defines and delimits their jurisdictions and powers, demarcates their responsibilities, and regulates their relationship with each other and with the people. None of the three can assume for itself a position superior to the other two, except as ordained by the Constitution.

Our Constitution provides for judicial review of legislation and administrative action. But, unlike the United States, our founding fathers provided for only limited judicial review. It was a corollary to their rejecting the “due process of law” clause and instead, accepting the “in accordance with law”, formulation — even though SC has tried to bring back the due process concept through the backdoor because it gives more power and freedom to courts pronouncing on the vires of legislation or executive action.

Under the Constitution, the council of ministers is responsible and answerable only to the House of the People. No institution, however supreme in its domain, is above the Constitution and the people. No organ or institution can, therefore, cast itself in the role of a conscience-keeper of the nation or of a superior which can call the duly elected government to order. Courts, in particular, should never be seen as supporting the government in its wrongdoing or as adding fuel to fires lit by the Opposition. Party politics, struggle for power,

political management and public administration belong to a different genre, and judges can never be substitutes for those in government or in the opposition.

No doubt, the independence of the judiciary is important, but so is the independence of the Parliament, the Election Commission and other institutions. The popularly elected government, which is, at all times, accountable to the supreme masters — we, the people of India — equally deserves to be respected by all citizens and institutions.

In the present case, like a superior officer asking a subordinate authority, SC is reported to have gone so far as to have called for data and reports with facts, figures, proposed plans and strategies to meet the situation, as if the government was not responsible to Parliament but to SC acting as a super cabinet.

While the situation in the wake of the pandemic's second wave is too terrible not to disturb any citizen, all the three organs of the State, all institutions (governmental and non-governmental), and all political parties (whether in government or in the opposition), would best serve the nation and citizens by coming together — assiduously performing their assigned role, understanding each other's difficulties, instead of interfering in each other's sphere, and shouting, yelling and calling each other names.

As far as the judiciary, from top to bottom, is concerned, it has much on its plate which needs to be executed — to prepare a plan and chalk out strategies to clear the backlog of millions of pending cases, improve the justice delivery system, reduce long delays, and make justice less costly and more affordable for citizens.

No institution can encroach on the territory of another. For example, Article 124 of the Constitution provides for SC consisting of a chief justice and "of not more than seven other judges", "unless Parliament by law prescribes a larger number". This number is now 34. Every time the number has gone up, Parliament has done it by law. It could not be done by SC itself on the ground of independence of the judiciary.

On the other hand, in the judges' appointment case, SC struck down articles 124A and 124B providing for National Judicial Appointments Commission (NJAC). This was an unconstitutional judgment, violative of constitutional provisions with the court assuming constituent powers which it does not have. To judge the constitutionality of any act, the point of reference has to be the existing text of the Constitution. Also, under Article 368, constituent power is specifically vested in Parliament and an amendment of the Constitution can be "initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament".

The President, the prime minister and all the ministers and, for that matter, all the judges themselves take oath by the Constitution, which includes all the

104 Amendments with the 99th Amendment providing for NJAC. As for the argument that the power to amend is a limited power, the court's power to interpret is equally a limited power.

All this is relevant in the present case because it is felt that things would not have come to such a pass, but for a weak-kneed response in accepting an unconstitutional and untenable verdict delivered by the beneficiaries themselves. And that is why the constitutional way to handle the pandemic is to leave it to the separate organs of the State to perform the functions — and only the functions — they are meant to.

❑

Niti Nipuna Saxena

Death Penalty for Rape Crime in India: Study

Death penalty is one of the most debated, ancient forms of punishment in almost every society. Awarding capital punishment in rarest of rare cases includes a lot of controversies in different judgments. The intent of study is to find out that awarding such type of punishment in rarest of rare case is just and fair? Also have to identify on what basis our judiciary use to term a particular criminal act in rarest of rare case. The study for the research adapted is qualitative based on the decisions of different cases related to brutal acts.

Introduction

Rape is the most heinous and inhuman offence. It is the barbarism of the worst order. Rape is when a man hath carnal knowledge of a woman by force and against her will, or. Rape is the carnal knowledge of any woman, above the age of particular years, against her will.

Rape is the act of physically forcing a woman to have sexual intercourse that is forced upon. Rape is a crime against basic human rights, and is also violative of victim's most cherished of fundamental rights, namely, right to life contained in Article 21. High Court observed that cases need to be dealt with sternly and severely.

In India, these days, rape cases are found in daily news. We can see many cases like these in trains in Mumbai in front of everyone and no one coming for help instead. National capital Delhi has become the most unsafe place for girls where one rape happens almost every day. In other parts of the country too, cases

are very common like in UP and Bihar and in most of the cases the accused get bailed because of having good social power. Our police department, due to their weakness and corrupted minds, fail to rescue these girls. Putting to rest the controversy over whether a person charged with rape and murdering his victim should be sentenced to the extreme penalty of death; the Supreme Court has ruled that in such a rarest of rare case, an accused can't be given the capital sentence but life term till the end of his life. This ruling has given a new thrust to the raging debate on compulsorily giving the extreme sentence of death to a rapist. But conscious of the consequences of such legislation that could lead to serious ramifications; it is argued that the victim could lose the life too after having suffered the worst kind of brutality. Rape is committed by a person; he has intercourse with a women against her will or without her consent. The frequency of crime against women, the inadequacy of the law of rape manifested in number of judgments and the strong protests by social activists, jurist and judges and scholarship general and women organizations in particular, against the failure of law to protect victim of rape.

Death for rapist has become a familiar theme in parliament whenever the matter comes up for discussion in the wake of large –scale rapes taking place in the country. The existing penal provision of rape under sec. 376, IPC would reveal that punishment may extend up to life imprisonment with section minimum imprisonment for 7year and sub section (2) Imprisonment for 10years with custodial rape and rape with a pregnant woman. Since the legislature has already taken adequate measures, there is hardly any justification for death punishment the debate on capital punishment has been running over the past so many decades, but yet nothing concrete is coming up. Many may be satisfied with the present legislation on giving of capital punishment but to many of us it's still not serving the purpose that it is deemed to serve. Is it actually working as a deterrent to crime. Which as far as our understanding goes is increasing day by day.

History is evidenced to the fact that capital punishment has never acted and would never act as deterrence to crime. In a land mark Judgment, Dhannajay was given capital punishment for raping and then killing a minor girl. His act as such was brutal calling for severe action against him, but it seems that the ends of justice have not actually been met out. So many cases of murder go not unnoticed but without any punishment to the doer only because he has money to meet out whatever expenditure might come in defending his case. Be it by influencing or so to say compensating the families of those killed or hiring an efficient lawyer to prove the case in their favor.

Rape and Law

The alarming frequency of crime against women, the inadequacy of the law

of rape manifested in a number of judgments and the strong protests by social activists, jurists, judges and scholars in general and women organization in particular, against the failure of law to protect victims of rape ultimately led the Parliament in 1983 to extensively amend the law of rape vide Criminal (Amendment Act, 43 of 1983) so as to make the law more realistic.

By the Amendment Act, the word "Sexual Offence" was substituted in place of "rape". Section 375 and 376, IPC were extensively amended and 375,376 were incorporated for punishing those who molest a woman under their custody or rape. Sexual intercourse with wife under a decree of judicial separation has been also made punishable.

In the year 1983, the provisions of Section 376, IPC were amended and a provision was made for minimum sentence with a proviso that the Court may, for adequate and special reason, impose sentence of imprisonment for a term of less than seven years. In the instant case, there seems no adequate and special reason to reduce the minimum sentence prescribed under Section 376 IPC.

The Ordinance amends the IPC, 1860 to increase the minimum punishment for rape of women from seven years to ten years.

Rape and gang rape of girls below the age of 12 years will carry minimum imprisonment of twenty years and is extendable to life imprisonment or death.

Rape of girls below the age of 16 years is punishable with imprisonment of twenty years or life imprisonment.

The Court has, normally, no discretion was not obvious of certain very exceptional situations and hence to meet such extremely rare contingencies it made a departure from, the said strict rule by conferring discretion on the Court subject to two conditions. One is that reasons should be "adequate and special reasons" and the other is that such reasons should be mentioned in the Judgment.

Hypothesis

Rape obviously is a very serious crime with severe trauma to the victim. The victims of rape are generally women. The crime of rape punishes victimizers for entering into an individual's most private sphere. Laws punish individuals for that invasion.

Now a days in India Rape is become the most heinous crime in the country. Due to this reason even the Indian Judiciary is in great chaos.

Some of the famous jurists and the social organizations working for the benefit of women have a view that to make the crime less active in the country, the Judiciary must make the amendment in the punishment of rape and make capital punishment in the cases of rape. But in the mean while Judiciary have their own reasoning which state that if they make the capital punishment is the

punishment in the cases of rape. Sometimes it will take the undue advantage of the other party. The problem is that how to decide the rarest of rarest in certain cases. Now researchers would analyze the all-relevant aspect related to making capitals punishment in cases of rape.

Death penalty is an essence in the cases of Rape in India.

Advantages of Death Penalty

- Some argue that the punishment which is to be given to a criminal must be dependent on the gravity of the crime which he has committed. For example, if someone has committed a crime like murder or rape, then that person must be given a death penalty because the crime which he has committed is of a very grave nature. The propagators are often of the view that giving death penalty would set an example for other criminals, and thus, it would act as a deterrent, and others who are likely to commit such crimes would refrain from doing so, because of the fear of losing their life. Thus, this would definitely help in reducing the crime rate in society.
- The next point is that the criminal, who has committed such a heinous crime, might re-indulge himself in the same crime or any other heinous crime after he has served his term of imprisonment and has been released.

Thus, instead of giving him imprisonment, if he is awardeda death penalty, the society would not be under threat from such person.

- Thus, to prevent the happening of any such crime, the offender must be given the death penalty. However, this logic seems appropriate only to punish serial killers or those who have been regular offenders and usually indulge themselves in one or other form of crime in everyday situations.
- Another possible explanation which would support awarding the death sentence is the torture which is very prevalent in jails, either by the jail officials or the fellow-criminals. It is also argued that those who are awarded the life imprisonment are left with no other option but to live a futile life behind the bars, and hence, it is better to award them the death penalty.
- Another point is that imprisoning someone is far more expensive than executing him. This, however, cannot be said to be justified to execute every criminal, but only to those who are repeated offenders and are likely to commit heinous crimes in future also.
- The death penalty is sometimes equated as revenge for pain and suffering that the criminal inflicted on the victim. The proponents of the application of death penalty, argue that those who have taken other person's life does not have a right to live and hence must be executed. This also attaches an emotional point attached to it, the family members of the victims sense a feeling of justice if such criminals are executed and are left open in the society, so as to commit other crimes.

List of Cases of Death Penalty Recently

Four men found guilty of the gang-rape and murder of a 23-year-old woman on a bus in the Indian capital, Delhi, seven years ago have been hanged.

The hangings were the last step in the brutal December 2012 rape case that stunned India, brought thousands of protesters out on the streets and made global headlines for weeks.

It also forced the authorities to bring in more stringent laws, including the introduction of the death penalty in rare cases. The judges perceived this particular crime fit for awarding the death penalty and on 20 March, the convicts were executed.

❑

Reference -- Primary Sources

1. "Nirbhaya Rape Case Hanging : Everything you need to know". Mumbai Mirror. 20 March 2020. Retrieved 6 October 2020.
2. G.W. Paton, Text book of Jurisprudence, (Oxford University Press, London, 3rd edition, 1969)
3. Gaur K.D. Text Book of Indian Penal Code, University Law Publication, 6th edition
4. Dr. N.V. Paranjpay, Jurisprudence and Legal Theory, Central Law Agency, 21st edition, 2016

Journals

1. India. Law Commission of India, Report No.262 on Death Penalty, Aug 2015, pp.17-18
2. India. Law Commission of India. Consultation Paper on Capital Punishment, May 2014, pp. 26-27

Santosh Khanna

Effects of Covid-19 on Environment and Ecological Balance

With the outbreak of Covid-19 throughout the world, India took an early initiative to first declare 'Janata Curfew' on 22nd March, 2020 to prepare people psychologically for a lockdown for three weeks on 25th March, 2020. It was a novel situation faced by any country and India itself. The first lockdown of three weeks was from 25th March, 2020 to 14th April, 2020.The second lockdown was from 15th April,2020 to 3rd May, 2020 as the cases of corona virus showed an upward trend. Lockdown again was continued and June 2020 saw a reverse process of lockdown as lockdowns could not be continued for an indefinite period to hold a large population of 135 crores of people of India behind the walls of the houses. The question of survival of mankind depends on various necessities of life. Ceasing almost all activities for a long time could lead to inertia not only for the activities but also for the lives also. Then the process of gradually lifting of lockdown was started and to resume gradually to normalactivities and lives in every part of the county.

The million dollar question was taking rounds and is still being asked, whether the objectives of lockdowns in India were achieved? It could safely be said that the lockdowns during 2020 helped in containing the spread of corona virus to a great extent. On the one hand, lockdowns provided much needed time to the country to make preparations for future challenges of corona virus and on the other hand, it enabled to educate the people to follow the necessary guidelines for safety. However, some relaxations were started to be given in the month of May, 2020 leading to a spurt in corona cases as there started a large influx of a sizable segment of population of workers from one place to another in the country. With more relaxations coming every day, the number of corona cases started assuming dangerous proportions. It was assumed that it was a temporary phase and with the people observing rules and discipline might result in containment of the corona virus. At that time, it was not certain as to how the corona virus would present itself in the coming weeks. Whether Government would have to revert to lockdowns which, of course, seemed a distant possibility at that time as the lockdowns resulted in skewing the economy of the country. Corona crisis lasted the whole year of 2020 although the graph of corona cases has gone down appreciably by the end of the year.

The new year of 2021 started on a note of hope and aspirations among the people and normalcy was seen returning everywhere with the all the routine activities being resumed as it was being felt that India has left the days of crisis behind. But when the month of March started in the midst of activities with full swing, the corona virus started raising its head again and news of new increasing cases of infections started pouring in from many parts of the country. It seemed as if India was taken unaware with the onset of second wave. During the months of April and May, India was inundated by the cruel fury of the second wave of corona virus which was not only faster in its spread but also more lethal in its effect. It was pandemic which was never seen even during a period of hundreds of years..Innumerable people were getting infected every day so much so that the health facilities were not enough to cope with this mammoth crisis. It seemed that the health infrastructure cracked under the weight of increasing number of corona cases at a great speed. The existing health facilities such as hospital beds, oxygen, ventilators, medicines etc. were nowhere being seen as adequate enough. Even the cremation grounds and the crematoriums were not able to cope with the rush of dead bodies.

Almost the entire nation including the three wings of the India's defence forces rose to the occasion for help at war footing and even many countries around the world rushed assistance and supplies to India such as oxygen, oxygen plants, ventilators, medicines etc, Many states of India reeling under the fury of corona virus imposed lockdowns and other restrictions for control of the increasing pandemic.Lockdown started showing results as graphs of corona cases started downward trend with the onset of the month of June,2021. Ultimately, almost after two months, the rigorous efforts to control the virus are showing positive results and States started trying to relax lockdowns and other restrictions.

The question is how lockdowns during 2020 affected the environment not only in India but even all over the world.? When the entire nations and the entire population of the countries were confined to their houses, the environment and the Planet Earth seemed to heaved a sigh of relief and everywhere the transformation was visible as if the Earth has rejuvenated itself after undergoing much degradation and degeneration. In India, we had been fortunate enough to inhale a clean air after long years. India spent crores and crores of rupees on cleaning the rivers which had been polluted beyond recognition. Now, cleaner and transparent waters started flowing in the rivers. Mother Earth has herself cleaned the water, air and the atmosphere. Even the infrayed layer of ozone was stated to be healed. With all the people inside their houses, not much vehicles were on the roads and even the worship places lying shut, the noise pollution also died down. The serene peace prevailing everywhere.

As for ecological balance, Covid-19 is a resultant factor of ecological crisis. It is a known fact that the humans play a role in environmental degradation, there is a link between pandemic and ecosystems. Ecosystems includes plants,

animals and human beings. The Earth is there for everyone and if the mankind start snatching spaces provided for the plants, animals, its adverse affects are bound to follow. We know the epidemics existed before also but as humans are snatching more and more spaces of the plants and animals, the number of pandemics are increasing proportionally. According to a French Author, 'at the global level, the number of epidemics increased more than tenfold between 1940 and today'. So, there is a need for greater efforts towards global health integrating the health of ecosystems, plants, animals and human beings. He also underlines the role played by humans and emergence and spread of new viruses because of the human disturbances. The human and nature interference amplified dangers due to more and more globalization as in a globalised world, increasing human-animal contacts make the spread of emerging diseases more likely. If we still keep on interfering in ecosystems, Covid 19 will not be the last virus. More lethal pandemics will continue to emerge in future also.

WHO has shown that Environment degradation is responsible for about a quarter of world's deaths and it is also known three quarter of diseases such as Ebola, dengue, HIV etc originated from wildlife. Shri Pushapam Kumar, the Chief Environmental Economist of the United Nations Environmental Programme tells in an interview that the outbreak of Covid-19 has been attributed to human interference such as deforestation, encroachment on animal habitats and biodiversity loss. He also tells that lockdown in Hubei in China contributed to reduction in pollution preventing premature deaths about 50,000 to 75,000. Protected areas such as Zoos and Parks appear to be safe as there are no footfalls of the human beings due to lockdowns because of corona virus and animals there feeling relieved of the tensions they were undergoing before lockdowns.

So the relationship between mankind and the nature has to be regulated. The policy makers should keep this in mind while planning for development.

World need now a ONE HEALTH approach to ensure health of human beings , plants, animals and environment.

We have not done enough to protect our nature capital.

Now, the question is what after the complete lockdowns are removed and all the activities are resumed after our second dose of lockdowns after the emergence of second wave?

Will the Mankind continue to face the problems relating to air, water and the environment pollution? What was the position of Environment before the lockdowns? I would like to recapitulate the horrendous position prevailing prior to lockdowns.

It was an admitted fact that the environment throughout the world had suffered serious degradation and the people were aware about the dangers which the degraded environment was posing for the entire humanity . Efforts also started to be made to undo the harm but the question remained whether the comity of the nations became serious enough about the dangers posed and

took concrete steps to save our Mother Earth? Was the world prepared to evolve a unified strategy to protect and preserve the environment and to cure the already degraded environment?

The answer is a big NO because we had so far failed to keep our air, water, food and even space clean inviting not only various types of physiological and psychological killer diseases but also a very serious catastrophic situation putting the very existence of our Mother Earth in danger. Mankind became the proverbial person who was cutting the branches of a tree on which he was sitting.

The scientific inventions and technological advancements blessed the mankind with numerous boons but their indiscriminate usage was proving to be lethal for the survival of man and his environment. The constant emission of poisonous gases of carbon dioxide from the ever-increasing vehicular traffic and industries was choking the lungs of Mother Earth 's atmosphere. The poisonous gases were carbon dioxide, methane, nitrous oxide and cholorofluorocarbons CPCS. These gases trap the rays of the sun and heats up the Earth, Of these Green Houses Gases, carbon dioxide is responsible for over half the enhancement of the green house effect. The more the mankind burns the fossil fuels such as oils and coal, the higher the emissions. It is estimated that if Green houses gases concentrations continue to rise at present levels, global mean temperature is expected to rise by 1.4-5.8 degree C by 2100 compared to preindustrial levels and sea level will rise by 9.88 cm by 2100 century. Millions living in small island states and low-lying deltas in Bangladesh, China and Egypt will be rendered homeless, there will be severe incidents of drought and floods, loss of biological diversity, reduced crops yields and spread of diseases in regions where these are not known to exist.

Due to climate change, the seas are warming and creating repeated cyclones . In India, the Orissa state was wrought by a high intensity cyclone two years ago and now West Bengal, Maharashtra, Gujarat and again Orissa was hit by high intensity cyclones causing lot of loss not only of property but also of trees. India lost lakhs of trees in these cyclone reducing the number of trees in India. According to a UN study, statistics on per capita trees has been given. Accordng to this report, the number of per capita trees in Canada is 8953,Russia is 4461, America 716 , China102 where India has only 28 trees per capita. This average is lowest as compared to the above countries.

Environment problem is a global issue. The United Nations Organisation has contributed a lot in the realm of environment protection during the last about five decades. Efforts at the UN level culminated in the adoption of a Framework Convention in Climate Change (FCCC) when the United Nations organized an Earth Summit on Environment and Development in 1992 .About 170 countries participated to discuss issues relating to save the earth . The main issues discussed were the climate change, protection of ozone layer and the global warming. The Framework Convention on Climate Change recognized that the

industrialized countries would be the first to reduce CHG emissions and the developing countries would be allowed space for industrialization. But as usual, the developed industrialized countries were unwilling to commit themselves to definite reduction targets so the Convention itself urged industrialized countries to adopt national policies to stabilize emissions to the level of 1990 to which most of them failed to meet.

In 1997, countries again met in Kyoto, Japan to discuss further CHG emissions reduction commitments for industrialized countries. In this Convention, the industrialized countries agreed to reduce emissions in the year 2008-2012 period by 5.2 percent compared to 1990 levels. Again, this did not happen as there was no agreement as how to implement the Kyoto Agreement. The United States rejected the protocol on the ground that the science of climate change was not certain and the Protocol was unfair to USA as it did not include huge populations of India and China for reducing CHG emissions. When the climate Change Convention was held in July, 2001, decisions on the controversial issues of Kyoto Protocol were taken without the US .

During September, 2015, The United Nations General Assembly passed an important resolution to address the problems being faced by the world. This resolution included Sustainable Development Goals including the issues relating to Environment also. The Sustainable Development Goals are the blue print to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face . including relating to poverty, inequalities, climate change, environmental degradation, peace and justice. The 17 goals are all interconnected in order to leave no one behind. These goals are to be achieved by 2030.

India has been aware about the importance of environmental issues since olden times as its culture is wedded to protection of environment and even the Constitution of free India includes many pragmatic provisions not only in its Third Chapter of Fundamental Rights and Fourth Chapter of Directive principles of State Policy and but even in its Fundamental Duties in its Article 51A, India has also a full fledged legal regime on Environment. The Supreme Court has also played a proactive role through its judicial pronouncements from time to time for safeguarding the environment. The contribution of many NGOs in India are also not to be minimized.

But with the advent of ever emerging technological developments and the trends in the global economy, India could not remain unaffected. With globalization having its sway and with more and more economic reforms required for the development for ever increasing population, people have joined the race of materialistic heights Though India did not achieve its industrialization peak but with technological advent, India achieved many developmental contours . The boon of cars already invaded the major cities and peripheries leading to its many cities polluted to the hilt. Industries and other gadgets were

also polluting every nook and corners of big cities.

Though the positive side of lockdowns has blessed us with cleaner air, water and noise free atmosphere, but with the resumption of all the suspended activities, the air will again turn to the old levels. The Governments and the people have to come together now to save our environment and our Mother Earth.

It is not that we do not have safeguard for saving the environment. We have a rich regime of laws such as the following:-

1. The Environment Protection Act,1986;
2. The Forest Conservation Act, 1980;
3. The Wildlife Protection Act,1972
4. Air (Prevention and Control)of Pollution Act,1981
5. Water (Prevention and Control) Pollution Act,1974
6. The Indian Forest Act, 1927

There are Central Pollution Control Boards and State Pollutions Controls Boards in the States.

Since with the spurt of population in India, every regime has to address their increasing needs. For this, industrial growth and urbanization become inevitable. But with the constitutional and rich regime of framework ensuring environmental protection. India will be required to give utomost attention to the following issues :--

1. Population Control
2. Check soil erosion
3. To check deforestation
4. Water management
5. Ocean ocidification
6. Preservation of biodiversity
7. Waste disposal
8. Ozone Layer depletion
9. Global warming

Since we faced first wave and the second wave of an unprecedented corona crisis and the third wave is also predicted, so the worst is not yet over., the need is that the people coming out of the houses should observe all the guidelines such as wearing of masks, social distancing and observing hygienic practices. We cannot go back to the lockdowns again and again and it is the awareness among the people which will work. I hope and wish that the people may rise to the occasions for their safety and for the society and the country. People should follow corona guidelines as Dharma. With this pious wish, I conclude on a positive note that People will cooperate.

❑

लेखक मंडल

डॉ. साधना गुप्ता : सहा. आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़, राजस्थान द्वारा : के.एल. गुप्ता 'एडवोकेट', मंगलपुरा टेक, झालावाड़ 326001 राजस्थान
मोबाइल : 9530350325, **ईमेल :** sadhanagupta0306.sg@gmail.com

श्याम सिंह राज पुरोहित : Advocate, 182, Gandhi Complex, Gandhi Nagar, Near Metro, Udaipur-313001

प्रो बिभा त्रिपाठी : Faculty of Law, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India, **ईमेल :** bibha.tripathi@bhu.ac.in
मोबाइल : 9451587252, 8004929733, 6392388508

डॉ. विपिन कुमार सिंह : सहायक आचार्य, विधि विभाग, नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, प्रयागराज, **मोबाइल :** 9335480740, 9415172160
ईमेल : vipks@rediffmail.com
पता : 79k/7 Puradalel, Allahpur, Prayagraj (UP), Pin-211006

डॉ. मंजू चंद्रा : असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, गुरूड़ाबांज, अल्मोड़ा

सन्तोष खन्ना : प्रधान संपादक, 'महिला विधि भारती' पत्रिका, शालीमार बाग

डॉ. ज्योति दिवाकर : शासकीय श्रीमंत माधव राव सिंधिया पी.जी. कॉलेज, शिवपुरी (लॉ विभाग)

श्री महेंद्र कुमार : प्रभारी प्राचार्य, शासकीय श्रीमंत माधव राव सिंधिया पी.जी. कॉलेज, शिवपुरी

डॉ. मुक्ता : अध्यक्ष, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, साहित्य शोध संस्थान, वाराणसी

डॉ. भगवानदास अहिरवार : प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नाताकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश)

अरविंद भारत : प्रधान संपादक; अखंड भारत (राष्ट्रीय त्रैमासिकी)

डॉ. अमरसिंह वधान : प्रोफेसर एमरिट्स, डी. लिट्., फ्लैट नं. 3150, टाईप-9 सेक्टर 24-डी, चंडीगढ़-160023

विनय जैन : Principal, GSSS Bissar, Akbarpur, Dist. Nun, Haryana

हरीश कुमार शर्मा : महासचिव, भारतीय नागरिक कल्याण एवं अपराध निरोधक समिति, विवेकानंद नगर, अलीगढ़ मार्ग, हाथरस (उ.प्र.), **मोबाइल :** 9412277007

आर.के. पांडे : पूर्व संसदीय अधिकारी, 97 कुमांचल निकेतन, 115 आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-92

Subash C. Kashyap : is a veteran constitutional expert and former secretary-general of the Lok Sabha

Niti Nipuna Saxena : Institute of Law and Legal Studies, Sage University Indore, **E-mail :** nitinipuna@gmail.com

फोन : 011-27491549
मोबाइल : 09899651272
09899651872

सदस्यता फॉर्म

विधि भारती परिषद्

बीएच-48 (पूर्वी) शालीमार बाग, दिल्ली-110088

महिला विधि भारती पत्रिका यू.जी.सी. की सूची में भी शामिल है।
क्रमांक 156, पत्रिका संख्या 48462

कपया मुझे विधि भारती परिषद् का सदस्य बनाने की कपा करें। मेरा चैक/बैंक ड्रॉफ़्ट संलग्न है --

1.	वार्षिक सदस्य शुल्क	500/-- रुपए
2.	आजीवन सदस्य शुल्क	5,000/-- रुपए
3.	संस्थागत वार्षिक सदस्य शुल्क	500/-- रुपए
4.	संस्थागत आजीवन सदस्य शुल्क	20,000/-- रुपए

नाम :.....

शैक्षिक योग्यता :.....

व्यवसाय :.....

कोई प्रकाशित कृतियाँ :.....

स्थाई पता :.....

फोन (कार्यालय) :..... **(घर) :**.....

मोबाइल :..... **ई-मेल :**.....

नोट : विधि भारती परिषद् की सदस्यता के लिए शुल्क परिषद् के बैंक खाते में जमा कराया जा सकता है। कपया शुल्क के साथ बैंक सेवा चार्ज 100/-- रुपए जमा कराएँ।

Vidhi Bharati Parishad : SBI SB Account No. 10115361055
IFSC Code : SBIN0003702